अगोपनीय संस्करण

केस नंबर: एडी(ओआई) - 05/2025

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय

अंतिम निष्कर्ष

इंडोनेशिया और मलेशिया के मूल के अथवा वहाँ से निर्यात किए गए "क्लियर फ्लोट ग्लास" के आयात से संबंधित प्रतिकारी (सब्सिडी-रोधी) जाँच

अगोपनीय संस्करण

फा. सं. 6/36/2025-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथी मंजिल, जीवन तारा भवन, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

अंतिम निष्कर्ष
मामला सं. - CVD(OI) - 05/2025

विषय: इंडोनेशिया और मलेशिया के मूल के अथवा वहाँ से निर्यात किए गए क्लियर फ्लोट ग्लास के आयात से संबंधित प्रतिकारी / सब्सिडी-रोधी जाँच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है (जिसे इसमें इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) तथा सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडीयुक्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है (जिसे इसमें इसके बाद "सीवीडी नियम" अथवा "नियम" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

1. मेसर्स गोल्ड प्लस फ्लोट ग्लास प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, मेसर्स सेंट-गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स सिसेकैम फ्लैट ग्लास इंडिया लिमिटेड (जिन्हें इसमें इसके बाद "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" अथवा "डीआई" भी कहा गया है) ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके बाद "अधिनियम" भी कहा गया है) तथा समय-समय पर संशोधित प्रतिकारी शुल्क नियमों के अनुसार, इंडोनेशिया और मलेशिया (जिन्हें इसमें इसके बाद "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यात किए गए "क्लियर फ्लोट ग्लास" (जिसे इसमें इसके बाद "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयात

पर प्रतिकारी / सब्सिडी-रोधी शुल्क लगाने के लिए नामित प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके बाद "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया था।

2. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर, दिनांक 29.09.2025 की अधिसूचना सं. 6/36/2025-डीजीटीआर, जो भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित हुई, जारी करके उपर्युक्त नियमों के नियम 6 के अनुसार प्रस्तुत जाँच आरंभ की, ताकि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं की कथित सब्सिडी के अस्तित्व, सीमा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके तथा सब्सिडी-रोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

3. प्रस्तुत जाँच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

i. प्राधिकारी को आवेदकों से घरेलू उद्योग की ओर से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें इंडोनेशिया और मलेशिया से क्लियर फ्लोट ग्लास पर सब्सिडी दिए जाने का आरोप लगाया गया था।

ii. प्राधिकारी ने जाँच आरंभ करने से पहले, नियमों के नियम 6 के उप-नियम (5) के अनुसार, मलेशिया सरकार और इंडोनेशिया सरकार को भारत में उनके मिशनों के माध्यम से सब्सिडी-रोधी आवेदन की प्राप्ति की सूचना दी तथा स्थिति को स्पष्ट करने और एससीएम करार के अनुच्छेद 13 के अनुसार पारस्परिक रूप से सहमत समाधान पर पहुँचने के उद्देश्य से दोनों सरकारों को परामर्श के लिए आमंत्रित किया। परामर्श मलेशिया सरकार के प्रतिनिधियों के साथ 09.09.2025 को तथा इंडोनेशिया सरकार के प्रतिनिधियों के साथ 12.09.2025 को आयोजित किए गए। दोनों सरकारों को आवेदन का गोपनीयता-रहित संस्करण उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोपित कार्यक्रमों का उल्लेख था, और उन्हें प्रत्येक कार्यक्रम पर टिप्पणी करने का अवसर दिया गया। किसी भी सरकार के साथ, चाहे सामान्य रूप से हो या किसी एक कार्यक्रम के संबंध में, कोई पारस्परिक रूप से सहमत समाधान नहीं निकल पाया। अनुच्छेद 13.1 के अंतर्गत परामर्श पर मलेशिया सरकार का लिखित अनुरोध तथा इंडोनेशिया सरकार का दिनांक 12.09.2025 का परामर्श-पत्र अभिलेख पर लिए गए हैं और उनमें उठाए गए तर्कों का संबंधित खंड में कार्यक्रम-वार समाधान किया गया है।

iii. प्राधिकारी ने दिनांक 29.09.2025 की एक अधिसूचना जारी की, जो भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित हुई, जिसके द्वारा इंडोनेशिया और मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयात से संबंधित सब्सिडी-रोधी जाँच आरंभ की गई।

iv. नियमों के नियम 7(2) के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना की एक प्रति संबद्ध वस्तुओं के सभी ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके मिशनों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेजी गई।

v. नियमों के नियम 7(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन का गोपनीयता-रहित संस्करण ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, संबद्ध देशों की सरकारों तथा उन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया, जिन्होंने इसके लिए लिखित अनुरोध किया था।

vi. प्राधिकारी ने नियमों के अनुसार प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

क. पीटी मुलिया इंडस्ट्रिंडो टीबीके, इंडोनेशिया

ख. किबिंग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया

ग. ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया

vii. संबद्ध देशों की सरकारों से, भारत में स्थित उनके मिशनों के माध्यम से, यह भी अनुरोध किया गया कि वे अपने देश के निर्यातकों और उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते सहित मिशनों को भी भेजी गई।

viii. अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित ने अपने उत्तर दाखिल किए:

1. इंडोनेशिया सरकार
2. मलेशिया सरकार
3. पीटी मुलियाग्लास, इंडोनेशिया
4. ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी, मलेशिया।
5. किबिंग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी, मलेशिया।
6. जिनजिंग टेक्नोलॉजी मलेशिया एसडीएन. बीएचडी.

अगोपनीय संस्करण

7. छिंगदाओ रेक्सी, मलेशिया।

ix. प्राधिकारी नोट करता है कि जिनजिंग टेक्नोलॉजी मलेशिया एसडीएन. बीएचडी. ने स्वेच्छा से अपना उत्तर दाखिल किया, जबकि उसे कोई निर्यातक प्रश्नावली जारी नहीं की गई थी। उसका उत्तर पूर्ण होने तथा उसकी जाँच और सत्यापन किए जाने के कारण, उसे सहयोगी उत्पादक/निर्यातक माना गया है और उसके लिए एक व्यक्तिगत सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया गया है।

x. छिंगदाओ रेक्सी एक व्यापारी है, न कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक। व्यक्तिगत सब्सिडी मार्जिन के निर्धारण के लिए उसके उत्तर पर निर्भर नहीं किया गया है, और उसके माध्यम से किए गए निर्यातों पर, खंड न में निर्धारित शर्तों के अधीन, वस्तुओं के उत्पादक पर लागू दर लागू होगी।

xi. प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति, आयातक प्रश्नावली के साथ, भारत में संबद्ध वस्तुओं के 35 ज्ञात आयातकों, उपयोगकर्ताओं और उपयोगकर्ता संघों तथा ऑल इंडिया फ्लैट ग्लास मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, एसोचैम, फिक्की और सीआईआई को भेजी, और नियमों के नियम 7(4) के अनुसार उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने की सलाह दी। किसी भी आयातक अथवा उपयोगकर्ता ने कोई उत्तर, अनुरोध अथवा अभ्यावेदन दाखिल नहीं किया।

xii. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के गोपनीयता-रहित संस्करण एक सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराए, जिसे हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण हेतु खुला रखा गया।

xiii. वाणिज्यिक गुप्तचर एवं सांख्यिकी महानिदेशालय तथा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के डीजी-सिस्टम्स से क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयात का लेन-देन-वार ब्यौरा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने आयात की मात्रा और मूल्य की गणना करने, निर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यात की मात्रा का मिलान करने तथा दाखिल किए गए उत्तरों को यथासंभव सत्यापित करने के लिए डीजी-सिस्टम्स के आँकड़ों पर भरोसा किया है।

xiv. प्राधिकारी ने इंडोनेशिया के निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत आयात संबंधी आँकड़ों की जाँच की है और उन्हें डीजी सिस्टम्स से प्राप्त आयात आँकड़ों के साथ पुष्ट किया है। इस प्रकार जाँचे और पुष्ट किए गए आँकड़ों के आधार पर प्राधिकारी ने पाया है कि जाँच अवधि के दौरान इंडोनेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा संबद्ध वस्तुओं के कुल आयात के 4% से कम थी।

xv. सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडीयुक्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995 के नियम 16(1)(घ) के अनुसार, प्राधिकारी से अपेक्षित है कि वह किसी विकासशील देश के मूल के उत्पाद के मामले में, जहाँ सब्सिडीयुक्त आयातों की मात्रा भारत में समान उत्पाद के कुल आयात के चार प्रतिशत से कम हो, जाँच को तत्काल समाप्त कर दे, जब तक कि वे विकासशील देश, जिनमें से प्रत्येक का व्यक्तिगत हिस्सा चार प्रतिशत से कम है, सामूहिक रूप से ऐसे कुल आयात के नौ प्रतिशत से अधिक न हों। इंडोनेशिया के व्यक्तिगत हिस्से और ऐसे सभी देशों के सामूहिक हिस्से, दोनों की जाँच की गई है और दोनों संबंधित सीमाओं से कम हैं, जिसके कारण आयात मात्रा की नगण्यता शीर्ष के अंतर्गत संबंधित खंड में दर्ज हैं। तदनुसार, सत्यापित आँकड़ों के आधार पर स्थापित आयात मात्रा को ध्यान में रखते हुए, इंडोनेशिया के संबंध में जाँच नियम 16(1)(घ) के अंतर्गत समाप्त की जाती है। इसे देखते हुए, प्राधिकारी ने इंडोनेशिया में सब्सिडी के अस्तित्व की जाँच नहीं की है और उस देश के संबंध में कोई सब्सिडी मार्जिन निर्धारित नहीं किया है, क्योंकि नियम 16(1)(घ) के अंतर्गत समाप्ति आयात की मात्रा पर आधारित है, न कि सब्सिडी की राशि पर।

xvi. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों की सरकारों तथा प्रत्येक सहयोगी उत्पादक/निर्यातक द्वारा दाखिल उत्तरों का डेस्क सत्यापन किया, जिसमें उत्तरों की जाँच प्रस्तुत किए गए सहायक अभिलेखों, जिनमें लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, कर विवरणियाँ और निर्धारण, सीमा शुल्क प्रविष्टियाँ, उपयोगिता चालान, भूमि करार, अनुमोदन पत्र और सब्सिडी गणना पत्रक शामिल हैं, के आधार पर की गई। डेस्क सत्यापन पूर्ण होने पर, प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों से आगे स्पष्टीकरण तथा अतिरिक्त जानकारी माँगी, जो अन्य बातों के साथ-साथ संबद्ध वस्तुओं के संबंध में अन्य प्राधिकरणों द्वारा प्रतिकारित सब्सिडी कार्यक्रमों तथा उनकी अप्रयोज्यता के लिए दिए गए कारणों, नीतिगत ऋण, भूमि, आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट, बिजली की आपूर्ति, निवेश-संबद्ध कर भत्तों तथा संबंधित और परस्पर-स्वामित्व वाली संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त लाभों से संबंधित

अगोपनीय संस्करण

थी। प्रस्तुत उत्तरों की जाँच की गई है और उनका समाधान संबंधित खंड में किया गया है।

xvii. भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की इष्टतम लागत तथा उन्हें बनाने और बेचने की लागत के आधार पर, घरेलू उद्योग द्वारा सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के आधार पर प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, गैर-क्षतिकारी कीमत की गणना की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या सब्सिडी मार्जिन से कम सब्सिडी-रोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

xviii. वर्तमान जाँच के प्रयोजन के लिए जाँच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 माह) है। क्षति जाँच अवधि में पिछले तीन वर्षों के आँकड़े शामिल हैं, अर्थात् अप्रैल 2021 से मार्च 2022, अप्रैल 2022 से मार्च 2023, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 और जाँच अवधि।

xix. इस जाँच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर, जहाँ तक वे साक्ष्यों से समर्थित हैं और वर्तमान जाँच के लिए प्रासंगिक माने गए हैं, इन अंतिम निष्कर्षों में उचित रूप से विचार किया गया है।

xx. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई जानकारी की, गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई। संतुष्ट होने पर, जहाँ भी उचित था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया गया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहाँ भी संभव था, गोपनीय आधार पर जानकारी देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर दाखिल जानकारी का पर्याप्त गोपनीयता-रहित संस्करण प्रस्तुत करें।

xxi. नियमों के नियम 7(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 08.05.2026 को आयोजित सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में उपस्थित होने वाले और अपने विचार प्रस्तुत करने वाले सभी पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दाखिल करें। पक्षकारों को इसके बाद अपने प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया गया। इस जाँच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए

अनुरोधों का, जहाँ भी वे प्रासंगिक पाए गए, इन अंतिम निष्कर्षों में समाधान किया गया है।

xxii. जहाँ किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जाँच के दौरान पहुँच से इनकार किया है, या अन्यथा आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, या जाँच में उल्लेखनीय बाधा डाली है, ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना गया है और अंतिम निष्कर्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दर्ज किए गए हैं।

xxiii. संबद्ध देशों के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण और सत्यापन भी, जहाँ तक आवश्यक समझा गया, किया गया है और वर्तमान अंतिम निष्कर्षों के प्रयोजन के लिए उस पर भरोसा किया गया है।

xxiv. जाँच के आवश्यक तथ्यों वाला एक प्रकटीकरण विवरण, जो अंतिम निष्कर्षों का आधार बना है, दिनांक 17 सितंबर 2026 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर 24.09.2026 तक अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटीकरण-पश्चात् टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं, जैसा कि नीचे खंड थ में दर्ज है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, उठाए गए तर्कों तथा प्रकटीकरण विवरण पर प्राप्त टिप्पणियों पर, जहाँ तक वे प्रासंगिक, पुनरावृत्ति-रहित और साक्ष्य द्वारा समर्थित पाई गईं, इस अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना में विचार किया गया है।

xxv. इस अंतिम निष्कर्ष में "***" किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई जानकारी को दर्शाता है और प्राधिकारी द्वारा नियमों के अंतर्गत उसे उसी रूप में माना गया है।

xxvi. अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 85.43 है। यह सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा आयातित वस्तुओं के मूल्य के परिवर्तन के लिए अधिसूचित दरों का साधारण औसत है, जिसमें जाँच अवधि के बारह महीनों में से प्रत्येक माह में प्रचलित दरों को लिया गया है (स्रोत: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate)।

xxvii. निर्यातक देश की मुद्रा का संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर में परिवर्तन। सब्सिडी की राशि को पहले उस मुद्रा में मापा जाता है जिसमें लाभ उत्पन्न हुआ और हर (भाजक) को व्यक्त किया जाता है। जहाँ इस प्रयोजन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर में परिवर्तन आवश्यक था, वहाँ प्राधिकारी ने वह दर लागू की है जिसका प्रयोग उत्तर देने वाले उत्पादक या निर्यातक ने जाँच अवधि के लिए अपने प्रश्नावली उत्तर में स्वयं किया है, और वह दर प्रतिवादी की अपनी बहियों और सहायक अभिलेखों से ली गई है। प्रत्येक मामले में इस प्रकार लागू की गई दर उस प्रतिवादी के लिए सब्सिडी निर्धारण में दर्ज है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. आरंभ के चरण में विचाराधीन उत्पाद को इस प्रकार परिभाषित किया गया था:

वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद, इंडोनेशिया और मलेशिया के मूल का अथवा वहाँ से निर्यात किया गया, "4 मिमी से 12 मिमी (दोनों सहित) तक की सांकेतिक मोटाई वाला क्लियर फ्लोट ग्लास" है, जहाँ सांकेतिक मोटाई बीआईएस 14900:2000 के अनुसार है।

ग.1 उत्पादकों / निर्यातकों / आयातकों / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध इस प्रकार हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद "4 मिमी से 12 मिमी (दोनों सहित) तक की सांकेतिक मोटाई वाला क्लियर फ्लोट ग्लास" है, जहाँ सांकेतिक मोटाई बीआईएस 14900:2000 (यथासंशोधित) के अनुसार है।

ii. क्लियर फ्लोट ग्लास का उपयोग निर्माण, प्रशीतन, दर्पण और सौर ऊर्जा उद्योगों में किया जाता है। यह उत्पाद उच्च गुणवत्ता का काँच है। इसकी अंतर्निहित मजबूती, उच्च प्रकाशीय पारदर्शिता और विरूपण-मुक्त चिकनी सतह के कारण विभिन्न प्रयोजनों के लिए इस उत्पाद के अनुप्रयोग बढ़ते जा रहे हैं।

iii. फ्लोट ग्लास का वर्गीकरण अध्याय शीर्ष 70 "काँच और काँच के बने सामान" के अंतर्गत किया गया है। संबद्ध वस्तुओं का आयात टैरिफ शीर्ष 7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019 और 7020 के अंतर्गत भी किया जाता है। सीमा

शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह किसी भी प्रकार से उत्पाद के दायरे को बाध्य नहीं करता।

iv. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं और तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से एक-दूसरे के स्थानापन्न हैं। इसलिए उन्हें नियमों के अंतर्गत "समान वस्तु" माना जाना चाहिए।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

7. वर्तमान जाँच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद "4 मिमी से 12 मिमी (दोनों सहित) तक की सांकेतिक मोटाई वाला क्लियर फ्लोट ग्लास" है, जहाँ सांकेतिक मोटाई बीआईएस 14900:2000 (यथासंशोधित) के अनुसार है।

8. क्लियर फ्लोट ग्लास का उपयोग निर्माण, प्रशीतन, दर्पण और सौर ऊर्जा उद्योगों में किया जाता है और इसे अध्याय शीर्ष 70 "काँच और काँच के बने सामान" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। 8-अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 70051090 है, यद्यपि संबद्ध वस्तुओं को ऊपर उल्लिखित उप-शीर्षों के अंतर्गत भी वर्गीकृत और आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह किसी भी प्रकार से उत्पाद के दायरे को बाध्य नहीं करता।

9. दायरे को स्पष्टता प्रदान करने और उपाय के परिवर्जन से बचाव के लिए, प्राधिकारी निम्नलिखित स्पष्टीकरण दर्ज करना उचित समझता है, जो आरंभ के समय अधिसूचित उत्पाद के दायरे का विस्तार नहीं करते:

i. संबद्ध वस्तुएँ सोडा-चूना-सिलिका काँच की वस्तुएँ हैं, जिन्हें पिघले हुए काँच की एक सतत पट्टी को पिघले हुए टिन अथवा पिघले हुए काँच से अधिक घनत्व वाली किसी अन्य तरल धातु के स्नान पर तैराकर, काँच को लेहर (एनीलिंग भट्टी) में तापानुशीतित करके और उसे निर्धारित आकार में काटकर बनाया जाता है।

ii. संबद्ध वस्तुओं का मूल देश वह देश है जहाँ सोडा-चूना-सिलिका काँच का पहली बार फ्लोट प्रक्रिया द्वारा विनिर्माण और तापानुशीतन किया जाता है, चाहे उसके बाद की किसी अनुप्रवाह परिष्करण या निर्माण प्रक्रिया का स्थान कोई भी हो।

iii. कटाई, किनारा-निर्माण, कोणीय कटाई, छिद्रण, पॉलिश, घिसाई, धुलाई और पैकिंग से वस्तुएँ दायरे से बाहर नहीं होतीं, बशर्ते कि पहली बार तैराया गया काँच विचाराधीन उत्पाद के विवरण को पूरा करता हो।

iv. विचाराधीन उत्पाद का लिखित विवरण, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, निर्णायक है।

10. "समान वस्तु" पद को नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है। प्राधिकारी ने क्षति के निर्धारण में उस पद को एकसमान रूप से दिए गए अर्थ को लागू किया है, अर्थात् ऐसी वस्तु जो जाँचाधीन वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान हो, अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में, कोई अन्य वस्तु, जो यद्यपि सभी प्रकार से समान न हो, परंतु जिसकी विशेषताएँ जाँचाधीन वस्तु से अत्यधिक मिलती-जुलती हों।

11. यह नोट किया जाता है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएँ और इंडोनेशिया तथा मलेशिया से आयातित वस्तुएँ भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक-दूसरे के स्थानापन्न हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएँ, नियमों के नियम 2(घ) के दायरे और अर्थ के भीतर, इंडोनेशिया और मलेशिया से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं।

12. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अन्य तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः यह पुष्ट किया जाता है कि वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जो आरंभ की अधिसूचना में उल्लिखित है, और यह ऊपर दर्ज स्पष्टीकरणों के अधीन है।

घ. घरेलू उद्योग और पात्रता

घ.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

13. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दायरे और पात्रता के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

अगोपनीय संस्करण

घ.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

14. घरेलू उद्योग के दायरे और पात्रता के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध इस प्रकार हैं:

i. वर्तमान आवेदन मेसर्स गोल्ड प्लस फ्लोट ग्लास प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, मेसर्स सेंट-गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स सिसेकैम फ्लैट ग्लास इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, जिनका जाँच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन में सामूहिक रूप से 85% हिस्सा है।

ii. देश में विचाराधीन उत्पाद के केवल दो अन्य ज्ञात उत्पादक हैं, अर्थात् मेसर्स आसाही इंडिया ग्लास लिमिटेड और मेसर्स गुजरात गार्डियन लिमिटेड। न तो उन्होंने वर्तमान जाँच का समर्थन किया है और न ही विरोध।

iii. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक से संबंधित नहीं है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

15. नियमों का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को इस प्रकार परिभाषित करता है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' से समान वस्तु के विनिर्माण और उससे संबद्ध किसी गतिविधि में लगे हुए समग्र घरेलू उत्पादक अथवा वे उत्पादक अभिप्रेत हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात है, सिवाय इसके कि जब ऐसे उत्पादक कथित सब्सिडीयुक्त वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों अथवा स्वयं उसके आयातक हों, जिस स्थिति में 'घरेलू उद्योग' पद का अर्थ शेष उत्पादकों से लगाया जा सकता है।"

16. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्तमान आवेदन मेसर्स गोल्ड प्लस फ्लोट ग्लास प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, मेसर्स सेंट-गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स सिसेकैम फ्लैट ग्लास इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, जिनका जाँच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन में सामूहिक रूप से 85% हिस्सा है, और जो इसलिए भारतीय उत्पादन के एक प्रमुख अनुपात का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदकों ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और न ही वे इंडोनेशिया और मलेशिया में संबद्ध वस्तुओं के किसी उत्पादक/निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से संबंधित हैं।

अगोपनीय संस्करण

17. उपर्युक्त को देखते हुए, तथा चूँकि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग की पात्रता के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है, प्राधिकारी यह मानता है कि आवेदक नियमों के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग का गठन करते हैं, और यह मानता है कि आवेदन नियमों के नियम 6(3) के अनुसार पात्रता के मापदंडों को पूरा करता है।

ङ. गोपनीयता

ङ.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

18. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. कि उनके द्वारा दाखिल उत्तर व्यापार सूचना के अनुसार हैं, और गोपनीयता-रहित संस्करण प्राधिकारी की प्रथा के अनुसार दाखिल किए गए हैं। अतः घरेलू उद्योग का यह आरोप गलत है कि उन्होंने उचित गोपनीयता-रहित संस्करण दाखिल नहीं किए।

ii. कि घरेलू उद्योग ने कई प्रमुख क्षति मापदंडों के वास्तविक अथवा समेकित आँकड़े भी रोक लिए हैं और केवल सूचकांकित प्रवृत्तियाँ प्रकट की हैं। ऐसा प्रकटीकरण प्रतिवादियों के हितों का सार्थक बचाव करने की अनुमति देने के लिए अपर्याप्त है। चार घरेलू उत्पादकों से संबंधित समेकित जानकारी को व्यावसायिक गोपनीय जानकारी प्रकट किए बिना प्रकट किया जा सकता था। दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता स्थापित प्रथा के अनुरूप नहीं है, विशेषकर तब जब उसी उत्पाद से संबंधित हाल की पाटनरोधी सूर्यास्त समीक्षा में समान मापदंडों के वास्तविक समेकित आँकड़े प्रकट किए गए थे।

iii. कि गोपनीयता को सामान्य बात के रूप में प्रदान नहीं किया जा सकता और यह उचित कारण से समर्थित होनी चाहिए। प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को यह निर्देश देना चाहिए कि वह जिस जानकारी पर भरोसा करता है, उसके पूर्ण और सार्थक गोपनीयता-रहित संस्करण प्रस्तुत करे। पर्याप्त प्रकटीकरण के अभाव में, नियमों के नियम 8(3) के अनुसार गोपनीय जानकारी की उपेक्षा की जानी चाहिए।

ङ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

19. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध इस प्रकार हैं:

i. कि उत्तर देने वाले निर्यातकों और सरकारों ने अपने प्रश्नावली उत्तरों में वर्णनात्मक और मात्रात्मक, दोनों प्रकार की जानकारी पर अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, जिसके

परिणामस्वरूप ऐसे गोपनीयता-रहित संस्करण बने हैं जो जिस जानकारी पर भरोसा किया गया है उसकी उचित समझ की अनुमति नहीं देते।

ii. कि गोपनीयता-रहित संस्करण आवश्यक जानकारी प्रकट करने में विफल रहे हैं, जिसमें सब्सिडी कार्यक्रमों के नाम, उनकी प्रकृति, संचालन ढाँचा और कार्यान्वयन प्राधिकरण, क्या ऐसे कार्यक्रमों का लाभ उठाया गया, लाभ न उठाने के कारण, तथा सहायक साक्ष्य शामिल हैं, जिससे सार्थक टिप्पणी करना बाधित हुआ है। जहाँ उचित हो वहाँ गोपनीय संख्यात्मक आँकड़ों को सूचकांकित किया जा सकता है, किंतु सब्सिडी कार्यक्रमों के अस्तित्व और उनकी आवश्यक विशेषताओं को वैध रूप से गोपनीय नहीं माना जा सकता।

iii. कि वर्तमान जाँच में घरेलू उद्योग की संरचना उसी उत्पाद से संबंधित पूर्व की पाटनरोधी सूर्यास्त समीक्षा से भौतिक रूप से भिन्न है। वास्तविक समेकित आँकड़ों का प्रकटीकरण हितबद्ध पक्षकारों, जिनमें प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादक भी शामिल हैं, को वर्तमान जाँच में प्रकट किए गए आँकड़ों की तुलना पिछली कार्यवाहियों और अन्य सार्वजनिक स्रोतों से उपलब्ध जानकारी से करके व्यक्तिगत उत्पादकों की गोपनीय व्यावसायिक जानकारी निकालने या उसका सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाता, जिससे गंभीर वाणिज्यिक क्षति होती। अतः घरेलू उद्योग ने नियमों के नियम 8 और व्यापार सूचना सं. 10/2018 के अनुरूप, अधिकतम संभव सीमा तक सूचकांकित प्रवृत्तियाँ और सार्थक गोपनीयता-रहित सारांश प्रकट किए हैं।

iv. कि जहाँ पर्याप्त प्रकटीकरण नहीं किया गया है, वहाँ प्राधिकारी को नियमों के नियम 7(8) और एससीएम करार के अनुच्छेद 12.7 के अनुसार उचित प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने चाहिए और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए।

ङ.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

20. जानकारी की गोपनीयता के संबंध में, नियमों का नियम 8 गोपनीय आधार पर दी गई जानकारी के व्यवहार का प्रावधान करता है, गोपनीय जानकारी के सार की उचित समझ की अनुमति देने के लिए पर्याप्त विस्तार से गोपनीयता-रहित सारांश की अपेक्षा करता है, तथा प्राधिकारी को ऐसी जानकारी की उपेक्षा करने की अनुमति देता है जहाँ गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा जानकारी देने वाला उसे सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने का इच्छुक नहीं है।

21. प्राधिकारी नोट करता है कि वर्तमान जाँच में घरेलू उद्योग की संरचना उसी उत्पाद से संबंधित पूर्व की पाटनरोधी सूर्यास्त समीक्षा से भिन्न है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस तर्क को भी नोट करता है कि वास्तविक समेकित आँकड़ों का प्रकटीकरण हितबद्ध पक्षकारों, जिनमें प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादक भी शामिल हैं, को ऐसे आँकड़ों की तुलना पिछली कार्यवाहियों और अन्य सार्वजनिक स्रोतों से उपलब्ध जानकारी से करके व्यक्तिगत उत्पादकों की गोपनीय व्यावसायिक जानकारी निकालने में सक्षम बना सकता था। प्राधिकारी का मत है कि घरेलू उद्योग ने नियमों के नियम 8 और व्यापार सूचना सं. 10/2018 के अनुसार गोपनीय व्यावसायिक जानकारी की सुरक्षा करते हुए यथासंभव सूचकांकित प्रवृत्तियाँ और गोपनीयता-रहित सारांश उपलब्ध कराए हैं। प्राधिकारी ने गोपनीय जानकारी की जाँच की है और संतुष्ट है कि गोपनीयता के दावे स्वीकार की गई सीमा तक उचित हैं।

22. प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में, प्राधिकारी सिद्धांततः घरेलू उद्योग के इस तर्क को स्वीकार करता है कि किसी सब्सिडी कार्यक्रम का अस्तित्व, विधिक आधार, प्रशासनिक प्राधिकरण और आवश्यक परिचालन विशेषताएँ गोपनीय व्यवहार के योग्य नहीं हैं। इन अंतिम निष्कर्षों के संबंधित खंड में कार्यक्रम-वार परीक्षण तदनुसार तैयार किया गया है, जिसमें परीक्षित प्रत्येक कार्यक्रम के लिए विधिक आधार, प्रशासनिक प्राधिकरण और आवश्यक विशेषताएँ निर्धारित की गई हैं, और केवल कंपनी-विशिष्ट मात्रा को ही, जहाँ दावा किया गया और स्वीकार किया गया, गोपनीय माना गया है।

23. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई जानकारी की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहाँ भी उचित था गोपनीयता के दावे स्वीकार किए हैं और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। व्यावसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी को प्रथा के अनुसार गोपनीय रखा गया है। प्राधिकारी नोट करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध किसी भी जानकारी को गोपनीय नहीं माना जा सकता।

च. <u>विविध अनुरोध और सहयोग</u>

च.1 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

24. घरेलू उद्योग के अनुरोध इस प्रकार हैं:

i. कि सहयोगी निर्यातकों के उत्तर स्वीकार नहीं किए जा सकते क्योंकि उन्होंने मलेशिया में अपनी संबंधित और परस्पर-स्वामित्व वाली संस्थाओं के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान नहीं की है। किबिंग ग्रुप (एम) के मामले में, मलेशिया किबिंग एनर्जी सेविंग ग्लास कंपनी

लिमिटेड और सीएस इको ग्लास (एम) एसडीएन. बीएचडी. की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है; और ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) के मामले में, ज़िनयी सोलर (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. और ज़िनयी फोटोवोल्टाइक (मलेशिया) कंपनी लिमिटेड की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। जब तक इन संस्थाओं के आँकड़ों की जाँच नहीं की जाती, प्राधिकारी संबंधित समूहों द्वारा प्राप्त कुल सब्सिडी लाभ की गणना करने की स्थिति में नहीं होगा।

ii. जिनजिंग टेक्नोलॉजी मलेशिया एसडीएन. बीएचडी. को अपनी संबंधित कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट किए गए अनुसार "5+5" वर्ष की नीति के अंतर्गत आयकर छूट प्राप्त हुई है, और प्राधिकारी को संबंधित अनुमोदनों, कर दाखिलों और लेखा अभिलेखों के साथ ऐसी छूट के अंतर्गत प्राप्त लाभ की सीमा की जाँच करनी चाहिए।

iii. कि निर्यातकों ने अधिकांश योजनाओं के संबंध में "लागू नहीं" इस आधार पर कहा है कि उन्होंने निर्दिष्ट कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठाया। तथापि, जहाँ कोई कंपनी किसी कार्यक्रम के लिए पात्र है, वहाँ यह मानने का कोई कारण नहीं है कि उसे उसके अंतर्गत लाभ नहीं मिला होगा, और कंपनी को या तो पात्रता की अनुपस्थिति दर्शानी चाहिए या यह प्रदर्शित करना चाहिए कि उसने अपने लिए उपलब्ध लाभ क्यों नहीं उठाया।

iv. कि मलेशिया सरकार ने जाँचाधीन कंपनियों से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है कि किन कंपनियों ने बताई गई सहायता के लिए आवेदन किया, दावा किया, प्राप्त की अथवा उपयोग की, और न ही उनकी संबंधित कंपनियों और उनके द्वारा प्राप्त लाभों की जानकारी दी है, और न ही अन्य क्षेत्राधिकारों द्वारा लगाए गए सब्सिडी शुल्कों के संबंध में मौखिक सुनवाई में माँगी गई जानकारी उपलब्ध कराई है। ऐसी अप्रस्तुति निर्यातक देश की सरकार से उत्तर प्राप्त करने के उद्देश्य को निष्फल कर देती है, और प्राधिकारी को नियमों के नियम 7(8) और एससीएम करार के अनुच्छेद 12.7 के अनुसार उपलब्ध तथ्य लागू करने चाहिए और उचित प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने चाहिए।

v. कि इंडोनेशिया सरकार ने केवल सहयोगी निर्यातक को प्रदान की गई सब्सिडी का ब्यौरा दिया है, अन्य इंडोनेशियाई उत्पादकों को दी गई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और पीटी ज़िनयी ग्लास इंडोनेशिया तथा पीटी केसीसी ग्लास इंडोनेशिया से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है।

vi. कि संबद्ध देशों की सरकारें और उत्तर देने वाले निर्यातक पूर्ण कार्यक्रम-वार प्रकटीकरण, सहायक साक्ष्य और अन्य क्षेत्राधिकारों में जाँचे गए सब्सिडी कार्यक्रमों को प्राधिकारी के समक्ष प्रकट किए गए कार्यक्रमों से जोड़ने वाली समरूपता तालिकाएँ प्रदान करने में विफल रहीं।

vii. कि आरंभ के चरण में साक्ष्य का मानक एससीएम करार के अनुच्छेद 11.2 और 11.3 के अंतर्गत आवेदक को युक्तियुक्त रूप से उपलब्ध जानकारी तक सीमित है, और प्रतिवादियों का यह तर्क कि आरंभ के चरण में निर्यातक-विशिष्ट साक्ष्य आवश्यक है, सब्सिडी-रोधी जाँचों को शासित करने वाले कानूनी ढाँचे के अनुरूप नहीं है।

viii. कि सहयोगी निर्यातकों का स्थल पर सत्यापन, जिसमें उनकी संबंधित और परस्पर-स्वामित्व वाली संस्थाओं के अभिलेखों का सत्यापन शामिल है, किया जाना चाहिए, क्योंकि पूर्व की मलेशियाई सूर्यास्त समीक्षा में निर्यातक आँकड़ों में कमियाँ और परिवर्तन पाए गए थे।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

25. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध इस प्रकार हैं:

i. कि आवेदन एससीएम करार के अनुच्छेद 11.2 और 11.3 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया साक्ष्य संबंधी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता, क्योंकि कई आरोपित कार्यक्रम उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा वित्तीय योगदान, लाभ, विशिष्टता या वास्तविक उपयोग के पर्याप्त साक्ष्य के बिना सामान्यीकृत सरकारी जानकारी, द्वितीयक स्रोतों अथवा अटकलों पर आधारित मान्यताओं पर आधारित हैं। चीन – जीओईएस (डीएस414) में विश्व व्यापार संगठन पैनल रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है।

ii. कि अनेक आरोपित सब्सिडी कार्यक्रमों की मात्र पहचान करना यह स्थापित नहीं करता कि किसी निर्यातक ने वास्तव में ऐसे कार्यक्रमों का लाभ उठाया अथवा कोई विशिष्ट और प्रतिकार-योग्य लाभ प्राप्त किया, और कोई भी निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए अनुमानों के बजाय सत्यापित कंपनी अभिलेखों पर आधारित होना चाहिए।

iii. कि प्रत्येक सहयोगी उत्पादक/निर्यातक को प्राधिकारी की स्थापित प्रथा के अनुरूप उसकी अपनी सत्यापित जानकारी के आधार पर एक व्यक्तिगत सब्सिडी मार्जिन और क्षति मार्जिन प्राप्त होना चाहिए।

iv. कि नीतिगत ऋण, भूमि की आपूर्ति और बिजली की आपूर्ति सहित नए उठाए गए सब्सिडी कार्यक्रमों की जाँच नियमों के नियम 6 और 6क की अपेक्षाओं का पालन किए बिना नहीं की जा सकती थी।

v. कि पहचाने गए कार्यक्रमों के अंतर्गत किसी भी सब्सिडी, वित्तपोषण, भूमि, बिजली रियायत अथवा अन्य सहायता को किसी संबंधित, परस्पर-स्वामित्व वाली अथवा सहयोगी संस्था के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं किया गया।

च.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

26. आरंभ के समय साक्ष्य के मानक के संबंध में। प्राधिकारी नोट करता है कि आरंभ के चरण में साक्ष्य का मानक एससीएम करार के अनुच्छेद 11.2 और 11.3 के अंतर्गत आवेदक को युक्तियुक्त रूप से उपलब्ध जानकारी तक सीमित है। आवेदक से जाँच से पहले उपयोग का निर्यातक-विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, जबकि ऐसी जानकारी केवल जाँच से ही प्राप्त हो सकती है। अतः प्राधिकारी इस तर्क को स्वीकार नहीं करता कि वर्तमान जाँच पर्याप्त साक्ष्य के बिना आरंभ की गई थी।

27. **व्यक्तिगत मार्जिन के संबंध में।** प्राधिकारी इस तर्क को स्वीकार करता है कि कोई सहयोगी उत्पादक/निर्यातक आवेदन में अंतर्विष्ट अनुमानों के बजाय अपनी स्वयं की सत्यापित जानकारी के आधार पर निर्धारित व्यक्तिगत सब्सिडी मार्जिन का हकदार है। तदनुसार, ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया), किबिंग ग्रुप (एम) और जिनजिंग टेक्नोलॉजी मलेशिया के लिए व्यक्तिगत सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किए गए हैं।

28. पात्रता और प्राप्ति के संबंध में। प्राधिकारी यह स्वीकार करता है कि जहाँ कोई प्रतिवादी किसी कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र है, वहाँ यह अनुमान उत्पन्न होता है कि कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए उपलब्ध था, और लाभ न उठाने का दावा करने वाले पक्षकार पर उस अनुमान को खंडित करने का भार होता है। तथापि, यह अनुमान उपलब्धता का है, प्राप्ति का नहीं, और यह दस्तावेजी अभिलेख के आधार पर खंडन-योग्य है। जहाँ निर्यातक देश की सरकार और प्रतिवादी, दोनों ने कहा है कि कार्यक्रम का लाभ नहीं उठाया गया, और प्रतिवादी की कर

विवरणियों, कर निर्धारणों, सीमा शुल्क प्रविष्टियों तथा लेखापरीक्षित लेखों की जाँच की गई है और उनमें कोई संगत दावा या क्रेडिट प्रकट नहीं होता, वहाँ अनुमान खंडित हो जाता है और प्राधिकारी संतुष्ट है कि जाँच अवधि के दौरान कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। प्राधिकारी दर्ज करता है कि यह निष्कर्ष प्रत्येक मामले में प्रतिवादी के अपने कर और सीमा शुल्क अभिलेखों पर, जिनकी उसके लेखापरीक्षित लेखों के विरुद्ध जाँच की गई, आधारित है, न कि उसके दावे अथवा केवल उसकी सरकार के कथन पर; कि जहाँ अभिलेखों से दावे की पुष्टि नहीं हुई, वहाँ प्राधिकारी ने ऐसा कहा है और कार्यक्रम को प्रतिकारित किया है; तथा कि यह निष्कर्ष उस प्रतिवादी तक सीमित है जिसके अभिलेखों की जाँच की गई, और असहयोगी उत्पादकों तथा निर्यातकों की स्थिति पर अवशिष्ट सब्सिडी मार्जिन के शीर्ष के अंतर्गत अलग से विचार किया गया है।

29. **जाँच के दौरान चिह्नित कार्यक्रमों के परीक्षण के संबंध में।** प्राधिकारी इस आपत्ति को स्वीकार नहीं करता कि जाँच के दौरान चिह्नित कार्यक्रमों का परीक्षण नहीं किया जा सकता। कोई जाँच प्राधिकारी आवेदन में चिह्नित कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं है। जहाँ जाँच के दौरान प्रकाश में आई जानकारी से कोई अतिरिक्त कार्यक्रम प्रकट होता है, प्राधिकारी उसकी जाँच कर सकता है, बशर्ते प्रभावित पक्षकारों को आरोप की, निर्भर किए गए आवश्यक तथ्यों की सूचना और अपने हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाए। यह शर्त पूरी हुई है: प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन के पश्चात् प्रत्येक सहभागी निर्यातक के समक्ष आरोपों को विशिष्ट रूप में रखा; प्रत्येक ने करारों, चालानों, अनुमोदनों और गणनाओं को प्रस्तुत करते हुए सारगर्भित उत्तर दिया; और निर्धारण के आधार सहित आवश्यक तथ्य दिनांक 17.09.2026 के प्रकटीकरण विवरण में सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किए गए, तथा पक्षकारों को उन पर टिप्पणी करने का अवसर दिया गया। कार्यक्रम 7 के रूप में निपटाई गई आयकर छूट का मुद्दा घरेलू उद्योग द्वारा जाँच के दौरान उठाया गया था, और इसकी जाँच स्वयं प्रतिवादी द्वारा अपने प्रश्नावली उत्तर के साथ दाखिल लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और आयकर संगणना के आधार पर की गई है।

30. मलेशिया सरकार के उत्तर की विश्वसनीयता के संबंध में। प्राधिकारी नोट करता है कि मलेशिया सरकार ने अनेक कार्यक्रमों के संबंध में कहा कि जाँच अवधि के दौरान किसी भी उत्तर देने वाले उत्पादक/निर्यातक को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, और यह कथन निवेश कर भत्ता, त्वरित पूँजी भत्ता, औद्योगिक भवन भत्ता, संयंत्र और मशीनरी भत्ता, बिक्री कर छूट और क्रेता ऋण गारंटी के संबंध में उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा स्वयं ही खंडित किया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि पुनर्निवेश भत्ता मलेशिया सरकार द्वारा प्रकट किए गए अथवा आवेदन में आरोपित कार्यक्रमों में शामिल नहीं है, फिर भी एक उत्तर देने वाले निर्यातक ने इसका लाभ उठाया और यह केवल डेस्क सत्यापन पर ही सामने आया।

अगोपनीय संस्करण

31. **उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारण।** नियमों का नियम 7(8) उपबंध करता है कि जहाँ कोई हितबद्ध पक्षकार पहुँच से इनकार करता है, अथवा उचित अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता, अथवा जाँच में उल्लेखनीय रूप से बाधा डालता है, वहाँ प्राधिकारी अपने समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है। प्राधिकारी निम्नानुसार निर्धारित करता है। मलेशिया सरकार का यह कथन कि किसी भी प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक को ऊपर उल्लिखित कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं हुआ, स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि स्वयं प्रतिवादी निर्यातकों ने इसका खंडन किया है, और प्राधिकारी ने उन निर्यातकों के उत्तरों में प्रस्तुत और सत्यापित जानकारी के आधार पर कार्यवाही की है। प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला गया है, जिनके उत्तर पूर्ण रूप से दाखिल किए गए, उनके समर्थक अभिलेखों से सत्यापित किए गए और प्रत्येक प्रश्न पर अनुपूरित किए गए। पुनर्निवेश भत्ते के संबंध में, जो न तो सरकार द्वारा और न ही आवेदन में प्रकट किया गया था, प्राधिकारी ने उसका लाभ उठाने वाले निर्यातक द्वारा रिपोर्ट की गई और साक्ष्यांकित राशि के आधार पर कार्यवाही की है। जिन उत्पादकों और निर्यातकों ने भाग नहीं लिया, उनके संबंध में सब्सिडी मार्जिन अवशिष्ट सब्सिडी मार्जिन शीर्ष के अंतर्गत संबंधित खंड में निर्धारित रीति से उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

32. **संबंधित और परस्पर-स्वामित्व वाली संस्थाओं के संबंध में।** डेस्क सत्यापन के चरण में प्राधिकारी ने नोट किया कि प्रतिवादी निर्यातकों ने मलेशिया में अपनी संबंधित, सहबद्ध और परस्पर-स्वामित्व वाली संस्थाओं तथा उनके साथ अपने लेन-देन का पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं किया था। इसे प्रकटीकरण विवरण में दर्ज किया गया, और प्रत्येक निर्यातक को अपनी टिप्पणियों के साथ ऐसा विवरण प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया, ऐसा न करने पर प्राधिकारी नियमों के नियम 7(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्यवाही कर सकता था। तत्पश्चात् प्राधिकारी ने, निर्यातक-वार, प्रकटीकरण-पश्चात् अनुरोधों की जाँच अभिलेख पर उपलब्ध लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और आयकर विवरणियों के साथ की है। उपलब्ध तथ्य आवश्यक जानकारी की उन विशिष्ट मदों पर लागू किए गए हैं जो प्रस्तुत नहीं की गईं अथवा जिनका निर्यातक के अपने अभिलेखों से खंडन होता है; प्रस्तुत और सत्यापित जानकारी की उपेक्षा नहीं की गई है। प्रत्येक निर्यातक के संबंध में निर्धारण खंड थ में दर्ज है।

33. स्थल पर सत्यापन के अनुरोध के संबंध में। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों और सरकारों के उत्तरों का स्थल पर सत्यापन किया जाए। प्राधिकारी नोट करता है कि सत्यापन का उद्देश्य प्रस्तुत जानकारी की सटीकता के बारे में प्राधिकारी को संतुष्ट करना है। वर्तमान जाँच में प्राधिकारी ने प्रत्येक उत्तर का डेस्क सत्यापन किया है, जिसमें प्रत्येक उत्तर की जाँच समर्थन में प्रस्तुत लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, कर

विवरणियों और निर्धारणों, सीमा शुल्क प्रविष्टियों, उपयोगिता चालानों, भूमि करारों, अनुमोदन पत्रों और सब्सिडी गणना पत्रकों के विरुद्ध की गई है, और जहाँ प्रस्तुत सामग्री अपूर्ण अथवा असंगत थी, वहाँ आगे स्पष्टीकरण और अतिरिक्त दस्तावेज माँगे और प्राप्त किए गए हैं। प्राधिकारी संतुष्ट है कि जिस जानकारी पर भरोसा किया गया है, वह इस निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सीमा तक सत्यापित की जा चुकी है, और इसलिए स्थल पर सत्यापन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

सब्सिडी का निर्धारण – कार्यप्रणाली, मापदंड, प्रतिकार-योग्यता और सब्सिडी मार्जिन

छ. कार्यप्रणाली

34. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9, नियमों के साथ पढ़ी जाने पर, प्रतिकार-योग्य सब्सिडी के निर्धारण को शासित करती है। सब्सिडी तब विद्यमान कही जाती है जब किसी सरकार या सार्वजनिक निकाय द्वारा वित्तीय योगदान, अथवा आय या कीमत समर्थन हो, जो प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान करता है, और सब्सिडी एससीएम करार के अनुच्छेद 2 के अर्थ के भीतर विशिष्ट है।

35. एससीएम करार का अनुच्छेद 14 प्राप्तकर्ता को मिलने वाले लाभ की गणना के लिए दिशानिर्देश और कार्यप्रणाली प्रदान करता है और यह अपेक्षा करता है कि जाँच प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त कोई भी पद्धति राष्ट्रीय विधान अथवा कार्यान्वयन विनियमों में प्रदान की गई हो तथा प्रत्येक विशेष मामले में उसका अनुप्रयोग पारदर्शी हो और उसकी पर्याप्त व्याख्या की गई हो। उस अपेक्षा के अनुसार, नियम सब्सिडी की मात्रा के निर्धारण की कार्यप्रणाली निर्धारित करते हैं, और इस जाँच में निर्धारण उन दिशानिर्देशों के अनुसार है।

36. प्राधिकारी ने प्रत्येक कार्यक्रम की जाँच निम्नलिखित तत्वों के क्रम में की है: (i) कानूनी आधार और प्रशासनिक प्राधिकरण; (ii) क्या किसी सरकार या सार्वजनिक निकाय द्वारा वित्तीय योगदान स्थापित होता है; (iii) क्या कार्यक्रम विशिष्ट है; (iv) क्या लाभ प्रदान किया गया है, और वह आधार जिस पर लाभ को मापा गया है; तथा (v) यथामूल्य सब्सिडी दर। जहाँ पहले तीन तत्वों में से कोई भी स्थापित नहीं होता, वहाँ कोई दर निर्धारित नहीं की गई है।

37. नियमों के अनुलग्नक। प्राधिकारी ने प्रतिकार-योग्य सब्सिडी की राशि का निर्धारण नियमों के अनुलग्नक IV के अनुसार किया है, जो सब्सिडी की राशि की गणना के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है, और यह जाँच की है कि क्या प्रत्येक कार्यक्रम एससीएम करार के अनुच्छेद 2 के साथ पढ़े गए नियमों के अनुलग्नक II के अनुसार सीमित संख्या में व्यक्तियों

को प्रदान की गई सब्सिडी है। क्षति का निर्धारण नियमों के अनुलग्नक I के साथ पढ़े गए नियमों के नियम 13 के अनुसार किया गया है।

38. **आवर्ती और अनावर्ती लाभ।** जो लाभ उसी वर्ष के भीतर प्रदान और उपभोग किया जाता है जिसमें वह उत्पन्न होता है, उसे आवर्ती माना गया है और उसी वर्ष में व्यय किया गया है। जो लाभ एक बार प्रदान किया जाता है किंतु उस परिसंपत्ति के जीवनकाल में उपभोग किया जाता है जिसका वह वित्तपोषण करता है, उसे अनावर्ती माना गया है और संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त नवीकरणीय भौतिक परिसंपत्तियों के 15 वर्ष के औसत उपयोगी जीवन में आबंटित किया गया है, तथा केवल जाँच अवधि से संबंधित भाग का ही प्रतिकार किया गया है। प्राधिकारी ने यह व्यवहार भूमि की आपूर्ति पर तथा उपकरणों पर बिक्री कर और मशीनरी पर आयात शुल्क से छूट पर लागू किया है। प्रत्येक अन्य कार्यक्रम के संबंध में प्राधिकारी ने संबंधित प्रतिवादी के अभिलेखों की जाँच की है और उस जाँच के आधार पर निर्धारित किया है कि लाभ आवर्ती है अथवा अनावर्ती, और इस प्रकार निर्धारित वर्गीकरण संबंधित कार्यक्रम पर दर्ज है। प्राकृतिक गैस और बिजली की आपूर्ति, कच्चे माल और उपभोग्य वस्तुओं पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट, तथा जाँच अवधि के भीतर आने वाले निर्धारण वर्ष में दावा किए गए आयकर भत्तों को आवर्ती माना गया है।

39. हर (भाजक)। जो सब्सिडी किसी विशेष उत्पाद से बँधी नहीं है, उसे प्राप्तकर्ता की कुल बिक्री पर आबंटित किया गया है; जो सब्सिडी किसी विशेष उत्पाद या सुविधा से बँधी है, उसे उस उत्पाद या सुविधा की बिक्री पर आबंटित किया गया है।

40. यथामूल्य सब्सिडी दर की गणना। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए दर की गणना एक भिन्न के रूप में की गई है। अंश जाँच अवधि के लिए आरोपणीय लाभ की राशि है। हर पिछले पैराग्राफ में वर्णित कारोबार है। दर हर के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया अंश है।

41. अंश (न्यूमरेटर) निम्नानुसार निकाला गया है। जहाँ लाभ आवर्ती है, वहाँ जाँच अवधि में उत्पन्न संपूर्ण लाभ लिया गया है। जहाँ लाभ अनावर्ती है, वहाँ लाभ की पहले पूर्ण गणना की गई है और फिर उसे पंद्रह वर्ष के औसत उपयोगी जीवन से विभाजित किया गया है, ताकि उसका केवल पंद्रहवाँ भाग ही जाँच अवधि में लिया जाए; प्राधिकारी ने यह व्यवहार भूमि की आपूर्ति पर तथा उपकरणों पर बिक्री कर और मशीनरी पर आयात शुल्क से छूट पर लागू किया है। शेष कार्यक्रमों के संबंध में प्राधिकारी ने संबंधित प्रतिवादी के सत्यापित अभिलेखों के आधार पर जाँच अवधि से संबंधित राशि निर्धारित की है, और अपनाया गया व्यवहार संबंधित कार्यक्रम पर दर्ज है। जहाँ लाभ हर (डिनॉमिनेटर) की मुद्रा से भिन्न मुद्रा में उत्पन्न होता है, वहाँ उसे प्रतिवादी द्वारा अपने स्वयं के प्रश्नावली उत्तर में प्रयुक्त दर पर हर की मुद्रा में परिवर्तित किया

गया है, ताकि अंश और हर एक ही मुद्रा में हों; प्रतिवादी द्वारा साक्ष्यांकित दर के स्थान पर प्राधिकारी की अपनी कोई दर प्रतिस्थापित नहीं की गई है।

42. प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अंश और हर संबंधित प्रतिवादी की बिक्री, लागत और कर संबंधी मामलों के विवरण हैं और उसके द्वारा नियमों के नियम 8 के अंतर्गत गोपनीय होने का दावा किया गया है। तदनुसार इन्हें इन अंतिम निष्कर्षों में "***" के रूप में दर्शाया गया है। गणना का आधार, जहाँ बेंचमार्क प्रयुक्त है वहाँ बेंचमार्क, लाभ को आवर्ती अथवा अनावर्ती माने जाने का व्यवहार, अपनाया गया हर और परिणामी यथामूल्य दर प्रत्येक मामले में निर्धारित की गई है, ताकि प्रत्येक प्रतिवादी अपने स्वयं के आँकड़ों से गणना का सत्यापन कर सके और प्रत्येक अन्य हितबद्ध पक्षकार पद्धति का परीक्षण कर सके।

43. इन अंतिम निष्कर्षों में दरें जिस आधार पर निर्धारित की गई हैं, वह निम्नानुसार है। प्राधिकारी ने स्वयं दो कार्यक्रमों के संबंध में दर निर्धारित की है, अर्थात् अपर्याप्त पारिश्रमिक पर भूमि की आपूर्ति और अपर्याप्त पारिश्रमिक पर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति, और प्रत्येक मामले में बेंचमार्क वह है जो प्राधिकारी द्वारा नीचे कार्यक्रम-वार दर्ज कारणों से अपनाया गया है। प्रत्येक अन्य कार्यक्रम के संबंध में प्राधिकारी ने प्रतिवादी द्वारा अपने सब्सिडी गणना अनुलग्नक में प्रस्तुत परिमाणन की जाँच उस प्रतिवादी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, कर विवरणियों और निर्धारणों, सीमा शुल्क प्रविष्टियों, उपयोगिता चालानों और अन्य समर्थक अभिलेखों से की है, और इस प्रकार परिमाणित राशियों के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया है। जहाँ प्राधिकारी इस प्रकार संतुष्ट है, वहाँ सत्यापित राशि को, छोड़े गए राजस्व अथवा प्रदत्त लाभ के सत्यापित परिमाणन के रूप में, लाभ का माप माना गया है और प्राधिकारी ने तदनुसार दर निर्धारित की है। जहाँ जाँच करने पर प्राधिकारी ने पाया है कि किसी परिमाणन का आधार ऊपर वर्णित आधार से भिन्न है, वहाँ उसने संबंधित कार्यक्रम पर उस भिन्नता को दर्ज किया है। इस प्रकार अपनाया गया आधार, और इस प्रकार दर्ज प्रत्येक भिन्नता, प्रकटीकरण विवरण में निर्धारित की गई थी, और उस पर हितबद्ध पक्षकारों की प्रकटीकरण-पश्चात् टिप्पणियों पर संबंधित कार्यक्रम पर तथा नीचे खंड थ में विचार किया गया है।

44. बेंचमार्क। जहाँ कोई कार्यक्रम सरकार द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित है, वहाँ लाभ चुकाई गई कीमत और उपयुक्त बेंचमार्क के बीच का अंतर है। एससीएम करार का अनुच्छेद 14(घ) आपूर्ति करने वाले देश में प्रचलित बाजार स्थितियों को वरीयता देता है। तथापि, जहाँ सरकार प्रमुख आपूर्तिकर्ता है और कीमत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्रशासित है, वहाँ देश के भीतर की कीमतें बाजार स्थितियों को प्रतिबिंबित नहीं करतीं और बेंचमार्क के रूप में कार्य

नहीं कर सकतीं, और देश के बाहर का बेंचमार्क आवश्यक है। अपनाया गया बेंचमार्क और उसे अपनाने के कारण नीचे कार्यक्रम-वार दर्ज किए गए हैं।

45. न्यूनतम सीमा (डी मिनिमिस) । 1% यथामूल्य से कम का सब्सिडी मार्जिन एससीएम करार के अनुच्छेद 11.9 के अनुसार न्यूनतम सीमा से कम (डी मिनिमिस) है, जबकि विकासशील देश सदस्य के लिए संगत सीमा अनुच्छेद 27.10 के अनुसार 2% यथामूल्य है।

46. आयात की नगण्य मात्रा के आधार पर इंडोनेशिया के संबंध में जाँच की समाप्ति को, जैसा कि ऊपर खंड ख में दर्ज है, देखते हुए इंडोनेशिया में सब्सिडी के अस्तित्व की कोई जाँच नहीं की गई है और उस देश के संबंध में कोई सब्सिडी मार्जिन निर्धारित नहीं किया गया है। तदनुसार इस खंड में परीक्षण मलेशिया तक सीमित है। प्राधिकारी ने मलेशिया के संबंध में आरोपित सभी बत्तीस कार्यक्रमों की प्रतिकार-योग्यता की जाँच की है, साथ ही प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रकट किए गए और डेस्क सत्यापन के दौरान तथा उसके पश्चात् प्राधिकारी द्वारा चिह्नित अतिरिक्त कार्यक्रमों की भी। कार्यक्रमों को तीन शीर्षों के अंतर्गत निपटाया गया है: प्रतिकार-योग्य निर्धारित किए गए तथा जाँच अवधि के दौरान प्राप्त किए गए कार्यक्रम; प्रतिकार-योग्य नहीं पाए गए कार्यक्रम; और जाँच अवधि के दौरान उपयोग में नहीं लाए गए निर्धारित कार्यक्रम।

ज. <u>मलेशिया</u>

ज.1 प्रतिकार-योग्य निर्धारित किए गए तथा जाँच अवधि के दौरान प्राप्त किए गए कार्यक्रम

<u>कार्यक्रम 1: अपर्याप्त पारिश्रमिक पर भूमि की आपूर्ति</u>

47. आरोप का मूल। यह कार्यक्रम आवेदन में आरोपित नहीं था और मलेशिया सरकार द्वारा प्रकट नहीं किया गया था। इसकी पहचान प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन के दौरान की, जिस पर सहयोगी निर्यातकों से भूमि के अधिग्रहण के तरीके, चुकाए गए प्रतिफल, लागू बेंचमार्क अथवा दिशानिर्देश मूल्य और अधिग्रहण की शर्तों के बारे में जानकारी माँगी गई।

48. निर्यातकों के अनुरोध। जिनजिंग टेक्नोलॉजी मलेशिया ने अनुरोध किया कि उसने भूमि का पट्टा अपनी चीनी सहयोगी संस्था से प्राप्त किया, जिसने प्रारंभ में यह पट्टा सरकारी स्वामित्व वाली संस्था कुलिम टेक्नोलॉजी पार्क कॉर्पोरेशन से 27.12.2017 के करार के अंतर्गत प्राप्त किया था; कि कोई दिशानिर्देश मूल्य उपलब्ध नहीं था; और तुलना के लिए पार्क में कोई अन्य औद्योगिक उपयोगकर्ता नहीं थे। किबिंग ग्रुप (एम) ने अनुरोध किया कि उसने निजी संस्था सैमसंग मलेशिया से और सरकार से संबंधित पक्षकार सेरिएमास डेवलपमेंट एसडीएन.

बीएचडी. से भूमि खरीदी; कि खरीद पारस्परिक वार्ता के माध्यम से और उचित बाजार मूल्य पर की गई; और कि मलेशियाई कराधान प्राधिकरण ने संगत अंतरण कीमत को बाजार कीमत के रूप में पुष्ट किया है। ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) ने अनुरोध किया कि संबंधित भूमि के टुकड़े पेरबादानान केमाजुअन नेगेरी मेलाका से निजी बिक्री के माध्यम से सीधे खरीदे गए; कि वह लागू दिशानिर्देश मूल्य का पता नहीं लगा सका; और कि वह पुष्टि नहीं कर सका कि क्या अन्य औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को समान कीमत और भुगतान की शर्तें उपलब्ध थीं।

49. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण – वित्तीय योगदान। भूमि की आपूर्ति तभी वित्तीय योगदान है जब भूमि किसी सरकार या सार्वजनिक निकाय द्वारा उपलब्ध कराई गई हो। प्राधिकारी ने प्रत्येक भूखंड के संबंध में स्थिति की जाँच की है:

i. ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) के मामले में, भूखंड एक राज्य विकास निगम से अधिग्रहित किए गए थे, जो एक सार्वजनिक निकाय है, और यह तत्व पूरा होता है।

ii. किबिंग ग्रुप (एम) के मामले में, एक भूखंड सरकार से जुड़ी संस्था से और एक ऐसे पक्षकार से अधिग्रहित किया गया जिसे प्रतिवादी निजी संस्था बताता है। किसी निजी विक्रेता से की गई खरीद किसी भी कीमत पर मलेशिया सरकार का वित्तीय योगदान नहीं है। प्राधिकारी ने इसलिए उस भूखंड को विचार से बाहर रखा है और केवल सरकार से जुड़ी संस्था से अधिग्रहित भूखंड की जाँच की है।

iii. जिनजिंग टेक्नोलॉजी मलेशिया के मामले में, पट्टेदारी हित मूल रूप से एक सरकारी स्वामित्व वाले निगम द्वारा आबंटित किया गया था और परस्पर-स्वामित्व वाली सहयोगी संस्था से प्रतिवादी को प्राप्त हुआ। प्राधिकारी निर्धारित करता है कि किसी परस्पर-स्वामित्व वाली सहयोगी संस्था का बीच में आना इस निष्कर्ष को निष्फल नहीं करता। भूमि संबद्ध देश की भूमि है, जिसे उस देश के एक निकाय ने उसी स्थल के संबंध में आबंटित किया है जहाँ संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन होता है, और आबंटन के बाद से वह हर समय उस उत्पादन के लिए समर्पित रही है। अन्यथा मानने से सरकारी आबंटन के लाभ को सहयोगी संस्था के माध्यम से स्वामित्व हस्तांतरित करके प्रतिकारी उपायों से अछूता रखने की अनुमति मिल जाएगी।

50. प्राधिकारी दर्ज करता है कि यह निर्धारण नीचे दर्ज नीतिगत ऋण पर उसके निर्धारण से भिन्न है। नीतिगत ऋण के मामले में, ऋण संबद्ध देश के बाहर के ऋणदाताओं द्वारा संबद्ध देश के बाहर की संस्थाओं को दिए गए थे, संबद्ध देश में स्थित किसी परिसंपत्ति के संबंध में नहीं, और सहयोगी संस्थाओं के बीच धन के बाद के अंतरण ने उन्हें मलेशिया सरकार के वित्तीय

योगदान में परिवर्तित नहीं किया। वर्तमान मामले में वित्तीय योगदान संबद्ध देश के एक निकाय द्वारा उस देश में स्थित उत्पादन स्थल के संबंध में किया गया।

51. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण – विशिष्टता। निर्दिष्ट औद्योगिक पार्क में भूमि सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं है। वह केवल उन उद्यमों को आबंटित की जाती है जिन्हें उस पार्क में प्रवेश दिया गया हो, आवेदन और अनुमोदन पर। इसलिए यह कार्यक्रम एससीएम करार के अनुच्छेद 2.2 के अर्थ के भीतर विशिष्ट है, क्योंकि यह निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के भीतर स्थित उद्यमों तक सीमित है, और वैकल्पिक रूप से अनुच्छेद 2.1(क) के अंतर्गत भी, क्योंकि यह प्रवेश के लिए अनुमोदित उद्यमों तक सीमित है।

52. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण – लाभ। किसी भी प्रतिवादी ने कोई दिशानिर्देश मूल्य प्रस्तुत नहीं किया, और किसी प्रतिवादी ने यह तर्क नहीं दिया है कि तुलना के लिए कोई समकालीन लेन-देन उपलब्ध है। प्राधिकारी ने मलेशिया औद्योगिक पार्क निर्देशिका पर भरोसा किया है, जिसे फेडरेशन ऑफ मलेशियन मैन्युफैक्चरर्स ने मलेशियन इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी और संबंधित हितधारकों के सहयोग से प्रकाशित किया है, और जो औद्योगिक पार्कों के बारे में जानकारी प्रदान करती है, जिसमें विकासकर्ता, कार्यकाल, बिक्री कीमतें और उपलब्ध बुनियादी ढाँचा शामिल हैं। यह निर्देशिका उपयुक्त औद्योगिक स्थानों का आकलन और पहचान करने के लिए निवेशक-उन्मुख संदर्भ के रूप में तैयार की गई थी, स्वतंत्र रूप से प्रकाशित है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, और राष्ट्रीय निवेश प्राधिकरण की भागीदारी से तैयार की गई थी। इसलिए प्राधिकारी उसमें रिपोर्ट की गई बिक्री कीमतों को मलेशिया में प्रचलित औद्योगिक भूमि कीमतों के संबंध में प्रासंगिक और वस्तुनिष्ठ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी, तथा लागू बेंचमार्क के निर्धारण के लिए उपयुक्त और विश्वसनीय आधार मानता है।

53. प्राधिकारी इस तर्क को स्वीकार नहीं करता कि निजी तौर पर वार्तालाप से किया गया लेन-देन, या दिशानिर्देश मूल्य की अनुपस्थिति, यह स्थापित करती है कि चुकाया गया प्रतिफल प्रचलित बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। किसी राज्य निगम और आवेदक उद्यम के बीच वार्तालाप से तय कीमत, अतिरिक्त आधार के बिना, बाजार कीमत नहीं है; अनुच्छेद 14(घ) के अंतर्गत प्रश्न यह है कि क्या पारिश्रमिक प्रचलित बाजार स्थितियों के संदर्भ में पर्याप्त था, न कि यह कि क्या पक्षकारों ने वार्ता की। इसलिए प्राधिकारी ने वास्तव में चुकाए गए या संविदा किए गए प्रतिफल की तुलना संबंधित औद्योगिक पार्क के लागू बेंचमार्क दर से की है।

54. प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) के मामले में, प्रतिवादी द्वारा स्वयं प्रस्तुत जानकारी दर्ज करती है कि अधिग्रहित कुछ भूखंडों का उपयोग संबद्ध माल के उत्पादन के लिए नहीं किया जाता। जिस भूमि से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन

को समर्थन नहीं मिलता, उसके संबंध में प्रदान किया गया लाभ संबद्ध वस्तुओं को आरोपणीय नहीं है, और इसलिए उन भूखंडों को बाहर रखा गया है।

55. भूमि का अधिग्रहण एक बार का लाभ है जो कई वर्षों तक प्रयुक्त होने वाली परिसंपत्ति के संबंध में प्रदान किया जाता है, और इसलिए उसे अनावर्ती माना गया है तथा ऊपर कार्यप्रणाली में निर्धारित आबंटन नियम के अनुसार औसत उपयोगी जीवन पर आबंटित किया गया है, तथा केवल जाँच अवधि के लिए आरोपणीय भाग को ही प्रतिकारित किया गया है।

56. लाभ की गणना। लाभ की गणना भूखंड-दर-भूखंड की गई है। प्रत्येक पात्र भूखंड के लिए प्राधिकारी ने वर्ग फुट में क्षेत्रफल लिया है और उसे उस औद्योगिक पार्क के प्रति वर्ग फुट बेंचमार्क दर से गुणा किया है जिसमें वह भूखंड स्थित है, और इस प्रकार भूखंड का बेंचमार्क मूल्य प्राप्त किया है; उस मूल्य में से उसने प्रतिवादी द्वारा वास्तव में चुकाया गया या संविदा किया गया प्रतिफल घटाया है। संबंधित तीनों पार्कों में से प्रत्येक के मामले में लागू बेंचमार्क दर 35 रिंगिट प्रति वर्ग फुट है, जो मलेशिया औद्योगिक पार्क निर्देशिका में उस पार्क के लिए रिपोर्ट की गई दर है; जहाँ निर्देशिका किसी पार्क के लिए एक सीमा रिपोर्ट करती है, वहाँ सीमा का निचला सिरा लिया गया है।

57. अंश प्रतिवादी के पात्र भूखंडों के लिए इस प्रकार निकाली गई राशियों का कुल योग है, जिसे पंद्रह से विभाजित किया गया है, जो ऊपर कार्यप्रणाली में अपनाया गया औसत उपयोगी जीवन है। जिनजिंग टेक्नोलॉजी मलेशिया द्वारा धारित पट्टेदारी हित के मामले में प्राधिकारी ने लाभ को पंद्रह वर्ष के औसत उपयोगी जीवन पर आबंटित किया है, न कि पट्टे की साठ वर्ष की अवधि पर, क्योंकि अनुलग्नक IV के अंतर्गत आबंटन अवधि उत्पादन में प्रयुक्त परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से संबंधित है, न कि उस स्वत्व की अवधि से जिसके अंतर्गत वह धारित है। हर जाँच अवधि में प्रतिवादी का कुल कारोबार है, जो रिंगिट में व्यक्त किया गया है। संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयुक्त न होने वाले भूखंडों और निजी विक्रेता से अधिग्रहित भूखंड को पहले दर्ज कारणों से अंश से बाहर रखा गया है, जबकि हर प्रतिवादी का पूरा कारोबार ही रहता है, क्योंकि लाभ किसी विशेष उत्पाद से बँधा नहीं है।

58. अभिलेख पर उपलब्ध सत्यापित जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी निर्धारित करता है कि संबंधित निर्यातकों को भूमि अपर्याप्त पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप प्राप्तकर्ताओं को लाभ हुआ, कि कार्यक्रम विशिष्ट है, और कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित सब्सिडी मार्जिन इस प्रकार हैं:

अगोपनीय संस्करण

उत्पादक / निर्यातक	सब्सिडी मार्जिन	सीमा (%)
ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी.	***	0-10
किबिंग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी.	***	0-10
जिनजिंग टेक्नोलॉजी मलेशिया एसडीएन. बीएचडी.	***	0-10

<u>कार्यक्रम 2: अपर्याप्त पारिश्रमिक पर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति</u>

59. घरेलू उद्योग के विचार। मलेशिया सरकार सरकार-नियंत्रित संस्थाओं के माध्यम से घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमतों को विनियमित करती है और फ्लोट ग्लास निर्माताओं सहित औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रचलित बाजार कीमतों से कम कीमतों पर प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराती है। विनियमित कीमत ढाँचा पात्र औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय बाजार बेंचमार्क से कम कीमतों पर प्राकृतिक गैस प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जिससे उत्पादन लागत घटती है। सरकार, अपनी मूल्य निर्धारण नीति और विनियामक ढाँचे के माध्यम से, एससीएम करार के अनुच्छेद 14(घ) और अधिनियम की धारा 9 के अर्थ के भीतर अपर्याप्त पारिश्रमिक पर प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराती है। निर्यातकों द्वारा रिपोर्ट की गई गैस की कीमतें मलेशिया सरकार से विश्वसनीय और पूर्ण जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि केवल चालान कीमतें प्रस्तुत करना यह स्थापित नहीं करता कि ऐसी कीमतें अविकृत बाजार कीमतों की प्रतिनिधि हैं, और उचित रूप से समायोजित इंडोनेशियाई प्राकृतिक गैस कीमतों को बाहरी बेंचमार्क के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि इंडोनेशिया भौगोलिक रूप से निकट और आर्थिक रूप से तुलनीय क्षेत्रीय बेंचमार्क है।

60. सरकार और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध। मलेशिया सरकार और उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने अनुरोध किया कि घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमतें लागू वैधानिक और विनियामक ढाँचे के अंतर्गत निर्धारित की जाती हैं और किसी विशेष उद्यम अथवा उद्योग के लाभ के लिए स्थापित नहीं की गई हैं। उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने प्राकृतिक गैस लागू विनियमित औद्योगिक टैरिफ पर खरीदी और उन्हें कोई अधिमान्य कीमत निर्धारण अथवा कोई अतिरिक्त रियायत प्राप्त नहीं हुई जो अन्य समान स्थिति वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को उपलब्ध न हो। गैस क्रय करारों, चालानों और भुगतान अभिलेखों की प्रतियाँ प्रस्तुत की गईं। प्रतिवादियों ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित बेंचमार्क का विरोध किया और अनुरोध किया कि अंतरराष्ट्रीय एलएनजी कीमतें अथवा निर्यात कीमतें अनुच्छेद 14(घ) के अंतर्गत पारिश्रमिक की पर्याप्तता के निर्धारण के लिए उपयुक्त बेंचमार्क नहीं हैं।

61. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण – वित्तीय योगदान। घरेलू पाइप-आधारित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति एक विनियमित ढाँचे के अंतर्गत की जाती है, जिसमें पूर्णतः राज्य-स्वामित्व वाला एक निगम घरेलू आपूर्ति का एकमात्र समूहकर्ता है और जिसमें देय कीमत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्रशासित तंत्र के अंतर्गत निर्धारित की जाती है। उन शर्तों पर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति एससीएम करार के अनुच्छेद 1.1(क)(1)(iii) और अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सरकार या सार्वजनिक निकाय द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति है। मलेशिया सरकार ने ढाँचे के विनियमित स्वरूप का खंडन नहीं किया है।

62. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण – विशिष्टता। मलेशिया सरकार ने अनुरोध किया है कि घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमतें लागू वैधानिक और विनियामक ढाँचे के अंतर्गत निर्धारित की जाती हैं और किसी विशेष उद्यम अथवा उद्योग के लाभ के लिए स्थापित नहीं की गई हैं। प्रश्न यह नहीं है कि क्या ढाँचा फ्लोट ग्लास उद्योग का नाम लेता है। प्रश्न यह है कि क्या विनियमित कीमत उद्यमों को सामान्य रूप से उपलब्ध है, या केवल कुछ को। प्राधिकारी ने उस प्रश्न पर ढाँचे की जाँच की है और पाया है कि उपलब्धता दो अलग-अलग प्रकार से सीमित है।

63. पहला, संयोजन और श्रेणी द्वारा सीमित। विनियमित कीमत किसी भी ऐसे उद्यम को उपलब्ध नहीं है जो गैस खरीदना चाहता हो। यह केवल पाइप वितरण नेटवर्क से जुड़े उद्यम को, और केवल उस क्षेत्र में उपलब्ध है जहाँ तक ढाँचा विस्तृत है; और उस नेटवर्क के भीतर यह केवल उस उद्यम को उपलब्ध है जो लागू लिखतों के अंतर्गत निर्दिष्ट उपभोक्ता श्रेणियों में से किसी एक में आता हो, सरकार द्वारा या उसकी ओर से निर्धारित शर्तों पर। नेटवर्क से बाहर या निर्दिष्ट श्रेणी से बाहर का कोई उद्यम उस कीमत पर गैस बिल्कुल प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार सीमित उपाय नियमों के अनुलग्नक II के साथ पढ़े गए एससीएम करार के अनुच्छेद 2.1(क) के अर्थ के भीतर कुछ उद्यमों तक सीमित है, और वैकल्पिक रूप से अनुच्छेद 2.2 के अर्थ के भीतर निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में स्थित उद्यमों तक सीमित है।

64. दूसरा, लाभ की प्रकृति के कारण वास्तविक रूप में सीमित। यह मानते हुए भी कि विनियमित कीमत नाममात्र रूप से एक व्यापक वर्ग के लिए खुली है, वह जो लाभ प्रदान करती है वह समान रूप से वितरित नहीं होता। गैस पर कीमत रियायत का लाभ उपभोग की गई गैस के अनुपात में प्राप्त होता है। फ्लोट ग्लास के विनिर्माण के लिए भट्टी को लगातार तापमान पर बनाए रखना आवश्यक होता है और यह औद्योगिक गतिविधियों में सबसे अधिक गैस-गहन गतिविधियों में से एक है, और उत्तर देने वाले उत्पादक/निर्यातक बहुत बड़ी मात्रा में गैस के उपभोक्ता हैं। इसलिए इस प्रकृति की रियायत का उपयोग अनुच्छेद 2.1(ग) के अर्थ के भीतर

अगोपनीय संस्करण

सीमित संख्या में उद्यमों द्वारा, और मुख्यतः उन्हीं के द्वारा किया जाता है, चाहे लिखत की शर्तें कुछ भी कहें।

65. प्राधिकारी इसलिए निर्धारित करता है कि कार्यक्रम विशिष्ट है। प्राधिकारी दर्ज करता है कि पहला आधार ढाँचे की शर्तों पर और दूसरा उसके वास्तविक प्रभाव पर आधारित है, और कि दोनों में से कोई भी आधार पर्याप्त है।

66. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण – लाभ। प्राधिकारी ने विचार किया है कि क्या मलेशियाई विनियामक ढाँचे के अंतर्गत निर्धारित घरेलू संदर्भ कीमत बेंचमार्क के रूप में कार्य कर सकती है, और इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वह नहीं कर सकती। वह संदर्भ कीमत बाजार कीमत नहीं है। वह उसी ढाँचे के अंतर्गत निर्धारित प्रशासित कीमत है जिस पर सब्सिडी प्रदान करने का आरोप है, ऐसे बाजार में जहाँ पूर्णतः राज्य-स्वामित्व वाला निगम घरेलू आपूर्ति का एकमात्र समूहकर्ता है। जहाँ सरकार प्रमुख आपूर्तिकर्ता है और स्वयं कीमत निर्धारित करती है, वहाँ देश के भीतर की कीमत बाजार में सरकार की अपनी भूमिका से निर्धारित होती है और सरकार को मिलने वाले पारिश्रमिक की पर्याप्तता के माप के रूप में कार्य नहीं कर सकती; उसे अपनाना उपाय की परीक्षा उसी उपाय से करना होगा।

67. यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि कोई उपयोग-योग्य देश के भीतर का बेंचमार्क विद्यमान नहीं है, प्राधिकारी ने देश के बाहर का बेंचमार्क अपनाया है, अर्थात् वह कीमत जिस पर प्रशासित ढाँचे के बाहर इंडोनेशिया में प्राकृतिक गैस वाणिज्यिक शर्तों पर उपलब्ध थी, क्योंकि वह निकटतम क्षेत्रीय बाजार है जिसके लिए जाँच अवधि में प्रशासित ढाँचे के बाहर की कीमतें उपलब्ध हैं। इस प्रकार के क्षेत्रीय बेंचमार्क को अपनाने का प्रस्ताव घरेलू उद्योग ने दिया था, और इंडोनेशिया भौगोलिक रूप से निकट तथा संबद्ध देश के साथ आर्थिक रूप से तुलनीय है।

68. लागू की गई बेंचमार्क शृंखला उस कीमत का अनुसरण करती है जो वास्तव में प्रत्येक माह में उपलब्ध थी, क्योंकि प्राधिकारी ने प्रत्येक माह में वह अप्रशासित कीमत ली है जिस पर उस समय गैस प्राप्त की जा सकती थी, न कि एक वार्षिक औसत। विशेष रूप से, अप्रैल 2024 के लिए ली गई बेंचमार्क कीमत 11.89 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू थी, जो सबसे निचली प्रकाशित उपभोक्ता श्रेणी के लिए अप्रशासित पाइपलाइन कीमत के अनुरूप है। मई 2024 से दिसंबर 2024 की अवधि के लिए, बेंचमार्क कीमत पुनर्गैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस की कीमत पर आधारित 13.00 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू थी। अंत में, जनवरी 2025 से मार्च 2025 की अवधि के लिए, बेंचमार्क कीमत 16.77 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू थी, जो उस तिमाही के लिए पुनर्गैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस की कीमत को दर्शाती है।

अगोपनीय संस्करण

69. पुनर्गैसीकृत एलएनजी की कीमत आपूर्तिकर्ता द्वारा केवल मई 2024 में शुरू की गई थी, और इसलिए अप्रैल 2024 के लिए पाइपलाइन कीमत ली गई है। वह कीमत उपभोक्ता श्रेणी के अनुसार प्रकाशित की जाती है; प्रत्येक प्रतिवादी पर लागू श्रेणी अभिलेख पर नहीं है, और प्राधिकारी ने सबसे निचली प्रकाशित श्रेणी ली है, जो प्रतिवादियों के लिए सबसे कम प्रतिकूल स्तर है। अभिलेख पर दिखाई देने वाली 9.16 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की कीमत नहीं अपनाई गई है, क्योंकि वह 01.10.2023 को, अर्थात् जाँच अवधि आरंभ होने से छह माह पहले, प्रतिस्थापित हो चुकी थी।

70. प्राधिकारी ने लागू विनियामक ढाँचे, गैस आपूर्ति करारों, चालानों और भुगतान अभिलेखों, उपयुक्त बेंचमार्क पर परस्पर विरोधी अनुरोधों तथा अभिलेख पर रखी गई लाभ की गणनाओं की जाँच की है।

71. लाभ की गणना। जाँच अवधि के बारह महीनों में से प्रत्येक के लिए प्राधिकारी ने प्रतिवादी द्वारा एमएमबीटीयू में खरीदी गई प्राकृतिक गैस की मात्रा और उसके द्वारा वास्तव में चुकाई गई प्रति एमएमबीटीयू कीमत, जैसा कि उसके अपने चालानों से प्रतीत होता है, ली है, और मात्रा को उस राशि से गुणा किया है, यदि कोई हो, जिससे उस माह का बेंचमार्क चुकाई गई कीमत से अधिक है। जहाँ किसी माह का बेंचमार्क चुकाई गई कीमत से अधिक नहीं था, वहाँ उस माह के लिए कोई लाभ नहीं लिया गया है। अंश इस प्रकार निकाली गई बारह मासिक राशियों का योग है, जिसे प्रतिवादी द्वारा अपने उत्तर में प्रयुक्त दर पर रिंगिट में परिवर्तित किया गया है। हर जाँच अवधि में प्रतिवादी का रिंगिट में कुल कारोबार है, क्योंकि लाभ किसी विशेष उत्पाद से बँधा नहीं है। लाभ आवर्ती है और उसका संपूर्ण भाग जाँच अवधि में लिया गया है। अन्य इकाइयों में चालान की गई मात्राओं को उस परिवर्तन कारक पर एमएमबीटीयू में परिवर्तित किया गया है जिसका प्रयोग प्रतिवादी ने स्वयं किया।

72. अभिलेख पर उपलब्ध सत्यापित जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी निर्धारित करता है कि प्राकृतिक गैस अपर्याप्त पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराई गई, कि कार्यक्रम एक वित्तीय योगदान है जो प्रतिकार-योग्य लाभ प्रदान करता है, और कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित सब्सिडी मार्जिन इस प्रकार हैं:

उत्पादक / निर्यातक	**सब्सिडी मार्जिन**	सीमा (%)
ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी.	***	0-10

अगोपनीय संस्करण

उत्पादक / निर्यातक	**सब्सिडी मार्जिन**	सीमा (%)
किबिंग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी.	***	0-10
जिनजिंग टेक्नोलॉजी मलेशिया एसडीएन. बीएचडी.	***	0-10

<u>कार्यक्रम 3: निवेश कर भत्ता और पुनर्निवेश भत्ता</u>

73. घरेलू उद्योग के विचार। मलेशिया सरकार अनुमोदित निवेश करने वाले पात्र विनिर्माण उद्यमों को निवेश कर भत्ता प्रदान करती है, जो पात्र पूँजीगत व्यय के निर्धारित प्रतिशत की वैधानिक आय के विरुद्ध कटौती की अनुमति देता है और इस प्रकार पात्र उद्यमों की आयकर देयता को घटाता है। यह कार्यक्रम सरकार द्वारा छोड़ा गया राजस्व है और मापने योग्य वित्तीय लाभ प्रदान करता है।

74. सरकार और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध। मलेशिया सरकार ने निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 के अंतर्गत निवेश कर भत्ते को शासित करने वाले संबंधित प्रावधान प्रस्तुत किए और कहा कि जाँच अवधि के दौरान किसी भी उत्तर देने वाले उत्पादक/निर्यातक को संबद्ध वस्तुओं के संबंध में निवेश कर भत्ते का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। किबिंग ग्रुप (एम) ने अनुरोध किया कि उसने इस योजना के अंतर्गत लाभ का दावा किया था। ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) ने अनुरोध किया कि उसने वर्ष 2024 के दौरान आईटीए-समतुल्य आयकर छूट और पुनर्निवेश भत्ते का दावा किया था और संबंधित कर तथा अनुमोदन दस्तावेज प्रस्तुत किए। जिनजिंग टेक्नोलॉजी मलेशिया ने अनुरोध किया कि जाँच अवधि के दौरान उसे निवेश कर भत्ते अथवा निवेश-संबद्ध कटौतियों का लाभ नहीं मिला।

75. **प्राधिकारी द्वारा परीक्षण।** कोई भत्ता अथवा छूट, जो अन्यथा प्रभार्य कर को कम करती है, एससीएम करार के अनुच्छेद 1.1(क)(1)(ii) तथा अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सरकार का अन्यथा देय छोड़ा गया राजस्व है। निवेश कर भत्ता सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं है: यह निवेश संवर्धन अधिनियम के अंतर्गत केवल अनुमोदित संवर्धित गतिविधियों और संवर्धित उत्पादों के संबंध में, मलेशियाई निवेश विकास प्राधिकरण को आवेदन करने और उसके अनुमोदन पर प्रदान किया जाता है। सरकार द्वारा निर्दिष्ट गतिविधियों और उत्पादों तक सीमित तथा अनुमोदन पर प्रदत्त लाभ एससीएम करार के अनुच्छेद 2.1(क) और अनुच्छेद 2.1(ग) के अर्थ में विनिर्दिष्ट है। पुनर्निवेश भत्ता विनिर्माण में लगी उन कंपनियों तक सीमित है जो अर्हक परियोजनाओं में पुनर्निवेश करती हैं और इस प्रकार अनुच्छेद 2.1(क) के अंतर्गत उद्योगों के एक समूह तक सीमित है। प्राधिकारी नोट करता है कि मलेशिया सरकार का यह

अनुरोध कि इन कार्यक्रमों के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, सही नहीं है, क्योंकि दो सहभागी निर्यातकों ने इनके अंतर्गत लाभ प्राप्त करना स्वीकार किया है, और उनमें से एक ने ऐसा कार्यक्रम प्रकट किया है जिसे सरकार ने प्रकट ही नहीं किया था। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि जिनजिंग टेक्नोलॉजी मलेशिया को उत्तरी कॉरिडोर आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आयकर छूट प्राप्त थी, जिसकी जाँच कार्यक्रम 7 के रूप में की गई है।

76. प्रदान किया गया लाभ वह कर राशि है जो भत्ते अथवा छूट के अभाव में देय होती। ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) के मामले में, प्राधिकारी ने प्रतिवादी द्वारा रिपोर्ट की गई और उसकी कर विवरणियों तथा अनुमोदन दस्तावेजों से समर्थित कर कटौतियों को अपनाया है, जो वास्तव में छोड़े गए राजस्व का सत्यापित माप हैं।

77. **लाभ की गणना।** आयकर भत्ता उस आय को कम करके कार्य करता है जिस पर कर प्रभारित होता है। अतः लाभ वह कर है जो प्रतिवादी भत्ते के अभाव में अदा करता। प्राधिकारी ने प्रत्येक प्रतिवादी के मामले में जाँच अवधि के भीतर आने वाले निर्धारण वर्ष में दावा किए गए और स्वीकृत भत्ते की जाँच की है, जैसा कि उसकी कर विवरणियों, निर्धारणों और अनुमोदन दस्तावेजों से प्रकट होता है। ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) के मामले में प्राधिकारी ने स्वयं को संतुष्ट किया है कि इस प्रकार प्रकट राशि उस प्रतिवादी पर लागू कॉर्पोरेट आयकर की दर से गुणा किया गया समायोजित भत्ता है, और उस राशि को लाभ के रूप में लिया है। किबिंग ग्रुप (एम) के मामले में प्राधिकारी पाता है कि इस प्रकार प्रकट राशि स्वयं भत्ता है, न कि उस पर छोड़ा गया कर; यह निष्कर्ष प्रकटीकरण विवरण में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया था। उस प्रतिवादी की प्रकटीकरण-पश्चात् टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात्, प्राधिकारी ने लाभ की पुनर्गणना उस प्रतिवादी पर लागू 24 प्रतिशत की कॉर्पोरेट आयकर दर से गुणा किए गए समायोजित भत्ते के रूप में की है, और उस राशि को लाभ के रूप में लिया है। प्रत्येक मामले में अंश इस प्रकार निर्धारित राशि है। हर जाँच अवधि में प्रतिवादी का कुल कारोबार है, क्योंकि भत्ता किसी विशेष उत्पाद से जुड़ा नहीं है। लाभ आवर्ती है, क्योंकि यह उसी निर्धारण वर्ष में प्रदान और उपभोग किया जाता है जिसमें भत्ते का दावा किया जाता है, और उसकी संपूर्ण राशि जाँच अवधि में ली गई है; उसका कोई भाग किसी लंबी अवधि में आबंटित नहीं किया गया है। जहाँ किसी भत्ते को आगे ले जाया गया और उस वर्ष में समायोजित नहीं किया गया, वहाँ कोई लाभ नहीं लिया गया है, क्योंकि उस स्थिति में जाँच अवधि में कोई कर छोड़ा गया नहीं हुआ।

78. अभिलेख पर उपलब्ध सत्यापित जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी निर्धारित करता है कि ये कार्यक्रम एक वित्तीय योगदान हैं जो विशिष्ट है और प्रतिकार-योग्य लाभ प्रदान करता है, और कि उनके अंतर्गत निर्धारित सब्सिडी मार्जिन इस प्रकार हैं:

अगोपनीय संस्करण

उत्पादक / निर्यातक	कार्यक्रम	सब्सिडी मार्जिन	सीमा (%)
किबिंग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी.	निवेश कर भत्ता	***	0-10
ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी.	निवेश कर भत्ता और पुनर्निवेश भत्ता	***	0-10

कार्यक्रम 4: औद्योगिक भवन भत्ता और त्वरित पूँजी भत्ता

79. घरेलू उद्योग के विचार। मलेशिया सरकार पात्र औद्योगिक भवनों के संबंध में आयकर अधिनियम 1967 की अनुसूची 3 के अंतर्गत औद्योगिक भवन भत्ता प्रदान करती है, तथा त्वरित पूँजी भत्ता प्रदान करती है, जो पात्र पूँजीगत परिसंपत्तियों के त्वरित मूल्यह्रास की अनुमति देता है। दोनों कर योग्य आय को घटाते हैं और सरकार द्वारा छोड़ा गया राजस्व हैं।

80. सरकार और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध। मलेशिया सरकार ने लागू वैधानिक प्रावधान प्रस्तुत किए और कहा कि जाँच अवधि के दौरान किसी भी उत्तर देने वाले उत्पादक/निर्यातक को संबद्ध वस्तुओं के संबंध में किसी भी कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं हुआ। किबिंग ग्रुप (एम) ने अनुरोध किया कि उसे औद्योगिक भवन भत्ते के अंतर्गत लाभ प्राप्त हुआ था। ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) और जिनजिंग टेक्नोलॉजी मलेशिया ने अनुरोध किया कि उन्होंने त्वरित पूँजी भत्ते के अंतर्गत लाभ का दावा किया था।

81. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण। दोनों भत्ते अन्यथा प्रभार्य कर को घटाते हैं और एससीएम करार के अनुच्छेद 1.1(क)(1)(ii) के अंतर्गत छोड़ा गया राजस्व हैं। विशिष्टता के संबंध में, प्राधिकारी नोट करता है कि कोई भी भत्ता प्रत्येक करदाता को किसी भी प्रकार का व्यय करने पर उपलब्ध नहीं है। औद्योगिक भवन भत्ता केवल अनुसूची के अंतर्गत पात्र प्रकृति के भवनों पर व्यय के संबंध में उपलब्ध है, अर्थात् विनिर्माण और उसी प्रकार की गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त भवन, और इसलिए यह उन गतिविधियों में लगे उद्यमों तक सीमित है। त्वरित पूँजी भत्ता सामान्य पूँजी भत्ता व्यवस्था का भाग नहीं है, बल्कि परिसंपत्तियों की निर्दिष्ट श्रेणियों और निर्दिष्ट गतिविधियों के संबंध में समय-समय पर बनाए गए नियमों द्वारा प्रदान किया जाता है, और यह केवल उन उद्यमों को उपलब्ध है जो उन श्रेणियों की परिसंपत्तियाँ अर्जित करते हैं अथवा उन गतिविधियों को करते हैं। इसलिए प्रत्येक भत्ता नियमों के अनुलग्नक II के साथ पढ़े गए एससीएम करार के अनुच्छेद 2.1(क) के अर्थ के भीतर कुछ उद्यमों तक सीमित है। प्राधिकारी निर्धारित करता है कि दोनों कार्यक्रम विशिष्ट हैं। प्राधिकारी ने अभिलेख पर रखे गए प्रश्नावली उत्तरों, कर अभिलेखों और सत्यापन निष्कर्षों की जाँच की है।

82. **लाभ की गणना।** इनमें से प्रत्येक भत्ता अर्हक पूँजीगत व्यय के संबंध में, अन्यथा अनुमेय मूल्यह्रास की तुलना में उच्चतर दर पर अथवा पूर्वतर समय पर, कटौती की अनुमति देकर कार्य करता है। लाभ वह कर है जो त्वरित अथवा अतिरिक्त कटौती के कारण आस्थगित अथवा छोड़ा गया है, और प्राधिकारी ने प्रत्येक प्रतिवादी द्वारा दावा किए गए और स्वीकृत भत्ते की जाँच उसकी कर विवरणियों और निर्धारणों से की है। जिनजिंग टेक्नोलॉजी मलेशिया के मामले में प्राधिकारी ने स्वयं को संतुष्ट किया है कि इस प्रकार प्रकट राशि उस प्रतिवादी पर लागू कॉर्पोरेट आयकर की दर से गुणा किया गया भत्ता है, और उस राशि को लाभ के रूप में लिया है। किबिंग ग्रुप (एम) के मामले में प्राधिकारी पाता है कि इस प्रकार प्रकट राशि स्वयं भत्ता है; अतः पूर्ववर्ती कार्यक्रम के संबंध में बताए गए कारणों से, लाभ की पुनर्गणना उस प्रतिवादी पर लागू 24 प्रतिशत की कॉर्पोरेट आयकर दर से गुणा किए गए भत्ते के रूप में की गई है। अंश इस प्रकार निर्धारित राशि है और हर जाँच अवधि में प्रतिवादी का कुल कारोबार है। लाभ को उस निर्धारण वर्ष में उत्पन्न और उसी तक सीमित माना गया है जिसमें भत्ते का दावा किया गया था, क्योंकि कटौती उसी वर्ष में ली गई है; तदनुसार इसे उस परिसंपत्ति के औसत उपयोगी जीवन में आबंटित नहीं किया गया है जिससे व्यय संबंधित है, और केवल जाँच अवधि से संबंधित राशि का ही प्रतिकार किया गया है।

83. अभिलेख पर उपलब्ध सत्यापित जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी निर्धारित करता है कि ये कार्यक्रम प्रतिकार-योग्य लाभ प्रदान करते हैं, और कि उनके अंतर्गत निर्धारित सब्सिडी मार्जिन इस प्रकार हैं:

उत्पादक / निर्यातक	**कार्यक्रम**	**सब्सिडी मार्जिन**	सीमा (%)
किबिंग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी.	औद्योगिक भवन भत्ता	***	0-10
किबिंग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी.	त्वरित पूँजी भत्ता	***	0-10
जिनजिंग टेक्नोलॉजी मलेशिया एसडीएन. बीएचडी.	त्वरित पूँजी भत्ता	***	0-10

<u>कार्यक्रम 5: आयातित कच्चे माल और उपकरणों पर बिक्री कर छूट</u>

84. घरेलू उद्योग के विचार। मलेशिया सरकार पात्र निर्माताओं को निर्दिष्ट वस्तुओं, कच्चे माल, घटकों और पैकेजिंग सामग्री पर बिक्री कर के भुगतान से छूट देती है। ऐसी छूटें सरकार

द्वारा छोड़ा गया राजस्व हैं, पात्र उद्यमों की उत्पादन लागत घटाती हैं और मापने योग्य वित्तीय लाभ प्रदान करती हैं।

85. सरकार और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध। मलेशिया सरकार ने अनुरोध किया कि यह कार्यक्रम बिक्री कर (कर के भुगतान से छूट प्राप्त व्यक्ति) आदेश 2018 द्वारा शासित है। किबिंग ग्रुप (एम) ने अनुरोध किया कि उसने पंजीकृत निर्माता के रूप में अनुसूची ग की बिक्री कर छूट का लाभ उठाया, जो विनिर्माण गतिविधियों में प्रयुक्त कच्चे माल, घटकों और पैकेजिंग पर लागू होती है। जिनजिंग टेक्नोलॉजी मलेशिया और ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) ने अनुरोध किया कि वे लाइसेंस प्राप्त विनिर्माण गोदाम ढाँचे के अंतर्गत संचालित होते हैं और बिक्री कर के संबंध में उन्होंने अमेरिकी वाणिज्य विभाग के उस निर्धारण पर भरोसा किया कि बिक्री कर छूट का लाभ विक्रेता के बजाय क्रेता को प्राप्त होता है।

86. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण। अन्यथा देय कर से छूट एससीएम करार के अनुच्छेद 1.1(क)(1)(ii) के अंतर्गत छोड़ा गया राजस्व है।

87. अमेरिकी वाणिज्य विभाग के निर्धारण पर किए गए भरोसे के संबंध में, वह निर्धारण अभिलेख पर है और उसकी जाँच की गई है। उसमें दो अलग-अलग निष्कर्ष हैं: पहला, तैयार उत्पाद पर लागू छूट के संबंध में लाभ क्रेता को प्राप्त होता है, न कि विक्रेता को, क्योंकि उत्पादक की भूमिका क्रेता द्वारा वहन किए गए कर को प्रेषित करने तक सीमित है; और दूसरा, आदान सामग्री पर लागू छूट के संबंध में कार्यक्रम उस प्राधिकरण के समक्ष तत्कालीन अभिलेख पर विशिष्ट नहीं था। प्राधिकारी किसी अन्य सदस्य के जाँच प्राधिकरण के निर्धारण से बाध्य नहीं है और उसे निम्नलिखित कारणों से वर्तमान मामले में भिन्न मानता है:

i. पहला निष्कर्ष विचाराधीन कार्यक्रम पर लागू नहीं होता। वह उत्पादक की उत्पादन बिक्री पर कर से संबंधित है। यहाँ जाँची गई छूट प्रतिवादी के आदानों और उपकरणों पर छूट है, जिसके संबंध में प्रतिवादी स्वयं क्रेता है और इसलिए, उस निर्धारण के तर्क के अनुसार, वही पक्षकार है जिस पर लाभ पड़ता है।

ii. वह निर्धारण मलेशिया में तत्कालीन प्रचलित बिक्री कर विधान के अंतर्गत किया गया था। वर्तमान में विचाराधीन व्यवस्था 01.09.2018 से बिक्री कर अधिनियम 2018 के अंतर्गत लागू की गई थी, और विचाराधीन लिखत उसके अंतर्गत बनाए गए आदेश की अनुसूची ग है, जो अनुमोदित वस्तुओं की सूची के संबंध में पंजीकृत निर्माता द्वारा शाही मलेशियाई सीमा शुल्क विभाग को आवेदन और उसके अनुमोदन पर संचालित होती है। प्रतिवादी ने स्वयं छूट का वर्णन "पंजीकृत निर्माता के रूप में" प्राप्त किया गया बताया है। पूर्व के

विधान पर दिया गया गैर-विशिष्टता का निष्कर्ष वर्तमान विचाराधीन लिखत के स्वरूप को निर्धारित नहीं करता।

iii. वह निर्धारण एक भिन्न उत्पाद, एक भिन्न जाँच अवधि और भिन्न प्रतिवादियों से संबंधित था, और गैर-विशिष्टता का निष्कर्ष स्पष्ट रूप से उस जानकारी पर आधारित था जिसे वह प्राधिकरण उस मामले के अभिलेख पर एकत्र और सत्यापित कर सका।

88. विशिष्टता के संबंध में, प्राधिकारी कच्चे माल पर बिक्री कर छूट के संबंध में ऊपर दर्ज कारणों से निर्धारित करता है कि छूट सभी व्यक्तियों को अधिकार के रूप में उपलब्ध नहीं है, बल्कि अनुमोदित वस्तुओं की सूची के संबंध में किसी निर्दिष्ट निर्माता के आवेदन, पंजीकरण और अनुमोदन पर प्रदान की जाती है, और इसलिए एससीएम करार के अनुच्छेद 2.1(क) और अनुच्छेद 2.1(ग) के अर्थ के भीतर विशिष्ट है।

89. **लाभ की गणना।** छूट जाँच अवधि के दौरान लाई गई वस्तुओं पर लागू होती है, और लाभ वह बिक्री कर है जो छूट के अभाव में उन वस्तुओं पर देय होता। प्राधिकारी ने छूट प्रमाणपत्रों द्वारा आच्छादित और जाँच अवधि के दौरान प्रविष्ट वस्तुओं का मूल्य, जैसा कि प्रतिवादी की अपनी सीमा शुल्क प्रविष्टियों और क्रय अभिलेखों से प्रकट होता है, लिया है और उस मूल्य पर बिक्री कर की वह दर लागू की है जो अन्यथा प्रभार्य होती। अंश इस प्रकार परिकलित राशि है। हर जाँच अवधि में प्रतिवादी का कुल कारोबार है। कच्चे माल, उपभोग्य वस्तुओं और पैकिंग सामग्री के मामले में लाभ आवर्ती है, क्योंकि वस्तुओं का उपभोग उसी वर्ष में होता है, और संपूर्ण राशि जाँच अवधि में ली गई है। उपकरणों के मामले में, चूँकि वस्तुएँ अनेक वर्षों तक उत्पादन में प्रयुक्त पूँजीगत परिसंपत्तियाँ हैं, लाभ अनावर्ती है और, प्रतिवादी की प्रकटीकरण-पश्चात् टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात्, इसे पंद्रह वर्ष के औसत उपयोगी जीवन में आबंटित किया गया है, और इसका केवल पंद्रहवाँ भाग जाँच अवधि में लिया गया है। प्राधिकारी ने दोनों घटकों से संबंधित छूट प्रमाणपत्रों, सीमा शुल्क प्रविष्टियों और क्रय अभिलेखों की जाँच की है और इस प्रकार निर्धारित राशियों के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया है। उपकरणों पर निर्धारित दर उस आबंटन को दर्शाती है।

90. अभिलेख पर उपलब्ध सत्यापित जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी निर्धारित करता है कि कार्यक्रम एक वित्तीय योगदान है जो विशिष्ट है और प्रतिकार-योग्य लाभ प्रदान करता है, और कि उसके अंतर्गत निर्धारित सब्सिडी मार्जिन इस प्रकार हैं:

अगोपनीय संस्करण

उत्पादक / निर्यातक	घटक	सब्सिडी मार्जिन	सीमा (%)
किबिंग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी.	कच्चा माल	***	0-10
किबिंग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी.	उपकरण	***	0-10

कार्यक्रम 6: कच्चे माल, मशीनरी और कल-पुर्जों पर आयात शुल्क से छूट

91. घरेलू उद्योग के विचार। मलेशिया सरकार विनिर्माण गतिविधियों में प्रयुक्त आयातित कच्चे माल, घटकों, मशीनरी, कल-पुर्जों और उपभोज्य वस्तुओं पर आयात शुल्क से छूट प्रदान करती है। ऐसी छूटें उत्पादन लागत को घटाती हैं और एससीएम करार के अनुच्छेद 1.1(क)(1)(ii) के अंतर्गत सरकार द्वारा छोड़ा गया राजस्व हैं, और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उद्यमों के लिए विशिष्ट हैं।

92. सरकार और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध। मलेशिया सरकार ने अनुरोध किया कि कच्चे माल और घटकों पर आयात शुल्क से छूट सीमा शुल्क अधिनियम 1967 और संबंधित सीमा शुल्क अधिसूचनाओं द्वारा शासित है। तीनों सहयोगी मलेशियाई उत्पादकों/निर्यातकों ने अनुरोध किया कि उन्होंने कच्चे माल, कल-पुर्जों, सहायक उपकरणों और मशीनरी पर आयात शुल्क से छूट का लाभ उठाया – उनमें से दो ने सीमा शुल्क अधिनियम 1967 की धारा 65क के अंतर्गत स्थापित लाइसेंस प्राप्त विनिर्माण गोदाम योजना के अंतर्गत, और तीसरे ने लागू सीमा शुल्क ढाँचे के अंतर्गत। यह भी अनुरोध किया गया कि आयात जीएसटी से छूट मात्र एक समायोज्य अप्रत्यक्ष कर है और इसलिए सब्सिडी नहीं है, और एक अलग आरोप के संबंध में कि कल-पुर्जों, मशीनरी, उपकरणों और कच्चे माल पर आयात शुल्क और बिक्री कर से संबंधित छूटें निर्धारित उद्गम प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर भारत-आसियान मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत उपलब्ध अधिमान्य टैरिफ व्यवहार के अंतर्गत स्वतः उत्पन्न होती हैं, और इसलिए मलेशिया सरकार का कोई वित्तीय योगदान शामिल नहीं है।

93. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण। प्राधिकारी आयात जीएसटी के संबंध में तर्क को स्वीकार करता है: समायोज्य अप्रत्यक्ष कर, जिसे करदाता वैसे भी वसूल कर लेता, कोई लाभ प्रदान नहीं करता, और उस मद में कोई राशि प्रतिकारित नहीं की गई है। प्राधिकारी इसी प्रकार मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत अधिमान्य टैरिफ व्यवहार के संबंध में तर्क को स्वीकार करता है: ऐसा व्यवहार सब्सिडी नहीं है और उस मद में कोई राशि प्रतिकारित नहीं की गई है।

94. अन्यथा देय आयात शुल्क से छूट एससीएम करार के अनुच्छेद 1.1(क)(1)(ii) के अंतर्गत छोड़ा गया राजस्व है। लाइसेंस प्राप्त विनिर्माण गोदाम का लाइसेंस शाही मलेशियाई सीमा शुल्क विभाग को आवेदन और उसके अनुमोदन पर प्रदान किया जाता है, और छूट केवल लाइसेंस धारकों को अनुमोदित वस्तुओं की सूची के संबंध में उपलब्ध है। इसलिए कार्यक्रम एससीएम करार के अनुच्छेद 2.1(क) और अनुच्छेद 2.1(ग) के अर्थ के भीतर विशिष्ट है। प्राधिकारी नोट करता है कि एक प्रतिवादी के मामले में कच्चे माल पर छूट प्राप्त आयात शुल्क शून्य है, क्योंकि उसके कच्चे माल के आयात पर लागू टैरिफ शून्य है, और लाभ केवल मशीनरी और कल-पुर्जों पर उत्पन्न होता है।

95. **लाभ की गणना।** लाभ वह आयात शुल्क है जो छूट के अभाव में छूट के अंतर्गत प्रविष्ट वस्तुओं पर देय होता। प्राधिकारी ने जाँच अवधि के दौरान प्रत्येक छूट के अंतर्गत प्रविष्ट वस्तुओं का निर्धारणीय मूल्य, जैसा कि प्रतिवादी की अपनी सीमा शुल्क प्रविष्टियों से प्रकट होता है, लिया है और उस मूल्य पर संबंधित शीर्ष के लिए मलेशियाई सीमा शुल्क टैरिफ के अंतर्गत आयात शुल्क की वह दर लागू की है जो अन्यथा प्रभार्य होती। अंश इस प्रकार परिकलित राशि है; हर जाँच अवधि में प्रतिवादी का कुल कारोबार है। प्राधिकारी ने प्रत्येक प्रतिवादी की सीमा शुल्क प्रविष्टियों और उनसे प्रकट छोड़ा गया शुल्क की राशियों की जाँच की है। किबिंग ग्रुप (एम) के मामले में कच्चे माल पर छोड़ा गया शुल्क को पूर्ण रूप से जाँच अवधि में लिया गया है। ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) और जिनजिंग टेक्नोलॉजी मलेशिया के मामले में प्राधिकारी पाता है कि मशीनरी और कल-पुर्जों पर छोड़ा गया शुल्क को एकल राशि के रूप में रिपोर्ट किया गया है और बारह वर्ष की अवधि में आबंटित किया गया है, जबकि उस अवधि का आधार किसी भी अनुलग्नक में उल्लिखित नहीं है। अपनी प्रकटीकरण-पश्चात् टिप्पणियों में, उक्त प्रतिवादियों ने अनुरोध किया है कि आबंटन अवधि उनके प्रश्नावली उत्तरों और लेखा अभिलेखों द्वारा समर्थित है और इसे बनाए रखा जाना चाहिए। इसकी जाँच करने के पश्चात्, प्राधिकारी ने लाभ को, जो अनेक वर्षों तक उत्पादन में प्रयुक्त पूँजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित है, अनावर्ती माना है, और इसे कार्यप्रणाली में अपनाए गए पंद्रह वर्ष के औसत उपयोगी जीवन में आबंटित किया है, जो किबिंग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी. के मामले में उपकरणों पर छूट के व्यवहार के अनुरूप है। तदनुसार मशीनरी और कल-पुर्जों पर निर्धारित दरें अत्यंत कम हैं और चार दशमलव स्थानों तक दर्शाई गई हैं; प्राधिकारी दर्ज करता है कि ऐसी दर यह निर्धारण नहीं है कि कोई लाभ प्रदान नहीं किया गया, बल्कि यह कि जाँच अवधि से संबंधित राशि नगण्य है।

96. अभिलेख पर उपलब्ध सत्यापित जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी निर्धारित करता है कि कार्यक्रम एक वित्तीय योगदान है जो विशिष्ट है और प्रतिकार-योग्य लाभ प्रदान करता है, और कि उसके अंतर्गत निर्धारित सब्सिडी मार्जिन इस प्रकार हैं:

उत्पादक / निर्यातक	**घटक**	**सब्सिडी मार्जिन**	**सीमा (%)**
किबिंग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी.	कच्चा माल	***	0-10
ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी.	मशीनरी और कल-पुर्जे	***	0-10
जिनजिंग टेक्नोलॉजी मलेशिया एसडीएन. बीएचडी.	कच्चा माल	***	0-10
जिनजिंग टेक्नोलॉजी मलेशिया एसडीएन. बीएचडी.	मशीनरी और कल-पुर्जे	***	0-10

कार्यक्रम 7: उत्तरी कॉरिडोर आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आयकर छूट

97. **उत्पत्ति और विधिक आधार।** यह कार्यक्रम मलेशिया सरकार द्वारा प्रकट नहीं किया गया था। इसे घरेलू उद्योग द्वारा उठाया गया था। प्रतिवादी ने अपने प्रश्नावली उत्तर में इसका उल्लेख किया, यह कहते हुए कि उसे इसके अंतर्गत कोई वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हुआ, और समर्थन में अपने कर अभिलेख प्रस्तुत किए। यह कार्यक्रम उन अभिलेखों तथा वर्ष 2024 के लिए प्रतिवादी के स्वयं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और निर्धारण वर्ष 2024 के लिए उसकी आयकर विवरणी से स्थापित होता है। यह छूट आयकर अधिनियम 1967 की धारा 127(3)(ख) के अंतर्गत बनाए गए पी.यू.(ए) 112/2006, आयकर (छूट) (सं. 12) आदेश 2006 के अंतर्गत, उत्तरी कॉरिडोर कार्यान्वयन प्राधिकरण के माध्यम से प्रदान की जाती है, और निर्धारण वर्ष 2022 से 2026 तक, 2031 तक विस्तार-योग्य, अनुमोदित गतिविधियों से होने वाली सांविधिक आय के 100 प्रतिशत को छूट देती है। प्रतिवादी के स्वयं के अभिलेखों से स्थापित होता है कि यह छूट संपूर्ण जाँच अवधि के दौरान प्रवृत्त थी।

98. **प्राधिकारी द्वारा परीक्षण।** अन्यथा देय कर से छूट एससीएम करार के अनुच्छेद 1.1(क)(1)(ii) के अंतर्गत सरकार का अन्यथा देय छोड़ा गया राजस्व है। यह छूट केवल किसी निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के भीतर स्थित और प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित उद्यमों को उपलब्ध है, और तदनुसार एससीएम करार के अनुच्छेद 2.2 तथा, वैकल्पिक रूप से, अनुच्छेद 2.1(क) के अर्थ में विनिर्दिष्ट है।

99. **लाभ की गणना।** लाभ वह कर है जो छूट के अभाव में, जाँच अवधि के भीतर आने वाले निर्धारण वर्ष में, देय होता। उस वर्ष के प्रतिवादी के कर अभिलेख दर्शाते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई कर छोड़ा नहीं गया, क्योंकि छूट के साथ अथवा उसके बिना देय कर समान है। तदनुसार प्राधिकारी निर्धारित करता है कि जाँच अवधि में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई प्रतिकार-योग्य लाभ उत्पन्न नहीं हुआ, जो प्रतिवादी द्वारा अपने प्रश्नावली उत्तर में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूप है। इस कार्यक्रम की जाँच किसी भावी कार्यवाही में की जा सकती है। तदनुसार इस कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी मार्जिन निम्नानुसार है:

उत्पादक / निर्यातक	**सब्सिडी मार्जिन**	सीमा (%)
जिनजिंग टेक्नोलॉजी मलेशिया एसडीएन. बीएचडी.	शून्य	0-10

ज.2 प्रतिकार-योग्य नहीं पाए गए कार्यक्रम

<u>चीनी बैंकों से नीतिगत ऋण / बीआरआई क्षमता सहयोग परियोजनाएँ</u>

100. प्राधिकारी ने बीआरआई (बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव) से संबंधित कार्यक्रमों के अंतर्गत चीनी सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों से कथित नीतिगत ऋण के संबंध में स्पष्टीकरण माँगा, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या सहयोगी निर्यातकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई वित्तपोषण प्राप्त हुआ था। जिनजिंग टेक्नोलॉजी मलेशिया और ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) में से प्रत्येक ने अनुरोध किया कि उन्हें कथित कार्यक्रम के अंतर्गत कोई प्रत्यक्ष ऋण प्राप्त नहीं हुआ और कोई बीआरआई-संबद्ध निवेश नहीं था, जबकि पूर्वाग्रह के बिना नीतिगत ऋण की गणना प्रदान की। किबिंग ग्रुप (एम) ने अनुरोध किया कि उसने अपनी चीनी मूल कंपनी से ऋण प्राप्त किया था और मूल कंपनी ने बीआरआई औद्योगिक नीति के अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ऋण प्राप्त नहीं किया।

101. **प्राधिकारी द्वारा परीक्षण।** प्राधिकारी ने अनुरोधों की जाँच की है और नोट करता है कि संबंधित ऋण चीन में चीनी संस्थाओं द्वारा प्राप्त किए गए थे, न कि सहयोगी निर्यातकों द्वारा संबद्ध देशों के वित्तीय संस्थानों से। चीनी मूल कंपनी अथवा संबंधित संस्थाओं द्वारा अपनी मलेशियाई सहयोगी संस्थाओं को धन का बाद का अंतरण, अपने आप में, कथित कार्यक्रम के अंतर्गत मलेशिया सरकार द्वारा वित्तीय योगदान के प्रावधान अथवा मलेशियाई उत्पादकों/निर्यातकों को लाभ को स्थापित नहीं करता। तदनुसार, संबद्ध देश की सरकार द्वारा सहयोगी निर्यातकों को वित्तीय योगदान के साक्ष्य के अभाव में, उक्त ऋणों को वर्तमान जाँच में प्रतिकार-योग्य सब्सिडी नहीं माना जा सकता।

अगोपनीय संस्करण

<u>अपर्याप्त पारिश्रमिक पर बिजली की आपूर्ति</u>

102. प्राधिकारी ने लागू बिजली टैरिफ, बिजली खपत और संबंधित टैरिफ वर्गीकरण का ब्यौरा माँगा। जिनजिंग टेक्नोलॉजी मलेशिया ने अनुरोध किया कि वह टैरिफ श्रेणी एन6 के अंतर्गत आती है और बिजली के बिल तथा खपत की जानकारी प्रस्तुत की। किबिंग ग्रुप (एम) ने अनुरोध किया कि वह टैरिफ ई2 के अंतर्गत आता है, जो मध्यम वोल्टेज पीक/ऑफ-पीक औद्योगिक टैरिफ है, और बिजली के बिल प्रस्तुत किए। ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) ने टैरिफ श्रेणियाँ ई2 और ई3 रिपोर्ट कीं और बिजली के बिल तथा खपत की जानकारी प्रस्तुत की। प्रत्येक ने अनुरोध किया कि टैरिफ संबंधित श्रेणी में आने वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं पर समान रूप से लागू होता है और काँच उद्योग के लिए विशिष्ट नहीं है।

103. **प्राधिकारी द्वारा परीक्षण।** प्राधिकारी ने रिपोर्ट की गई टैरिफ श्रेणियों, अभिलेख पर प्रस्तुत बिजली के बिलों और खपत की जानकारी तथा अभिलेख पर रखी गई मलेशियाई बिजली आपूर्ति उद्योग की प्रकाशित टैरिफ अनुसूचियों की जाँच की है। उस जाँच पर प्राधिकारी नोट करता है कि:

i. प्रतिवादियों के बिलिंग में दर्ज इकाई दरें प्रत्येक प्रतिवादी पर लागू टैरिफ श्रेणी की प्रकाशित टैरिफ अनुसूची के अनुरूप हैं;

ii. प्रकाशित टैरिफ संबंधित श्रेणी के वोल्टेज और अधिकतम माँग के मापदंडों को पूरा करने वाले सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं पर लागू होते हैं, जो वस्तुनिष्ठ तकनीकी मापदंड हैं;

iii. प्रकाशित अनुसूचियाँ केवल पात्र उपभोक्ताओं को भौतिक रूप से कम दरों पर उपलब्ध पृथक विशेष औद्योगिक टैरिफ श्रेणियों का प्रावधान करती हैं, और किसी भी प्रतिवादी को ऐसी किसी श्रेणी के अंतर्गत आपूर्ति नहीं की गई थी; तथा

iv. बिलिंग से सरकार द्वारा वहन किया गया कोई तत्व प्रकट नहीं होता, क्योंकि अनुसूचित दरें लागू की गई हैं और लागू ईंधन लागत पास-थ्रू तथा नवीकरणीय ऊर्जा निधि प्रभार उसके अतिरिक्त उपभोक्ता पर लगाए गए हैं, और देय दरें जाँच अवधि के दौरान बढ़ी हैं।

104. अभिलेख पर उपलब्ध सत्यापित जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी निर्धारित करता है कि मलेशिया में बिजली की आपूर्ति एससीएम करार के अनुच्छेद 2 के अर्थ के भीतर विशिष्ट नहीं है और सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों को प्रतिकार-योग्य लाभ प्रदान नहीं करती, और उस मद में कोई राशि प्रतिकारित नहीं की गई है।

ज.3 जाँच अवधि के दौरान उपयोग में नहीं लाए गए निर्धारित कार्यक्रम

105. नीचे सूचीबद्ध प्रत्येक कार्यक्रम के संबंध में, मलेशिया सरकार और उत्तर देने वाले प्रत्येक उत्पादक/निर्यातक ने लाभ न उठाने की पुष्टि की है, और प्राधिकारी द्वारा जाँचे गए प्रश्नावली उत्तर, कर अभिलेख, सीमा शुल्क अभिलेख और सहायक दस्तावेज यह स्थापित करते हैं कि किसी भी सहयोगी उत्पादक/निर्यातक ने जाँच अवधि के दौरान किसी लाभ के लिए आवेदन नहीं किया अथवा उसे प्राप्त नहीं किया। इसलिए प्राधिकारी निर्धारित करता है कि इन कार्यक्रमों का जाँच अवधि के दौरान उपयोग नहीं किया गया, और सैद्धांतिक रूप से उनकी प्रतिकार-योग्यता पर निष्कर्ष पर पहुँचना आवश्यक नहीं है।

#	कार्यक्रम	#	कार्यक्रम
1	बाजार विकास अनुदान	12	मलेशियाई ब्रांड के संवर्धन के लिए दोहरी कटौती
2	विज्ञान निधि	13	ईसीईआर में विनिर्माण और विनिर्माण-संबंधी सेवाओं के लिए प्रोत्साहन
3	टेक्नो निधि	14	आयात शुल्क, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क पर शुल्क वापसी
4	इन्नो निधि	15	आउटसोर्सिंग विनिर्माण गतिविधियों के लिए आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट
5	क्रैडल निवेश कार्यक्रम	16	निर्यात के संवर्धन के लिए दोहरी कटौती
6	अनुसंधान और विकास निधि का व्यावसायीकरण	17	निर्यात कार्गो के संवर्धन के लिए दोहरी कटौती
7	निर्यात उत्कृष्टता कार्यक्रम	18	लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्रोत्साहन
8	निर्यात ऋण पुनर्वित्त	19	बढ़े हुए निर्यात के लिए भत्ता
9	पायनियर दर्जा	20	मुक्त व्यापार क्षेत्रों में निर्यातकों के लिए कर छूट
10	समूह राहत	21	आंतरिक अनुसंधान और विकास के लिए कर प्रोत्साहन

#	कार्यक्रम	#	कार्यक्रम
11	टैरिफ-संबंधी प्रोत्साहन	22	लघु और मध्यम उद्यमों को सुगम ऋण

106. क्रम संख्या 18 और 22 के कार्यक्रमों के संबंध में, प्राधिकारी अतिरिक्त रूप से नोट करता है कि उत्तर देने वाले उत्पादक/निर्यातक लागू मापदंडों के अंतर्गत लघु अथवा मध्यम उद्यम की वैधानिक परिभाषा को पूरा नहीं करते, जिसमें मलेशियाई स्वामित्व और व्यवसाय के आकार से संबंधित निर्धारित सीमाएँ शामिल हैं, और इसलिए अपात्र हैं। क्रम संख्या 13 के कार्यक्रम के संबंध में, कोई भी प्रतिवादी पूर्वी तट आर्थिक गलियारे के भीतर स्थित नहीं है। क्रम संख्या 9 के कार्यक्रम के संबंध में, जिनजिंग टेक्नोलॉजी मलेशिया एसडीएन. बीएचडी. द्वारा धारित आयकर छूट की, जिसका उल्लेख उसने अपने प्रश्नावली उत्तर में किया था, जाँच कार्यक्रम 7 के रूप में की गई है।

107. क्रम संख्या 14 के कार्यक्रम के संबंध में, प्राधिकारी मलेशिया सरकार के इस अनुरोध को नोट करता है कि शुल्क वापसी कार्यक्रम शाही मलेशियाई सीमा शुल्क विभाग द्वारा आयातित वस्तुओं पर चुकाए गए आयात शुल्क, जिन्हें बाद में पुनः निर्यात किया जाता है, की वापसी के लिए मामला-दर-मामला आवेदनों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, और यह एससीएम करार के परिशिष्ट I, II और III के अनुरूप है। प्राधिकारी दर्ज करता है कि निर्यात उत्पादों के उत्पादन में उपभोग किए गए आदानों पर वास्तव में लगाए गए शुल्क की माफी तक सीमित शुल्क वापसी योजना सब्सिडी नहीं है, और केवल अतिरिक्त माफी प्रतिकार-योग्य है। किसी भी प्रतिवादी ने कार्यक्रम का लाभ नहीं उठाया है, इसलिए यह निर्धारित करना आवश्यक नहीं है कि कोई अतिरिक्त माफी उत्पन्न होती है या नहीं, और प्राधिकारी ऐसा नहीं करता।

ज.4 प्राप्त किए गए अथवा आरोपित कार्यक्रम, जिनमें कोई प्रतिकार-योग्य लाभ स्थापित नहीं हुआ

108. **क्रेता ऋण गारंटी।** घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया कि मलेशिया सरकार मलेशियाई निर्यातों के क्रेताओं को दिए गए ऋण का समर्थन करने वाली गारंटियाँ प्रदान करती है। मलेशिया सरकार ने इस कार्यक्रम की पहचान एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ मलेशिया बरहाद द्वारा प्रशासित बैंकर्स ट्रेड क्रेडिट तकाफुल के रूप में की है, जो विदेशी क्रेताओं द्वारा चूक से उत्पन्न गैर-भुगतान के जोखिम से वित्तीय संस्थाओं की रक्षा करता है, और कहा है कि जाँच अवधि के दौरान किसी भी प्रतिवादी उत्पादक अथवा निर्यातक को इसके अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) और किबिंग ग्रुप (एम) में से प्रत्येक ने कहा कि न तो उन्हें और न ही उनके विदेशी क्रेताओं को इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई वित्तपोषण अथवा गारंटी

अगोपनीय संस्करण

प्राप्त हुई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षण वित्तीय संस्था को प्रदान किया जाता है, न कि उत्पादक अथवा निर्यातक को, अतः किसी उत्पादक अथवा निर्यातक को लाभ कार्यक्रम के अस्तित्व मात्र से नहीं निकलता बल्कि उसे स्थापित किया जाना चाहिए; और कोई निर्यात ऋण गारंटी अथवा बीमा कार्यक्रम तब प्रतिकार-योग्य है जब प्रीमियम दरें कार्यक्रम की दीर्घकालिक परिचालन लागतों और हानियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हों (नियमों के अनुलग्नक III की मद (ञ))। किसी भी पक्षकार ने प्रीमियम दरों अथवा कार्यक्रम की दीर्घकालिक परिचालन लागतों और हानियों से संबंधित कोई सामग्री अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की है, और न ही घरेलू उद्योग ने कोई तुलनीय प्रस्तावित किया है। ऐसी सामग्री के अभाव में प्राधिकारी निर्धारित करता है कि इस जाँच के अभिलेख पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई प्रतिकार-योग्य लाभ स्थापित नहीं हुआ है, और तदनुसार कोई राशि प्रतिकारित नहीं की गई है।

झ. <u>सब्सिडी मार्जिन</u>

झ.1 मलेशिया

109. मलेशिया के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में निर्धारित सब्सिडी मार्जिन इस प्रकार हैं:

ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी.

कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन	सीमा (%)	सब्सिडी की प्रकृति
प्राकृतिक गैस पर सब्सिडी	प्राकृतिक गैस का सरकार-विनियमित मूल्य निर्धारण	***	0-10	अपर्याप्त पारिश्रमिक पर वस्तुओं की आपूर्ति
निवेश कर भत्ता और पुनर्निवेश भत्ता	अनुमोदित संवर्धित गतिविधि और पात्र पुनर्निवेश पर आयकर भत्ता, जो एकल राशि के रूप में रिपोर्ट किया गया और उसी रूप में निर्धारित किया गया	***	0-10	छोड़ा गया राजस्व

अगोपनीय संस्करण

कार्यक्रम का नाम	**संक्षिप्त विवरण**	**सब्सिडी मार्जिन**	**सीमा (%)**	**सब्सिडी की प्रकृति**
अपर्याप्त पारिश्रमिक पर भूमि	अपर्याप्त पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराई गई भूमि	***	0-10	अपर्याप्त पारिश्रमिक पर वस्तुओं की आपूर्ति
आयात शुल्क छूट	मशीनरी और कल-पुर्जों पर आयात शुल्क से छूट	***	0-10	छोड़ा गया राजस्व
कुल सब्सिडी दर		**11.61%**	**10-20**	

किबिंग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी.

कार्यक्रम का नाम	**संक्षिप्त विवरण**	**सब्सिडी मार्जिन**	**सीमा (%)**	**सब्सिडी की प्रकृति**
प्राकृतिक गैस पर सब्सिडी	प्राकृतिक गैस का सरकार-विनियमित मूल्य निर्धारण	***	0-10	अपर्याप्त पारिश्रमिक पर वस्तुओं की आपूर्ति
बिक्री कर छूट – कच्चा माल	पात्र कच्चे माल और पैकेजिंग पर बिक्री कर से छूट	***	0-10	छोड़ा गया राजस्व
अपर्याप्त पारिश्रमिक पर भूमि	अपर्याप्त पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराई गई भूमि	***	0-10	अपर्याप्त पारिश्रमिक पर वस्तुओं की आपूर्ति
औद्योगिक भवन भत्ता	पात्र औद्योगिक भवन व्यय पर भत्ता	***	0-10	छोड़ा गया राजस्व
निवेश कर भत्ता	अनुमोदित संवर्धित गतिविधि पर आयकर भत्ता	***	0-10	छोड़ा गया राजस्व
आयात शुल्क छूट – कच्चा माल	पात्र कच्चे माल पर आयात शुल्क से छूट	***	0-10	छोड़ा गया राजस्व

अगोपनीय संस्करण

कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन	सीमा (%)	सब्सिडी की प्रकृति
बिक्री कर छूट – उपकरण	आयातित उपकरणों पर बिक्री कर से छूट	***	0-10	छोड़ा गया राजस्व
त्वरित पूँजी भत्ता	पात्र पूँजीगत परिसंपत्तियों का त्वरित मूल्यह्रास	***	0-10	छोड़ा गया राजस्व
कुल सब्सिडी दर		**11.44%**	**10-20**	

जिनजिंग टेक्नोलॉजी मलेशिया एसडीएन. बीएचडी.

कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन	सीमा (%)	सब्सिडी की प्रकृति
प्राकृतिक गैस पर सब्सिडी	प्राकृतिक गैस का सरकार-विनियमित मूल्य निर्धारण	***	0-10	अपर्याप्त पारिश्रमिक पर वस्तुओं की आपूर्ति
अपर्याप्त पारिश्रमिक पर भूमि	अपर्याप्त पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराई गई भूमि	***	0-10	अपर्याप्त पारिश्रमिक पर वस्तुओं की आपूर्ति
आयात शुल्क छूट – कच्चा माल	पात्र कच्चे माल पर आयात शुल्क से छूट	***	0-10	छोड़ा गया राजस्व
आयात शुल्क छूट – मशीनरी और कल-पुर्जे	मशीनरी और कल-पुर्जों पर आयात शुल्क से छूट, जो एकल राशि के रूप में रिपोर्ट की गई और उसी रूप में निर्धारित की गई	***	0-10	छोड़ा गया राजस्व
त्वरित पूँजी भत्ता	पात्र पूँजीगत परिसंपत्तियों का त्वरित मूल्यह्रास	***	0-10	छोड़ा गया राजस्व
कुल सब्सिडी दर		**8.58%**	**0-10**	

अगोपनीय संस्करण

झ.2 असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए अवशिष्ट सब्सिडी मार्जिन

110. मलेशिया के जिन उत्पादकों और निर्यातकों ने जाँच में भाग नहीं लिया, उनके लिए सब्सिडी मार्जिन नियमों के नियम 7(8) और एससीएम करार के अनुच्छेद 12.7 के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। प्राधिकारी ने अवशिष्ट मार्जिन को कार्यक्रम-दर-कार्यक्रम, मलेशिया के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों में से उस कार्यक्रम के लिए निर्धारित उच्चतम दर के योग के रूप में निर्धारित किया है। जिस उत्पादक ने भाग नहीं लिया है, उसने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि उसने किसी कार्यक्रम के सबसे अधिक सब्सिडी प्राप्त सहयोगी उत्पादक से कम लाभ उठाया, जबकि इस प्रकार निर्धारित अवशिष्ट मार्जिन अभिलेख पर उपयोग में लाए गए दर्शाए गए कार्यक्रमों तक सीमित रहता है। इंडोनेशिया के संबंध में कोई अवशिष्ट मार्जिन निर्धारित नहीं किया जाना है, क्योंकि उस देश के संबंध में जाँच समाप्त की जाती है।

संबद्ध देश	**अवशिष्ट सब्सिडी मार्जिन**	**सीमा (%)**
मलेशिया	15.66%	10-20

झ.3 न्यूनतम सीमा (डी मिनिमिस)

111. प्राधिकारी नोट करता है कि मलेशिया के किसी भी उत्पादक अथवा निर्यातक का सब्सिडी मार्जिन न्यूनतम सीमा से कम नहीं है, निर्धारित न्यूनतम मार्जिन 8.58% (सीमा 0-10%) है, जो एक प्रतिशत की सामान्य सीमा और विकासशील देश के मूल के उत्पाद पर लागू दो प्रतिशत की सीमा, दोनों से अधिक है।

क्षति और कार्य-कारण संबंध का निर्धारण

ञ. <u>क्षति निर्धारण की कार्यप्रणाली</u>

112. नियमों का नियम 13 क्षति के निर्धारण को शासित करने वाले सिद्धांतों से संबंधित है और निम्नानुसार प्रावधान करता है:

> "13. क्षति का निर्धारण।– (1) विनिर्दिष्ट देशों से आयात के मामले में, नामित प्राधिकारी एक और निष्कर्ष देगा कि ऐसी वस्तु का भारत में आयात भारत में स्थापित किसी उद्योग को सारभूत क्षति पहुँचाता है अथवा पहुँचाने का खतरा उत्पन्न करता है, अथवा भारत में किसी उद्योग की स्थापना में सारभूत रूप से बाधा डालता है। (2) सिवाय इसके कि जब उप-नियम (3) के अंतर्गत क्षति का निष्कर्ष दिया गया हो,

> नामित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ, नियम के अनुलग्नक I में निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, क्षति, क्षति के खतरे, किसी उद्योग की स्थापना में सारभूत बाधा तथा सब्सिडीयुक्त आयात और क्षति के बीच कार्य-कारण संबंध का निर्धारण करेगा। (3) नामित प्राधिकारी असाधारण मामलों में क्षति के अस्तित्व के बारे में निष्कर्ष दे सकता है, भले ही घरेलू उद्योग के एक पर्याप्त भाग को क्षति न पहुँची हो, यदि – (i) किसी पृथक बाजार में सब्सिडीयुक्त आयातों का संकेंद्रण हो, और (ii) सब्सिडीयुक्त आयात ऐसे बाजार के भीतर लगभग समस्त उत्पादन के उत्पादकों को क्षति पहुँचा रहे हों।"

113. प्राधिकारी दर्ज करता है कि वर्तमान निर्धारण वर्तमान सारभूत क्षति के आधार पर किया गया है। न तो सारभूत क्षति के खतरे का, और न ही किसी उद्योग की स्थापना में सारभूत बाधा का दावा किया गया है अथवा निर्धारण किया गया है।

ञ.1 न्यूनतम सीमा (डी मिनिमिस), आयात मात्रा की नगण्यता और संचयन

114. नियमों का नियम 16(1)(ग) और नियम 16(1)(घ) प्राधिकारी से अपेक्षा करते हैं कि यदि वह यह निर्धारित करता है कि सब्सिडी की राशि एक प्रतिशत यथामूल्य से कम है, अथवा विकासशील देश के मूल के उत्पाद के मामले में सब्सिडी की राशि दो प्रतिशत से कम है; अथवा कि सब्सिडीयुक्त आयातों की मात्रा, वास्तविक या संभावित, अथवा जहाँ लागू हो वहाँ क्षति, नगण्य है, या विकासशील देश के मूल के उत्पाद के मामले में सब्सिडीयुक्त आयातों की मात्रा भारत में समान वस्तु के कुल आयात के चार प्रतिशत से कम है, जब तक कि उन विकासशील देशों से आयात, जिनके कुल आयात में व्यक्तिगत हिस्से चार प्रतिशत से कम हैं, सामूहिक रूप से भारत में समान वस्तु के कुल आयात के नौ प्रतिशत से अधिक न हों, तो वह सार्वजनिक सूचना जारी करके जाँच को तत्काल समाप्त कर दे। उक्त प्रावधान एससीएम करार के अनुच्छेद 27.10(क) और अनुच्छेद 27.10(ख) को प्रभावी करते हैं। यह दायित्व अनिवार्य शब्दों में है, और जहाँ सीमा लागू होती है, वहाँ संबंधित देश के संबंध में जाँच जारी रखने का कोई विवेकाधिकार शेष नहीं रहता।

115. संबद्ध देशों की विकासशील देशों के रूप में स्थिति। न तो अधिनियम की धारा 9 और न ही नियम "विकासशील देश" पद को परिभाषित करते हैं, और धारा 9 अथवा नियमों के प्रयोजनों के लिए विकासशील देशों की कोई सूची अधिसूचित नहीं की गई है। इंडोनेशिया और मलेशिया को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग के सांख्यिकीय उपयोग के लिए मानक देश या क्षेत्र कोड (एम49) के आधार पर यूएनसीटीएडी द्वारा अनुरक्षित अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और वे क्रमशः दिनांक

अगोपनीय संस्करण

05.02.2016 की अधिसूचना सं. 19/2016-सीमा शुल्क (एन.टी.) [फा. सं. 21000/22/2015-ओएसडी(आईसीडी)], जो दिनांक 14.12.1998 की अधिसूचना सं. 103/98-सीमा शुल्क के अधिक्रमण में जारी की गई थी, के क्रम सं. 53 और क्रम सं. 69 पर विकासशील देशों के रूप में अधिसूचित हैं। दोनों देश एससीएम करार के अनुच्छेद 27 के प्रयोजनों के लिए विश्व व्यापार संगठन के विकासशील देश सदस्य हैं। प्राधिकारी नोट करता है कि अधिसूचना सं. 19/2016-सीमा शुल्क (एन.टी.) अधिनियम की धारा 8ख की उप-धारा (6) के खंड (क) के अंतर्गत, अर्थात् रक्षोपाय उपायों के प्रयोजनों के लिए, जारी की गई है, और धारा 9 के अंतर्गत कोई संगत अधिसूचना नहीं है; तथापि, यह अधिसूचना अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा विकासशील देशों की एकमात्र गणना है, और उस स्थिति की पुष्टिकारक है जो मुख्यतः एससीएम करार के अंतर्गत दोनों देशों की विकासशील देश सदस्यों की स्थिति पर आधारित है। प्राधिकारी निर्धारित करता है कि इंडोनेशिया और मलेशिया प्रत्येक नियमों के नियम 16(1) के प्रयोजनों के लिए विकासशील देश हैं।

116. प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि एससीएम करार के परिशिष्ट VII के अनुच्छेद (ख) से किसी सदस्य का उन्नयन वर्तमान प्रश्न के लिए अप्रासंगिक है। परिशिष्ट VII(ख) निर्यात सब्सिडी के निषेध से छूट और अनुच्छेद 27.11 के अंतर्गत विभेदित न्यूनतम सीमा स्तर को शासित करता है; अनुच्छेद 27.10(ख) के अंतर्गत चार प्रतिशत मात्रा सीमा, जैसा कि नियम 16(1)(घ) में समाविष्ट है, सभी विकासशील देश सदस्यों पर बिना भेदभाव के लागू होती है, और नियम केवल दो न्यूनतम सब्सिडी स्तर निर्धारित करते हैं, सामान्यतः एक प्रतिशत और विकासशील देश के लिए दो प्रतिशत।

117. न्यूनतम सीमा – नियम 16(1)(ग)। संबंधित खंड में निर्धारित सब्सिडी मार्जिन मलेशिया के प्रत्येक सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के मामले में और उस देश के लिए निर्धारित अवशिष्ट मार्जिन के मामले में दो प्रतिशत यथामूल्य से अधिक हैं। निर्धारित कोई भी मार्जिन न्यूनतम सीमा से कम नहीं है, चाहे एक प्रतिशत के सामान्य मानक पर हो या विकासशील देश के मूल के उत्पाद पर लागू दो प्रतिशत के मानक पर। इसलिए मलेशिया के संबंध में नियम 16(1)(ग) लागू नहीं होता। इंडोनेशिया के संबंध में कोई सब्सिडी मार्जिन निर्धारित न किए जाने के कारण, उस देश पर नियम 16(1)(ग) के लागू होने का प्रश्न नहीं उठता; इंडोनेशिया के संबंध में जाँच आयात की मात्रा के आधार पर नियम 16(1)(घ) के अंतर्गत समाप्त की जाती है।

118. सब्सिडीयुक्त आयातों की मात्रा – नियम 16(1)(घ) । प्रत्येक संबद्ध देश से और अन्य सभी स्रोतों से भारत में समान वस्तु के आयात की मात्रा, जो सभी स्रोतों से भारत में समान वस्तु के कुल आयात के हिस्से के रूप में व्यक्त है, इस प्रकार है:

अगोपनीय संस्करण

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
कुल आयात के प्रतिशत के रूप में इंडोनेशिया	0.65%	0.16%	1.44%	3.40%
कुल आयात के प्रतिशत के रूप में मलेशिया	60.56%	85.97%	79.21%	88.95%
कुल आयात के प्रतिशत के रूप में अन्य सभी स्रोत	38.79%	13.87%	19.35%	7.65%

119. जाँच अवधि के दौरान मलेशिया से आयात भारत में समान वस्तु के कुल आयात का 88.95% थे और क्षति अवधि के प्रत्येक वर्ष में चार प्रतिशत की सीमा से ऊपर थे। नियम 16(1)(घ) के अंतर्गत निर्धारित सीमा मलेशिया के संबंध में लागू नहीं होती।

120. जाँच अवधि के दौरान इंडोनेशिया से आयात 12,858 मीट्रिक टन थे, जो भारत में समान वस्तु के 3,78,226 मीट्रिक टन के कुल आयात का 3.40% है, जो नियमों के नियम 16(1)(घ) के अंतर्गत निर्धारित चार प्रतिशत की सीमा से कम है। क्षति अवधि के प्रत्येक वर्ष में इंडोनेशिया का हिस्सा चार प्रतिशत से कम था। हिस्से की गणना सभी स्रोतों से भारत में समान वस्तु के कुल आयात की मात्रा के आधार पर की गई है, न कि केवल संबद्ध देशों से आयात अथवा भारत में माँग के आधार पर, और मात्रा के आधार पर की गई है, न कि मूल्य के आधार पर। इस शीर्ष में निर्भर की गई मात्राएँ और हिस्से प्रणाली और आँकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय के लेन-देन-वार आयात आँकड़ों से लिए गए हैं, जो विचाराधीन उत्पाद तक सीमित हैं। बांग्लादेश से आयात के हिस्से पर प्रश्न उठाने वाले घरेलू उद्योग के प्रकटीकरण-पश्चात् अनुरोध की जाँच नीचे खंड थ में की गई है, और नीचे दी गई देश-वार संरचना की पुष्टि की जाती है।

121. तथापि, नियम 16(1)(घ) के अंतर्गत छूट केवल व्यक्तिगत हिस्से से स्थापित नहीं होती। कोई निष्कर्ष दर्ज करने से पूर्व दो अन्य मामलों का निर्धारण आवश्यक है, अर्थात् सामूहिक परंतुक और सब्सिडीयुक्त आयातों की संभावित मात्रा। पहले का निर्धारण नीचे अभिलेख पर उपलब्ध देश-वार आयात आँकड़ों के आधार पर किया गया है; दूसरे की जाँच उसके पश्चात् की गई है:

i. सामूहिक परंतुक। छूट तब निष्प्रभावी हो जाती है जहाँ उन विकासशील देशों से आयात, जिनमें से प्रत्येक भारत में समान वस्तु के कुल आयात का व्यक्तिगत रूप से चार प्रतिशत से कम है, सामूहिक रूप से ऐसे कुल आयात के नौ प्रतिशत से अधिक हों। इस प्रयोजन के लिए केवल वे विकासशील देश एकत्रित किए जाते हैं जो व्यक्तिगत रूप से

चार प्रतिशत से कम हैं; जो देश विकासशील देश के व्यवहार के हकदार नहीं हैं, और जो विकासशील देश व्यक्तिगत रूप से चार प्रतिशत या उससे अधिक हैं, उन्हें एकत्रीकरण से बाहर रखा गया है, क्योंकि परंतुक अपनी शर्तों के अनुसार "उन विकासशील देशों पर लागू होता है जिनके कुल आयात में व्यक्तिगत हिस्से चार प्रतिशत से कम हैं"।

ii. जाँच अवधि के दौरान भारत में समान वस्तु के कुल आयात की देश-वार संरचना और प्रत्येक स्रोत पर परंतुक का अनुप्रयोग इस प्रकार है:

मूल देश	**मात्रा (मीट्रिक टन)**	**कुल आयात में हिस्सा**	**व्यक्तिगत रूप से चार प्रतिशत से कम**
मलेशिया	3,36,441	88.952%	नहीं
बांग्लादेश	19,482	5.151%	नहीं
इंडोनेशिया	12,858	3.400%	हाँ
ईरान	4,480	1.184%	हाँ
तुर्की	3,557	0.940%	हाँ
चीन जनवादी गणराज्य	1,282	0.339%	हाँ
स्पेन	82	0.022%	हाँ
रोमानिया	44	0.012%	हाँ
कुल आयात	**3,78,226**	**100.000%**	

i. जाँच अवधि के दौरान बांग्लादेश से आयात 19,482 मीट्रिक टन थे, जो भारत में समान वस्तु के कुल आयात का 5.151% है। इसलिए बांग्लादेश ऐसा देश नहीं है "जिसका कुल आयात में व्यक्तिगत हिस्सा चार प्रतिशत से कम है", और उसकी मात्रा को परंतुक के अंतर्गत एकत्रीकरण से उसी आधार पर बाहर रखा गया है जिस आधार पर मलेशिया की मात्रा को बाहर रखा गया है। प्राधिकारी दर्ज करता है कि यह अपवर्जन वर्तमान प्रश्न में निर्णायक है: यदि बांग्लादेश की मात्रा को एकत्रीकरण में लाया जाए, तो सामूहिक हिस्सा कुल आयात का 11.05% होगा और परंतुक लागू हो जाएगा। तथापि, यह अपवर्जन परंतुक के स्पष्ट शब्दों से निकलता है, जो केवल उन्हीं विकासशील देशों के एकत्रीकरण की अनुमति देते हैं जिनके व्यक्तिगत हिस्से चार प्रतिशत से कम हैं, और प्राधिकारी उन शब्दों में न तो कुछ जोड़ सकता है और न ही घटा सकता है।

अगोपनीय संस्करण

ii. मलेशिया और बांग्लादेश की मात्राओं को बाहर रखने पर, इंडोनेशिया के अतिरिक्त शेष स्रोत, जो व्यक्तिगत रूप से चार प्रतिशत से कम हैं, जाँच अवधि के दौरान 9,445 मीट्रिक टन थे, जो भारत में समान वस्तु के कुल आयात का 2.497% है। उस मात्रा को इंडोनेशिया के 3.400% के साथ पूर्ण रूप से एकत्रित करने पर, सामूहिक हिस्सा भारत में समान वस्तु के कुल आयात का 5.897% है, जो नियमों के नियम 16(1)(घ) के अंतर्गत निर्धारित नौ प्रतिशत की सीमा से कम है। प्राधिकारी ने इस प्रयोजन के लिए जानबूझकर वह मान्यता अपनाई है जो छूट के लिए सबसे अधिक प्रतिकूल है, अर्थात् कि व्यक्तिगत रूप से चार प्रतिशत से कम प्रत्येक स्रोत एकत्रीकरण का हकदार विकासशील देश है, चाहे उसकी वास्तविक स्थिति कुछ भी हो। अधिक सीमित और अधिक सटीक आधार पर, स्पेन और रोमानिया के विकासशील देश न होने के कारण, सामूहिक हिस्सा और भी कम है, और इसलिए निर्धारण किसी भी तीसरे देश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता।

iii. इसलिए नियम 16(1)(घ) का परंतुक लागू नहीं होता। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि निष्कर्ष आयात संकलन की पूर्णता के प्रति संवेदनशील नहीं है। बांग्लादेश चार प्रतिशत की सीमा से नीचे तभी आएगा, और इस प्रकार एकत्रीकरण में तभी प्रवेश करेगा, जब भारत में समान वस्तु का कुल आयात 4,87,050 मीट्रिक टन से अधिक हो, अर्थात् केवल तभी जब जिस संकलन पर भरोसा किया गया है वह 1,08,824 मीट्रिक टन से अधिक कम आँका गया हो; और उस परिकल्पना पर भी बांग्लादेश सहित व्यक्तिगत रूप से चार प्रतिशत से कम प्रत्येक स्रोत का सामूहिक हिस्सा 8.58% होगा और नौ प्रतिशत की सीमा से कम रहेगा।

iv. संभावित मात्रा। नियम 16(1)(घ) सब्सिडीयुक्त आयातों की मात्रा "वास्तविक या संभावित" का उल्लेख करता है। जहाँ अभिलेख संबद्ध देश में निष्क्रिय अथवा विस्तारित हो रही क्षमता, स्थापित निर्यातोन्मुखता और भारत की ओर निर्देशित किए जा सकने वाली स्वतंत्र रूप से निपटान-योग्य मात्राओं को प्रकट करता है, वहाँ जाँच अवधि के दौरान कम हिस्से के बावजूद सीमा से ऊपर की संभावित मात्रा स्थापित की जा सकती है; ऐसा निर्धारण सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए, न कि अनुमान पर। प्राधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर इंडोनेशिया में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों की क्षमता, क्षमता उपयोग, निर्यातोन्मुखता और स्वतंत्र रूप से निपटान-योग्य मात्राओं की जाँच कर रहा है, और इस संबंध में नोट करता है कि इंडोनेशिया सरकार द्वारा पहचाने गए दो उत्पादकों ने जाँच अवधि के अंत के निकट वाणिज्यिक परिचालन आरंभ किया।

अगोपनीय संस्करण

122. **निर्धारण।** इंडोनेशिया का व्यक्तिगत हिस्सा जाँच अवधि में और क्षति अवधि के प्रत्येक वर्ष में चार प्रतिशत से कम है। सामूहिक परंतुक लागू नहीं होता। संभावित मात्रा के संबंध में, अभिलेख पर कुछ भी सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर यह स्थापित नहीं करता कि कोई मात्रा सीमा से अधिक भारत की ओर मोड़ी जा सकती है: किसी भी पक्षकार ने कोई आँकड़ा आरोपित नहीं किया है, इंडोनेशिया सरकार अथवा किसी अन्य पक्षकार द्वारा इंडोनेशिया में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों की क्षमता अथवा क्षमता-उपयोग के कोई आँकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, और संभावित मात्रा का निर्धारण उत्पादकों के अस्तित्व मात्र पर आधारित नहीं हो सकता। तदनुसार प्राधिकारी इंडोनेशिया के मूल की अथवा वहाँ से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध में नियमों के नियम 16(1)(घ) के अनुसार जाँच समाप्त करता है। मलेशिया के संबंध में जाँच जारी रहती है, और इंडोनेशिया से आयात सब्सिडीयुक्त आयातों के प्रभावों के आकलन से और किसी भी सिफारिश से बाहर रखे जाते हैं।

123. संचयन। एससीएम करार का अनुच्छेद 15.3 और नियमों के अनुलग्नक I का पैराग्राफ (iii) प्रावधान करते हैं कि जहाँ एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयात एक साथ सब्सिडी-रोधी जाँच के अधीन हैं, वहाँ प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करेगा, यदि वह यह निर्धारित करता है कि:

क. प्रत्येक देश से आयात के संबंध में स्थापित सब्सिडी की मात्रा एक प्रतिशत यथामूल्य से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा नगण्य नहीं है; तथा

ख. आयातित उत्पादों और समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए आयातों के प्रभावों का संचयी आकलन उचित है।

124. संचयन का प्रश्न नहीं उठता। संचयी आकलन की पूर्व शर्त यह है कि एक से अधिक देशों से आयात एक साथ जाँच के अधीन हों। इंडोनेशिया के संबंध में समाप्ति पर, केवल एक संबद्ध देश, मलेशिया, के आयात जाँच के अधीन शेष रहते हैं। इसलिए संचित करने के लिए कुछ नहीं है, और यह प्रश्न कि क्या प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए संचयी आकलन उचित होगा, निर्धारण के लिए उत्पन्न नहीं होता।

125. इसलिए इस खंड में क्षति का आकलन केवल मलेशिया से आयात पर किया गया है। नीचे दिए गए मात्रा, उतराई मूल्य और कीमत मापदंड मलेशिया के हैं, जो विचाराधीन उत्पाद तक सीमित लेन-देन-वार आयात आँकड़ों से लिए गए हैं। प्राधिकारी पूर्णता के लिए दर्ज करता है कि इंडोनेशिया को बाहर रखने से कोई मापदंड भौतिक रूप से परिवर्तित नहीं होता: दोनों देशों के संचयी आयात के आधार पर उतराई मूल्य आधार वर्ष में ₹ 30,614 प्रति मीट्रिक टन से

जाँच अवधि में ₹ 19,876 प्रति मीट्रिक टन हो गया, जबकि केवल मलेशिया के आयात के आधार पर यह ₹ 30,708 प्रति मीट्रिक टन और ₹ 19,842 प्रति मीट्रिक टन है, और जाँच अवधि में कीमत कटौती दोनों आधारों पर 30-40% की सीमा में है। क्षति अवधि के प्रत्येक वर्ष में कटौती की सीमा अपरिवर्तित है।

ट. <u>सब्सिडीयुक्त आयातों का मात्रा पर प्रभाव</u>

ट.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

126. क्षति और कार्य-कारण संबंध के संबंध में विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध इस प्रकार हैं:

i. कि घरेलू उद्योग के अपने आँकड़े क्षति अवधि के दौरान माँग, बिक्री, उत्पादन, क्षमता, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और रोजगार में उल्लेखनीय सुधार दर्शाते हैं, जबकि केवल लाभप्रदता में गिरावट आई है, जो सारभूत क्षति के निष्कर्ष के अनुरूप नहीं है।

ii. कि इंडोनेशिया से आयात क्षति अवधि के अधिकांश भाग में नगण्य रहे और जाँच अवधि के दौरान कुल आयात का केवल एक छोटा हिस्सा थे। लाभप्रदता में गिरावट का कारण इंडोनेशियाई आयात के बजाय घरेलू उद्योग का क्षमता विस्तार, बढ़ा हुआ पूँजीगत व्यय और अन्य आंतरिक कारक हैं। गैर-क्षतिकारी कीमत निर्धारित करते समय अक्षमताओं और विस्तार-संबंधी लागतों को बाहर रखा जाना चाहिए।

iii. कि जाँच अवधि के दौरान बढ़ती माँग के बावजूद मलेशिया से आयात घटे, और घरेलू उद्योग ने उसी अवधि के दौरान अपनी बिक्री और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाई। लाभप्रदता में गिरावट पर्याप्त पूँजी निवेश से उत्पन्न उच्च मूल्यह्रास और ब्याज लागत के कारण हुई, न कि संबद्ध आयातों के कारण।

iv. कि घटता क्षमता उपयोग, बढ़ती माल-सूची और निवेश पर प्रतिफल में गिरावट घरेलू उद्योग के अपने परिचालन और निवेश संबंधी निर्णयों को दर्शाती है, न कि आयातों से हुई क्षति को।

v. कि इंडोनेशियाई आयात की कम मात्रा और उचित अ-आरोपण विश्लेषण न किए जाने को देखते हुए इंडोनेशिया से आयात और कथित क्षति के बीच कोई कार्य-कारण संबंध नहीं है; और कि एससीएम करार के अनुच्छेद 15.5 तथा नियमों के अनुलग्नक I के अनुसार प्राधिकारी को सब्सिडीयुक्त आयातों के प्रभावों को अन्य ज्ञात कारकों के प्रभावों से अलग करना चाहिए।

ट.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

127. क्षति और कार्य-कारण संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध इस प्रकार हैं:

i. कि घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों की उपस्थिति के बावजूद, आयातों का बाजार पर प्रभुत्व रहा है, और जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे।

ii. कि सब्सिडीयुक्त आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, जाँच अवधि के दौरान कीमत में कटौती उल्लेखनीय रूप से धनात्मक रही है, और संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर लगातार दबाव डाला है, क्योंकि क्षति अवधि भर उनकी कीमत उसकी बिक्री कीमत से कम रही।

iii. कि जाँच अवधि में संबद्ध वस्तुओं का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत, दोनों से कम था, जो कीमत पर दबाव को प्रदर्शित करता है; कि सब्सिडीयुक्त आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर दमनकारी प्रभाव पड़ा है; और कि सब्सिडीयुक्त आयातों के निरंतर दबाव के कारण घरेलू उद्योग अपने उत्पादन का पर्याप्त रूप से निपटान करने में असमर्थ रहा है और उसकी माल-सूची जमा हो गई है।

iv. कि हितबद्ध पक्षकारों ने लाभप्रदता, नकद लाभ, निवेश पर प्रतिफल और कीमत मापदंडों में उल्लेखनीय गिरावट की अनदेखी करते हुए चुनिंदा रूप से सकारात्मक आर्थिक संकेतकों पर भरोसा किया है।

v. कि निष्पादन में गिरावट सब्सिडीयुक्त आयातों के कारण हुई उल्लेखनीय कीमत कटौती और कीमत दमन के कारण है, और कि क्षमता विस्तार से उत्पन्न मूल्यह्रास और ब्याज लागत में वृद्धि बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए किए गए वाणिज्यिक निवेश निर्णयों को दर्शाती है और अपने आप में हुई क्षति की व्याख्या या उसका निषेध नहीं कर सकती।

vi. कि विस्तार-संबंधी लागतों सहित अन्य कारकों का अस्तित्व कार्य-कारण संबंध को नहीं तोड़ता, जहाँ सब्सिडीयुक्त आयातों ने घरेलू कीमतों को सारभूत रूप से दबाया है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

128. हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने मलेशिया से सब्सिडीयुक्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जाँच की है। नीचे किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न

अनुरोधों को संबोधित करता है। यह तर्क कि इंडोनेशिया से आयात कुल आयात का केवल एक छोटा हिस्सा था, स्वीकार किया गया है और ऊपर आयात मात्रा की नगण्यता शीर्ष के अंतर्गत उसे प्रभावी किया गया है, उस देश के संबंध में जाँच समाप्त कर दी गई है; अतः इसके पश्चात् इंडोनेशिया से आयात को असंबद्ध स्रोत से आयात माना गया है। इंडोनेशिया से संबंधित, तथा इंडोनेशियाई आयात और दावा की गई क्षति के बीच कार्य-कारण संबंध के अभाव से संबंधित, हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर आगे विचार की आवश्यकता नहीं है।

माँग / प्रत्यक्ष उपभोग का आकलन

129. प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच के प्रयोजन के लिए भारत में संबद्ध उत्पाद की माँग अथवा प्रत्यक्ष उपभोग को घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री तथा सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित माँग नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	**माप की इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**जाँच अवधि**
मलेशिया से आयात – संबद्ध देश	**मीट्रिक टन**	**1,33,608**	**3,46,139**	**3,61,898**	**3,36,441**
इंडोनेशिया से आयात – असंबद्ध स्रोत	मीट्रिक टन	1,436	640	6,599	12,858
अन्य सभी स्रोतों से आयात	मीट्रिक टन	85,585	55,867	88,393	28,927
मलेशिया के अतिरिक्त सभी स्रोतों से आयात	मीट्रिक टन	87,021	56,507	94,992	41,785
कुल आयात	मीट्रिक टन	2,20,629	4,02,646	4,56,890	3,78,226
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री	मीट्रिक टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	96	112	126

विवरण	**माप की इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**जाँच अवधि**
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मीट्रिक टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	119	129	108
कुल माँग	**मीट्रिक टन**	*******	*******	*******	*******
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	111	128	130
माँग के प्रतिशत के रूप में मलेशिया से आयात	%	5-10	15-20	15-20	15-20
कुल आयात के प्रतिशत के रूप में मलेशिया से आयात	%	60.56%	85.97%	79.21%	88.95%

130. उपर्युक्त को देखते हुए, यह नोट किया जाता है कि:

i. मलेशिया से आयात वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़े, 2021-22 में 1,33,608 मीट्रिक टन से जाँच अवधि के दौरान 3,36,441 मीट्रिक टन तक, अर्थात् 152% की वृद्धि।

ii. कुल आयात में मलेशिया का हिस्सा आधार वर्ष में 60.56% से बढ़कर जाँच अवधि में 88.95% हो गया, जबकि इंडोनेशिया सहित अन्य सभी स्रोतों का हिस्सा 39.44% से घटकर 11.05% रह गया।

iii. भारतीय माँग में मलेशिया का हिस्सा आधार वर्ष में 5-10% की सीमा से बढ़कर जाँच अवधि में 15-20% की सीमा में हो गया।

iv. क्षति अवधि में संबद्ध वस्तुओं की माँग 30% बढ़ी; तथापि, घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी घटी और माँग में मलेशिया का हिस्सा बढ़ा।

131. प्राधिकारी ने इस तर्क पर विचार किया है कि जाँच अवधि के दौरान मलेशिया से आयात घटे। यह सही है कि मलेशिया से आयात 2023-24 में 3,61,898 मीट्रिक टन से घटकर जाँच अवधि में 3,36,441 मीट्रिक टन रह गए, और उसी अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री बढ़ी

तथा उसकी बाजार हिस्सेदारी में सुधार हुआ। तथापि, प्राधिकारी निर्धारित करता है कि जाँच अवधि के दौरान हुई क्षति मुख्यतः कीमत प्रभाव है, न कि मात्रा प्रभाव। उसी अवधि में संबद्ध आयातों का उतराई मूल्य 65 के सूचकांक तक गिरा, कीमत में कटौती क्षति अवधि के अपने उच्चतम स्तर पर पहुँची, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत 93 के सूचकांक तक गिरी जबकि उसकी बिक्री लागत 143 के सूचकांक तक बढ़ी, और घरेलू उद्योग लाभ से हानि में चला गया। घरेलू उद्योग ने मात्रा केवल कीमत में रियायत देकर बनाए रखी। अनुलग्नक I के अंतर्गत क्षति का आकलन मात्रा और कीमत प्रभावों को साथ मिलाकर किया जाना है, और सारभूत क्षति के निष्कर्ष के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जाँच अवधि में आयात की मात्रा बढ़े।

ठ. <u>सब्सिडीयुक्त आयातों का कीमतों पर प्रभाव</u>

132. नियमों के अनुलग्नक I(iii) के अनुसार, कीमतों पर सब्सिडीयुक्त आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी से अपेक्षा है कि वह विचार करे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में सब्सिडीयुक्त आयातों द्वारा उल्लेखनीय कीमत कटौती हुई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को उल्लेखनीय सीमा तक गिराना है या कीमतों में उस वृद्धि को उल्लेखनीय सीमा तक रोकना है जो अन्यथा हुई होती।

ठ.1 कीमत में कटौती

133. कीमत में कटौती का निर्धारण घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की आयातों के उतराई मूल्य से तुलना करके किया गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
उतराई मूल्य	₹/मीट्रिक टन	30,708	29,939	22,323	19,842
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	97	73	65
घरेलू बिक्री कीमत	₹/मीट्रिक टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	121	98	93
कीमत में कटौती	₹/मीट्रिक टन	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
कीमत में कटौती	सीमा	ऋणात्मक	10-20	20-30	30-40

134. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष में कीमत कटौती नकारात्मक थी, क्योंकि उस समय उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक था, और 2022-23 से यह सकारात्मक हो गई तथा जाँच अवधि में बढ़कर 30-40% की सीमा में पहुँच गई। प्राधिकारी निर्धारित करता है कि जाँच अवधि के दौरान संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में उल्लेखनीय कटौती कर रहे थे।

ठ.2 कीमतों का दमन और कीमतों में गिरावट

135. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या सब्सिडीयुक्त आयात घरेलू कीमतों को गिरा रहे हैं, और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को उल्लेखनीय सीमा तक दबाना है अथवा कीमतों में उस वृद्धि को रोकना है जो सामान्य क्रम में हुई होती, क्षति अवधि में लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तनों की तुलना नीचे दी गई तालिका के अनुसार की गई:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
बिक्री लागत	₹/मीट्रिक टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	129	117	143
बिक्री कीमत	₹/मीट्रिक टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	121	98	93
उतराई कीमत	₹/मीट्रिक टन	30,708	29,939	22,323	19,842
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	97	73	65

136. **कीमतों में गिरावट।** यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत निरपेक्ष रूप से 2022-23 में 121 के सूचकांक से घटकर जाँच अवधि में 93 के सूचकांक पर आ गई, और क्षति अवधि के अंत में आधार वर्ष से 7% कम रही, जबकि उसी अवधि में संबद्ध आयातों

का उतराई मूल्य घटकर 65 के सूचकांक पर आ गया। प्राधिकारी निर्धारित करता है कि सब्सिडीयुक्त आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर गिरावट का प्रभाव पड़ा है।

137. कीमतों का दमन। उसी अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत 43% बढ़ी। इस प्रकार घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें अपनी लागतों के अनुरूप बढ़ाने से रोका गया और इसके विपरीत उन्हें घटाने के लिए बाध्य किया गया। प्राधिकारी निर्धारित करता है कि सब्सिडीयुक्त आयातों ने कीमतों में उस वृद्धि को उल्लेखनीय सीमा तक रोका है जो अन्यथा हुई होती, और इस प्रकार घरेलू उद्योग की कीमतों पर दमनकारी प्रभाव डाला है।

138. यह भी नोट किया जाता है कि जाँच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और घरेलू बिक्री कीमत, दोनों से कम रहा।

ड. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

139. नियम यह अपेक्षा करते हैं कि क्षति के निर्धारण में घरेलू उत्पादकों पर सब्सिडीयुक्त आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जाँच शामिल होगी, जिसमें उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संबंधित आर्थिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन शामिल है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों की चर्चा नीचे की गई है।

ड.1 उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

विवरण	माप की इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
क्षमता	मीट्रिक टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	105	130	157
कुल उत्पादन	मीट्रिक टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	103	120	142
विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन	मीट्रिक टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	98	112	128
क्षमता उपयोग	%	95%	93%	87%	86%
घरेलू बिक्री	सूचकांकित	100	96	112	126
निर्यात बिक्री	मीट्रिक टन	***	***	***	***

विवरण	माप की इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	32	35	58
अंतिम माल-सूची	मीट्रिक टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	98	264	379

140. उपर्युक्त से, प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने भारत में बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए क्षति जाँच अवधि के दौरान अपनी क्षमता में 57% की वृद्धि की। फिर भी उसी अवधि में क्षमता उपयोग 95% से घटकर 86% रह गया, जिसका अर्थ है कि संबद्ध वस्तुओं की माँग में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद स्थापित क्षमता का लगभग 14% अप्रयुक्त रहा। यह नोट किया जाता है कि भारतीय उत्पादकों के पास संपूर्ण घरेलू माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्थापित क्षमता है।

ड.2 बाजार हिस्सेदारी

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
अन्य उत्पादकों सहित भारतीय उत्पादक	%	85-90	75-80	75-80	80-85
संबद्ध देश से आयात	%	5-10	20-25	15-20	15-20
अन्य देशों से आयात	%	5-10	0-5	0-5	0-5

141. यह नोट किया जाता है कि संपूर्ण भारतीय माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, भारतीय बाजार में भारतीय उत्पादकों का हिस्सा आधार वर्ष में 85-90% की सीमा से घटकर जाँच अवधि में 80-85% की सीमा में आ गया, जबकि उसी अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात का हिस्सा 5-10% की सीमा से बढ़कर 15-20% की सीमा में हो गया।

ड.3 माल-सूची (इन्वेंट्री)

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
औसत माल-सूची	मीट्रिक टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	117	226	382

142. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की औसत माल-सूची क्षति जाँच अवधि के दौरान बढ़ती रही और जाँच अवधि में सबसे अधिक थी, जो आधार वर्ष के स्तर के लगभग चार गुना है।

ड.4 लाभ अथवा हानि, नकद लाभ और नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
बिक्री लागत	सूचकांक	100	129	117	143
बिक्री कीमत	सूचकांक	100	121	98	93
लाभ / (हानि) प्रति मीट्रिक टन	सूचकांक	100	86	15	(130)
लाभ / (हानि), कुल	सूचकांक	100	82	16	(164)
नकद लाभ / (हानि), कुल	सूचकांक	100	87	49	(69)
निवेश पर प्रतिफल	सूचकांक	100	88	12	(118)

143. उपर्युक्त से, प्राधिकारी नोट करता है कि जाँच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में घटी जबकि उसकी बिक्री लागत बढ़ी, और यह कि घरेलू उद्योग आधार वर्ष में लाभ से जाँच अवधि में हानि में, नकद लाभ से नकद हानि में, और निवेश पर सकारात्मक प्रतिफल से नकारात्मक प्रतिफल में आ गया।

ड.5 रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
कर्मचारियों की संख्या	सूचकांकित	100	96	121	134
वेतन और मजदूरी	सूचकांकित	100	99	105	123

विवरण	**इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**जाँच अवधि**
प्रति कर्मचारी वेतन और मजदूरी	सूचकांकित	100	104	87	92
प्रति दिन उत्पादकता	सूचकांकित	100	98	112	128

144. यह नोट किया जाता है कि क्षति जाँच अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या बढ़ती रही क्योंकि घरेलू उद्योग ने बढ़ी हुई माँग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाई, और प्रति दिन उत्पादकता भी बढ़ी। प्रति कर्मचारी मजदूरी क्षति अवधि के अंत में आधार वर्ष के स्तर से नीचे रही, यद्यपि वह 2023-24 और जाँच अवधि के बीच बढ़ी। प्राधिकारी निर्धारित करता है कि रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता प्रतिकूल प्रभाव का संकेत नहीं देते। सारभूत क्षति के निर्धारण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मापदंड प्रतिकूल हो।

ड.6 वृद्धि

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
माँग	%	11%	15%	2%
उत्पादन	%	(2%)	14%	15%
घरेलू बिक्री	%	(4%)	17%	13%
घरेलू बिक्री प्राप्ति	%	21%	(19%)	(5%)
प्रति मीट्रिक टन लाभ / हानि	%	(14%)	(83%)	(983%)
प्रति मीट्रिक टन नकद लाभ	%	(13%)	(43%)	(240%)
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	%	(9%)	(88%)	(1141%)

145. उपर्युक्त से, प्राधिकारी नोट करता है कि जबकि क्षति जाँच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की माँग में पर्याप्त वृद्धि हुई, घरेलू उद्योग के कीमत और वित्तीय मापदंडों में वृद्धि जाँच अवधि में उल्लेखनीय रूप से ऋणात्मक रही, जो उसके निष्पादन में गिरावट को दर्शाती है।

ड.7 पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता

146. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसे भारी हानि हुई है और वह ऋणात्मक प्रतिफल का सामना कर रहा है, कि ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले उसकी आय क्षति

अवधि में लगातार बिगड़ी है और ऋणात्मक बनी रही है, और कि परिणामस्वरूप पूँजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है। प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग जाँच अवधि के दौरान लाभ से हानि में चला गया, कि उसका नकद लाभ और नियोजित पूँजी पर प्रतिफल ऋणात्मक हो गया, और कि उसने क्षति अवधि में पर्याप्त पूँजी निवेश किया जिसकी सेवा वह बिगड़ती आय धारा से कर रहा है। प्राधिकारी निर्धारित करता है कि घरेलू उद्योग की पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।

ड.8 सब्सिडी मार्जिन का परिमाण

147. सब्सिडी का मार्जिन उस सीमा का संकेतक है जिस तक सब्सिडीयुक्त आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा सकते हैं। संबंधित खंड में निर्धारित सब्सिडी मार्जिन मलेशिया, जो जाँच के अधीन शेष एकमात्र संबद्ध देश है, के संबंध में धनात्मक, उल्लेखनीय और न्यूनतम सीमा से ऊपर हैं।

ड.9 घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

148. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग जाँच अवधि के दौरान अपनी कीमतों को लाभकारी स्तर तक बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है। आयातों ने घरेलू उद्योग को माल लागत से कम पर बेचने के लिए विवश किया है, और कम कीमत वाले आयातों के परिणामस्वरूप बाजार हिस्सेदारी में कमी और क्षमता का कम उपयोग भी हुआ है। इस प्रकार संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

ड.10 क्षति के संबंध में निष्कर्ष

149. उपर्युक्त सभी मापदंडों की जाँच करने के पश्चात्, प्राधिकारी निष्कर्ष निकालता है कि घरेलू उद्योग को जाँच अवधि के दौरान उल्लेखनीय कीमत कटौती, कीमतों में गिरावट और कीमतों के दमन के रूप में सारभूत क्षति हुई है, जिसके परिणामस्वरूप, उसके मात्रा मापदंडों में वृद्धि के बावजूद, हानि, नकद हानि, निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल, माल-सूची का संचय और क्षमता उपयोग में गिरावट हुई है। तदनुसार, प्राधिकारी निर्धारित करता है कि घरेलू उद्योग को मलेशिया से सब्सिडीयुक्त आयातों के कारण सारभूत क्षति हुई है।

ढ. अ-आरोपण विश्लेषण

150. क्षति के अस्तित्व और सब्सिडीयुक्त आयातों के मात्रा तथा कीमत प्रभावों की जाँच करने के बाद, प्राधिकारी ने नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध और एससीएम करार के अनुच्छेद 15.5 के अनुसार यह जाँच की है कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति का श्रेय सब्सिडीयुक्त आयातों के

अतिरिक्त किसी अन्य कारक को दिया जा सकता है, और ऐसे अन्य कारकों के क्षतिकारी प्रभावों को पृथक और अलग किया है।

ढ.1 क्षमता विस्तार, मूल्यह्रास और ब्याज लागत

151. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि लाभप्रदता में गिरावट का कारण संबद्ध आयातों के बजाय घरेलू उद्योग का अपना क्षमता विस्तार और उसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास तथा ब्याज का बोझ है। घरेलू उद्योग ने उत्तर दिया है कि विस्तार बढ़ती माँग के प्रति एक वाणिज्यिक प्रतिक्रिया था और अपने आप में क्षति की व्याख्या या उसका निषेध नहीं कर सकता।

152. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण। प्राधिकारी यह स्वीकार करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए इस स्तर के क्षमता विस्तार से उसके मूल्यह्रास और ब्याज प्रभार और इसलिए उसकी बिक्री लागत बढ़ी होगी, और कि क्षति अवधि में बिक्री लागत में वृद्धि का एक भाग उस विस्तार के कारण है, न कि संबद्ध आयातों के कारण। उस सीमा तक तर्क सुसंगत है और उसके प्रभाव को सब्सिडीयुक्त आयातों के लिए आरोपित नहीं किया गया है।

153. फिर भी यह तर्क हुई क्षति की व्याख्या नहीं करता। क्षमता विस्तार बढ़ती लागतों की व्याख्या करता है। यह गिरती कीमतों की व्याख्या नहीं करता। क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत 43% बढ़ी जबकि उसकी बिक्री कीमत 7% घटी। किसी अविकृत बाजार में बढ़ती लागतों का सामना कर रहा उत्पादक अपनी कीमतें बढ़ाता, अथवा कम से कम उन्हें स्थिर रखता; घरेलू उद्योग ने, एक बढ़ते बाजार में, ऐसे आयातों के समक्ष अपनी कीमतें घटाईं जिनका उतराई मूल्य घटकर 65 के सूचकांक पर आ गया और जिन्होंने जाँच अवधि में उसकी कीमतों में 30-40% की सीमा में कटौती की। लागत में 43% की वृद्धि और कीमत में 7% की कमी के बीच का अंतर सब्सिडीयुक्त आयातों का कीमत प्रभाव है और इसकी व्याख्या प्रस्तुत किसी आंतरिक कारक से नहीं होती।

154. प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि क्षमता उपयोग में 95% से 86% तक की गिरावट से उत्पन्न स्थिर लागतों की अल्प-वसूली स्वयं सब्सिडीयुक्त आयातों के सामने घरेलू उद्योग द्वारा अपने उत्पादन को बेचने में असमर्थता का परिणाम है, जैसा कि उस बाजार में औसत माल-सूची के आधार वर्ष के स्तर के 382% तक बढ़ने से प्रमाणित होता है जिसमें माँग 30% बढ़ी। वह प्रभाव उचित रूप से संबद्ध आयातों को आरोपित किया जाता है, न कि उस विस्तार को जिसने क्षमता का सृजन किया।

ढ.2 तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

155. इंडोनेशिया के संबंध में समाप्ति पर, उस देश से आयातों की जाँच इस शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक अन्य असंबद्ध स्रोत के आयातों के साथ की जानी है। मलेशिया के अतिरिक्त सभी स्रोतों से आयात की मात्रा और उतराई मूल्य इस प्रकार हैं:

विवरण	**माप की इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**जाँच अवधि**
मात्रा, मलेशिया के अतिरिक्त सभी स्रोत	मीट्रिक टन	87,021	56,507	94,992	41,785
कुल आयात में हिस्सा	%	39.44%	14.03%	20.79%	11.05%
भारतीय माँग में हिस्सा	%	5-10	0-5	0-5	0-5
उतराई मूल्य, मलेशिया के अतिरिक्त स्रोत	₹/मीट्रिक टन	20,254	21,192	18,712	16,965
उतराई मूल्य, मलेशिया	₹/मीट्रिक टन	30,708	29,939	22,323	19,842

156. **मात्रा।** असंबद्ध स्रोतों से आयात आधार वर्ष में 87,021 मीट्रिक टन से घटकर जाँच अवधि में 41,785 मीट्रिक टन हो गए, और भारतीय माँग में उनका हिस्सा 5-10% की सीमा से घटकर 0-5% की सीमा में आ गया। प्राधिकारी इस प्रवृत्ति को निरंतर गिरावट के रूप में वर्णित नहीं करता: जाँच अवधि में गिरने से पूर्व, 2023-24 में मात्रा बढ़कर 94,992 मीट्रिक टन हो गई, जो कुल आयात का 20.79% और आधार वर्ष की मात्रा से अधिक थी। संपूर्ण क्षति अवधि को समग्र रूप से लेने पर मात्रा में गिरावट हुई, और जाँच अवधि में माँग के 5% से कम पर यह बाजार का इतना छोटा हिस्सा है कि इसने घरेलू उद्योग को विस्थापित नहीं किया हो सकता, जिसका स्वयं का माँग में हिस्सा कई गुना अधिक है।

157. कीमत। प्राधिकारी दर्ज करता है कि असंबद्ध आयातों का उतराई मूल्य संपूर्ण क्षति अवधि में मलेशिया से आयातों के उतराई मूल्य से कम रहा, और विशेष रूप से बांग्लादेश से आयात जाँच अवधि में उल्लेखनीय रूप से कम इकाई मूल्य पर भारतीय बाजार में प्रविष्ट हुए। प्राधिकारी समग्र इकाई मूल्यों की इस तुलना को यह स्थापित करने वाला नहीं मानता कि असंबद्ध आयात भारतीय बाजार में कीमत निर्धारित करते हैं। किसी स्रोत से सभी प्रविष्टियों पर

गणना किया गया इकाई मूल्य उस स्रोत से प्रविष्ट की गई मोटाइयों, गुणवत्ताओं और श्रेणियों के मिश्रण को दर्शाता है, और अभिलेख में किसी असंबद्ध स्रोत के मिश्रण का संबद्ध आयातों अथवा घरेलू समान वस्तु के मिश्रण से मिलान करने वाला कोई विश्लेषण नहीं है। इसलिए कम समग्र इकाई मूल्य उतना ही अधिक पतले अथवा निम्न श्रेणी के मिश्रण के अनुरूप है जितना विचाराधीन उत्पाद के तुलनीय वस्तुओं की वास्तविक रूप से कम कीमत के अनुरूप।

158. **परीक्षण।** इन अंतिम निष्कर्षों में पाई गई कीमत क्षति एक आयात स्रोत और दूसरे आयात स्रोत के बीच तुलना पर आधारित नहीं है। यह संबद्ध आयातों के उतराई मूल्य और घरेलू उद्योग की अपनी बिक्री कीमत तथा बिक्री लागत के बीच तुलना पर आधारित है: जाँच अवधि में 30-40% की सीमा में कटौती, बिक्री कीमत में 7% की कमी जबकि बिक्री लागत में 43% की वृद्धि, और लाभ से हानि की ओर गति। माँग के 5% से कम के आयात संपूर्ण बाजार में इतने परिमाण के कीमत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकते, और संबंधित मात्राएँ क्षति अवधि में घटीं जबकि क्षति गहराती गई। अतः प्राधिकारी निर्धारित करता है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति असंबद्ध स्रोतों से आयात के कारण नहीं है। प्राधिकारी दर्ज करता है कि उसने इस कारक की जाँच मात्रा के साथ-साथ कीमत के आधार पर भी की है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अपनी प्रकटीकरण-पश्चात् टिप्पणियों में मोटाई और ग्रेड के समान-से-समान आधार पर घरेलू समान वस्तु के साथ असंबद्ध आयातों की कोई तुलना, अथवा यह दर्शाने वाली कोई अन्य सामग्री कि असंबद्ध आयात भारतीय बाजार में कीमत निर्धारित करते हैं, अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की है।

ढ.3 अन्य भारतीय उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा

159. दो भारतीय उत्पादक घरेलू उद्योग से बाहर किंतु भारतीय बाजार के भीतर हैं, जिनकी बिक्री जाँच अवधि में माँग के 10-15% की सीमा में थी, और जो 2023-24 के स्तर से घटी। प्राधिकारी निर्धारित करता है कि इन उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा ने आवेदकों को हुई क्षति कारित नहीं की, क्योंकि उनकी मात्राएँ एक बढ़ते बाजार में उसी अवधि में और आवेदकों के कीमत और वित्तीय मापदंडों की ही दिशा में घटीं, जो किसी सामान्य बाहरी स्रोत से दबाव के अनुरूप है, न कि घरेलू उद्योग के भीतर विस्थापन के।

ढ.4 माँग में संकुचन और उपभोग का स्वरूप

160. प्राधिकारी नोट करता है कि क्षति जाँच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की माँग बढ़ती रही। इसलिए घरेलू उद्योग को माँग में संकुचन के कारण क्षति नहीं हुई है। यह भी नोट किया

जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोग के स्वरूप में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा सकता था।

ढ.5 प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ और प्रौद्योगिकी में विकास

161. प्राधिकारी नोट करता है कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियों अथवा व्यापार-प्रतिबंधक प्रथाओं का कोई साक्ष्य नहीं है जो घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए उत्तरदायी हो सकती थीं, और कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जो ऐसी क्षति पहुँचा सकता था।

ढ.6 घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और उत्पादकता

162. ऊपर जाँची गई क्षति संबंधी जानकारी केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। निर्यात मात्राएँ किसी भी स्थिति में कम थीं, जो जाँच अवधि में घटकर 58 के सूचकांक (आधार वर्ष = 100) पर आ गईं और उसकी घरेलू बिक्री का एक छोटा अंश थीं। क्षति अवधि में प्रति दिन उत्पादकता बढ़ी। हुई क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन अथवा उत्पादकता के कारण नहीं माना जा सकता।

ढ.7 कार्य-कारण संबंध पर निष्कर्ष

163. प्राधिकारी ने सब्सिडीयुक्त आयातों के मात्रा और कीमत प्रभावों तथा अभिलेख पर आगे रखे गए अथवा प्रतीत होने वाले प्रत्येक अन्य ज्ञात कारक की जाँच की है, और उन अन्य कारकों के क्षतिकारी प्रभावों को पृथक और अलग किया है, विशेष रूप से घरेलू उद्योग के अपने क्षमता विस्तार का उसकी बिक्री लागत पर प्रभाव, जिसे सब्सिडीयुक्त आयातों को आरोपित नहीं किया गया है। प्राधिकारी पुष्ट करता है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति और मलेशिया से आयातों के बीच स्पष्ट कार्य-कारण संबंध विद्यमान है।

ण. <u>क्षति मार्जिन का परिमाण</u>

164. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण उन सिद्धांतों और कार्यप्रणाली के अनुसार किया है जो प्राधिकारी द्वारा गैर-क्षतिकारी कीमत के निर्धारण के लिए एकसमान रूप से अपनाई गई हैं। विचाराधीन उत्पाद की गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण जाँच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित जानकारी और आँकड़ों को अपनाकर किया गया है। गैर-क्षतिकारी कीमत निर्धारित करने के लिए, क्षति अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है, और उपयोगिताओं के साथ भी वही व्यवहार किया गया है। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह

सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण अथवा अनावर्ती व्यय प्रभारित न किया जाए। उक्त कार्यप्रणाली के अनुसार गैर-क्षतिकारी कीमत तक पहुँचने के लिए, विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूँजी, अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्तियों और औसत कार्यशील पूँजी, पर उचित प्रतिफल (कर-पूर्व @ 22%) को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमत किया गया।

165. प्राधिकारी ने इस तर्क पर विचार किया है कि गैर-क्षतिकारी कीमत के निर्धारण में अक्षमताओं और विस्तार-संबंधी लागतों को बाहर रखा जाना चाहिए। यह तर्क सिद्धांत रूप में सुसंगत है और इसे प्रभावी किया गया है। कच्चे माल, उपयोगिताओं और उत्पादन क्षमता पर लागू सर्वोत्तम उपयोग के सिद्धांत कम उपयोग की गई क्षमता से उत्पन्न अक्षमता को बाहर रखने का कार्य करते हैं, और असाधारण तथा अनावर्ती व्ययों का अपवर्जन एकबारगी विस्तार लागतों को बाहर रखने का कार्य करता है, ताकि गैर-क्षतिकारी कीमत घरेलू उद्योग की अपनी अक्षमता से फूली हुई न हो।

166. सहयोगी निर्यातकों के लिए उतराई कीमत का निर्धारण निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के आधार पर किया गया है। मलेशिया के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उतराई कीमत का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया है। क्षति मार्जिन वह राशि है जिससे गैर-क्षतिकारी कीमत उतराई कीमत से अधिक है, जिसे उतराई कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है। मलेशिया के प्रत्येक उत्पादक और निर्यातक पर एकल भारित औसत गैर-क्षतिकारी कीमत लागू की गई है। इंडोनेशिया के संबंध में कोई क्षति मार्जिन निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि उस देश के संबंध में जाँच समाप्त की जा रही है।

उत्पादक / निर्यातक	**क्षति मार्जिन (%)**	**सीमा (%)**
मलेशिया		
किबिंग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी.	***	10-20
ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी.	***	20-30
जिनजिंग टेक्नोलॉजी मलेशिया एसडीएन. बीएचडी.	***	30-40
कोई अन्य उत्पादक / निर्यातक	***	40-50

त. <u>भारतीय उद्योग के मुद्दे</u>

त.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

167. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध इस प्रकार हैं:

i. कि संबद्ध वस्तुओं पर सब्सिडी-रोधी शुल्क अनुप्रवाह उद्योग की उत्पादन लागत को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा देंगे।

ii. कि अधिक लागत से अंतिम उत्पादों का भारत में आयात हो सकता है।

iii. कि शुल्कों का प्रभाव घरेलू उद्योग द्वारा इंगित प्रभाव से कहीं अधिक है।

त.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

168. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध इस प्रकार हैं:

i. कि बढ़ते व्यापार घाटे को देखते हुए घरेलू उत्पादन क्षमताओं पर अधिक निर्भर होना महत्वपूर्ण है, और कि शुल्क लगाने से विदेशी मुद्रा का संरक्षण होगा जो भुगतान संतुलन खाते के अनुकूल होगा।

ii. कि संबद्ध वस्तुओं पर सब्सिडी-रोधी शुल्क लगाने का प्रभाव अंतिम उत्पाद की लागत की तुलना में नगण्य होगा।

iii. कि चूँकि बाजार में पहले से ही छह प्रतिभागी हैं, इसलिए भारत में कोई एकाधिकार नहीं होगा और उपयोगकर्ताओं के पास घरेलू बाजार में भी पर्याप्त स्रोत होंगे।

iv. कि विचाराधीन उत्पाद का आयात अन्य स्रोतों से भी उचित कीमतों पर किया जा सकता है, और इसलिए उपयोगकर्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

v. कि जाँच अवधि में प्रचलित कीमतों के आधार पर परियोजना लागत में शुल्कों का प्रभाव न्यूनतम होगा।

त.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

169. प्राधिकारी नोट करता है कि सब्सिडी-रोधी शुल्क का प्राथमिक उद्देश्य सब्सिडी के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का उपचार करना और भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को बहाल करना है। सब्सिडी-रोधी उपायों को लगाना आयातों को प्रतिबंधित करने के लिए अभिकल्पित नहीं है; यह सब्सिडी, क्षति और दोनों के बीच कार्य-कारण संबंध के निर्धारण के बाद होता है, और यह सुनिश्चित करने का कार्य करता है कि आयात उचित और सब्सिडी-रहित कीमतों पर उपलब्ध हों। शुल्क लगाने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

अगोपनीय संस्करण

170. प्राधिकारी ने आरंभ की अधिसूचना जारी की, जिसमें आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों के विचार आमंत्रित किए गए, और उपयोगकर्ताओं तथा उपभोक्ताओं के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने हेतु एक प्रश्नावली निर्धारित की। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों और आयातकों, उपयोगकर्ताओं तथा उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों को जाँच से संबंधित प्रासंगिक जानकारी, जिसमें उनके परिचालन पर सब्सिडी-रोधी शुल्क का संभावित प्रभाव शामिल है, प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की गई।

171. प्राधिकारी नोट करता है कि किसी भी आयातक, उपयोगकर्ता अथवा उपयोगकर्ता संघ ने वर्तमान जाँच में कोई प्रश्नावली उत्तर अथवा कोई अनुरोध दाखिल नहीं किया। इसलिए दर्ज तर्क बिना किसी सहायक साक्ष्य के आगे रखे गए हैं, और किसी भी पक्षकार ने कोई विश्लेषण, आँकड़े अथवा कार्यपद्धति प्रस्तुत नहीं की है जो दर्शाए कि शुल्क उसके वित्तीय निष्पादन अथवा अंतिम उपभोक्ता के लिए कीमत को कैसे प्रभावित करेगा। घरेलू उद्योग का यह अनुमान कि अंतिम उपभोक्ताओं पर प्रभाव नगण्य होगा, अभिलेख पर अखंडित है।

172. प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि भारतीय बाजार में छह उत्पादक कार्यरत हैं और विचाराधीन उत्पाद असंबद्ध स्रोतों से उपलब्ध है, इसलिए शुल्क लगाने से भारतीय बाजार में उत्पाद की उपलब्धता अथवा प्रतिस्पर्धा प्रतिबंधित नहीं होगी।

थ. प्रकटीकरण-पश्चात् टिप्पणियाँ

थ.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

173. ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी., जिनजिंग टेक्नोलॉजी मलेशिया एसडीएन. बीएचडी. और किबिंग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी., प्रत्येक से दिनांक 24.09.2026 की, तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटीकरण-पश्चात् टिप्पणियाँ प्राप्त हुई हैं। उनके द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

1. कि प्राधिकारी ने प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों को सहयोगी पक्षकारों के रूप में दर्ज किया है, और उनके व्यक्तिगत सब्सिडी मार्जिन, याचिका-आधारित अनुमानों अथवा अवशिष्ट पद्धति का सहारा लिए बिना, उनके स्वयं के प्रश्नावली उत्तरों में प्रस्तुत और डेस्क सत्यापन के दौरान उनके समर्थक अभिलेखों से जाँचे गए आँकड़ों के आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए।

2. कि कुछ कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धारित सब्सिडी मार्जिन में सुधार आवश्यक है, क्योंकि गणना प्राधिकारी द्वारा दर्ज कार्यप्रणाली के अनुसार नहीं है; कि आयकर कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ वास्तव में छोड़ा गया कर होना चाहिए न कि भत्ते की सकल राशि; और कि प्राकृतिक गैस के लिए भुगतान की गई राशियाँ, जैसा कि अभिलेख पर चालानों में प्रतिबिंबित है, सही ढंग से दर्ज नहीं की गई हैं।

3. कि प्राधिकारी ने यह जाँच नहीं की है कि प्रतिवादियों द्वारा प्राकृतिक गैस के लिए वास्तव में भुगतान की गई कीमतें विकृत थीं या नहीं, और देश से बाहर के बेंचमार्क का सहारा लेने से पूर्व मलेशिया में स्वतंत्र (आर्म्स-लेंथ) घरेलू लेन-देन पर विचार किया जाना चाहिए था।

4. कि देश से बाहर के बेंचमार्क को अपनाना मलेशिया से टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास से संबंधित हाल के निष्कर्षों में प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से असंगत है।

5. कि देश से बाहर के बेंचमार्क का स्रोत और अंतर्निहित आँकड़े पर्याप्त रूप से प्रकट नहीं किए गए हैं।

6. कि देश से बाहर के किसी भी बेंचमार्क को गैस की प्रकृति और आपूर्ति, परिवहन, पुनर्गैसीकरण, गुणवत्ता, ऊष्मीय मान, संविदात्मक शर्तों, करों और अन्य प्रासंगिक कारकों में अंतर के लिए उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।

7. कि मलेशिया औद्योगिक पार्क निर्देशिका एक सामान्य प्रकाशन है न कि संबंधित भूमि, पट्टा-अवधि, अवस्थिति और शर्तों के लिए लेन-देन-विशिष्ट बेंचमार्क।

8. कि भूमि सीधे सरकार अथवा किसी सार्वजनिक निकाय से प्राप्त नहीं की गई थी, बल्कि एक सहबद्ध संस्था से अर्जित की गई थी, और वित्तीय योगदान के निष्कर्ष पर पुनर्विचार आवश्यक है।

9. कि पंद्रह वर्षों में भूमि लाभ के आबंटन का कोई प्रकट आधार नहीं है, और भूमि की पट्टा-अवधि तथा प्राधिकारी की पूर्व प्रथा एक लंबी आबंटन अवधि को उचित ठहराती है।

10. कि लागू की गई विनिमय दरें प्रतिवादियों द्वारा अपने प्रश्नावली उत्तरों में प्रस्तुत दरों के अनुरूप नहीं हैं।

11. कि मशीनरी और कल-पुर्जों पर आयात शुल्क से छूट के लिए प्रतिवादियों द्वारा अपनाई गई आबंटन अवधि उनके अभिलेखों द्वारा समर्थित है और इसे बनाए रखा जाना चाहिए।

12. कि संबंधित और परस्पर-स्वामित्व वाली संस्थाओं के साथ संबंधित संबंध और लेन-देन प्रश्नावली उत्तरों में प्रकट किए गए हैं, कि कोई विशिष्ट अप्रकट लेन-देन अथवा लाभ चिह्नित नहीं किया गया है, और कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।

13. कि क्लियर फ्लोट ग्लास के लिए हाल ही में लागू किया गया न्यूनतम आयात मूल्य आयात की स्थितियों में एक भौतिक परिवर्तन है, कि एक अतिरिक्त यथामूल्य प्रतिकारी शुल्क के परिणामस्वरूप अति-उपचार होगा, और कि, वैकल्पिक रूप से, शुल्क संदर्भ कीमत के रूप में होना चाहिए।

14. कि प्राधिकारी कृपया नियम 16(1)(घ) के अंतर्गत इंडोनेशिया के संबंध में सीवीडी जाँच को समाप्त करने के प्रस्ताव की पुष्टि करे, क्योंकि इंडोनेशिया से सत्यापित आयात निर्धारित 4% की सीमा से नीचे थे और व्यक्तिगत रूप से 4% से नीचे के विकासशील देशों का सामूहिक हिस्सा भी लागू 9% की सीमा से नीचे रहा। परिणामस्वरूप, इंडोनेशिया के विरुद्ध कोई सब्सिडी मार्जिन, क्षति मार्जिन अथवा प्रतिकारी शुल्क उचित नहीं है, और इंडोनेशियाई सब्सिडी कार्यक्रमों के कथित आरोप के संबंध में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।

15. कि चूँकि इंडोनेशिया के संबंध में कोई कार्यक्रम-वार निर्धारण नहीं किया गया है, प्रतिवादी के अधिकार और कथित सब्सिडी कार्यक्रमों से संबंधित अभ्यावेदन पूर्णतः सुरक्षित रहते हैं। यदि प्राधिकारी प्रस्तावित समाप्ति से हटने का प्रस्ताव करता है, तो प्रतिवादी को पूर्ण तथ्यात्मक और कानूनी आधार, कार्यक्रम-वार आवश्यक तथ्य, बेंचमार्क और गणनाएँ, साथ ही ऐसा कोई निष्कर्ष अंतिम निष्कर्षों में शामिल किए जाने से पहले उत्तर देने का सार्थक अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

थ.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

अगोपनीय संस्करण

174. घरेलू उद्योग ने दिनांक 23.09.2026 की अपनी टिप्पणियों में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

1. कि प्रकटीकरण विवरण स्वयं अपनी संबंधित, सहबद्ध और परस्पर-स्वामित्व वाली संस्थाओं के संबंध में सहभागी मलेशियाई उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए गए प्रकटीकरणों में भौतिक कमियों को दर्ज करता है। यह अनुरोध किया गया कि निर्यातकों ने ऐसी संस्थाओं और बिजली, भूमि, वित्त, आदानों, उपयोगिताओं और सेवाओं से संबंधित उनके लेन-देन के संबंध में पूर्ण जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि ऐसी जानकारी प्रतिकार-योग्य लाभों के अस्तित्व, प्राप्तकर्ता, प्रकृति, मात्रा और आरोपण के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है और, इसलिए, नियम 7(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों का उपयुक्त सहारा लिए बिना, त्रुटिपूर्ण प्रकटीकरण व्यक्तिगत सब्सिडी मार्जिन के निर्धारण का आधार नहीं बन सकते। जापान - डीआरएएम (कोरिया), यूएस - कोरिया के कतिपय उत्पादों पर प्रतिकारी उपाय तथा एससीएम करार के अनुच्छेद 12.7 पर निर्भरता व्यक्त की गई।

2. कि जिनजिंग टेक्नोलॉजी मलेशिया एसडीएन. बीएचडी. ने अपने समूह की वार्षिक रिपोर्ट 2025 के पृष्ठ 90 पर दर्ज "5+5" वर्ष की अवधि के लिए आयकर छूट को प्रकट नहीं किया है, जिसकी पूर्ण प्रतिकार-योग्य सब्सिडी के निर्धारण के लिए जाँच आवश्यक है।

3. घरेलू उद्योग ने आगे उसी उत्पाद और मलेशियाई निर्यातकों के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग के निर्धारण की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें जिनजिंग मलेशिया और ज़िनयी मलेशिया की कॉर्पोरेट संरचनाओं में परस्पर-स्वामित्व वाली संस्थाओं की पहचान की गई थी। घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि वह अमेरिकी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सब्सिडी दरों को यांत्रिक रूप से अपनाने की माँग नहीं करता, किंतु अनुरोध करता है कि वह निर्धारण स्वतंत्र रूप से समूह-स्तर की जाँच की प्रासंगिकता को प्रदर्शित करता है और वर्तमान जाँच में संबंधित और परस्पर-स्वामित्व वाली संस्थाओं के पूर्ण प्रकटीकरण की आवश्यकता को सुदृढ़ करता है।

4. कि सत्यापन किसी मूलतः अपूर्ण उत्तर की पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि सत्यापन का उद्देश्य प्रतिवादी द्वारा प्रकट की गई जानकारी को सत्यापित करना है और यह उन संस्थाओं और लेन-देन के प्रकटीकरण का स्थान नहीं ले सकता जिन्हें प्रतिवादी अपने उत्तर में पहचानने में विफल रहा। इसलिए घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि जहाँ

तक आवश्यक जानकारी अप्रकट रहती है, प्राधिकारी निर्यातकों को आरोपणीय सब्सिडी का निर्धारण नियम 7(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर करे, जिसमें संबंधित अथवा परस्पर-स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा प्राप्त लाभों का उचित आरोपण शामिल है।

5. कि मलेशिया सरकार ने प्राधिकारी द्वारा माँगी गई कार्यक्रम-वार जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, जिसमें अमेरिकी प्राधिकरण द्वारा प्रतिकारित सब्सिडी कार्यक्रमों तथा वर्तमान जाँच में उनकी कथित अप्रयोज्यता के कारणों से संबंधित जानकारी शामिल है। अनुरोध किया गया है कि अंतर्निहित जानकारी और सहायक साक्ष्य के अभाव में अप्रयोज्यता के दावे सत्यापन के लिए आवश्यक जानकारी का स्थान नहीं ले सकते।

6. बांग्लादेश से आयात के संबंध में, कि आवेदन में ऐसे आयातों को लगभग ₹ 22,000/मीट्रिक टन पर कुल आयात के 3% से कम दर्शाया गया था, और प्राधिकारी को प्रकटीकरण विवरण में दर्ज 5.151% के हिस्से की पुनः जाँच करनी चाहिए; और कि ऐसे आयात माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एशाई इंडिया ग्लास लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) 17186/2022 में पारित दिनांक 19.12.2022 के आदेश के अनुसरण में अनंतिम निर्धारण के अधीन हैं, जिसे उनकी मात्रा, कीमत और बाजार महत्व की जाँच करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

7. कि प्राधिकारी को अंतिम निष्कर्षों में सारभूत क्षति और कार्य-कारण संबंध के अस्तित्व की पुष्टि करनी चाहिए।

थ.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

175. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटीकरण-पश्चात् अनुरोधों की जाँच की है। इनमें से अधिकांश अनुरोध उन तर्कों की पुनरावृत्ति हैं जिनकी इन अंतिम निष्कर्षों के संबंधित पैराग्राफों में पहले ही जाँच की जा चुकी है और जिन्हें संबोधित किया जा चुका है। जहाँ तक अनुरोध नए अथवा विशिष्ट तर्क उठाते हैं, उनकी जाँच नीचे की गई है।

प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों की सहयोगी पक्षकारों के रूप में स्थिति के संबंध में

अगोपनीय संस्करण

176. प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने अनुमत समय के भीतर अपने प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए, माँगे गए स्पष्टीकरणों का उत्तर दिया, और वे अभिलेख प्रस्तुत किए जिनसे उनके उत्तरों की जाँच की गई। तदनुसार उन्हें सहयोगी माना गया है, और उनमें से प्रत्येक के लिए उसकी अपनी जानकारी के आधार पर व्यक्तिगत सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किए गए हैं। जहाँ किसी निर्यातक द्वारा किसी कार्यक्रम का उल्लेख उसके कार्यक्रम-वार उत्तरों से अन्यत्र किया गया था, वहाँ प्राधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर उसकी जाँच की है।

सब्सिडी मार्जिन की गणना के संबंध में

177. प्राधिकारी ने प्रतिवादी निर्यातकों के इन तर्कों की जाँच की है कि निर्यातकों की अपनी गणनाओं के आधार पर सब्सिडी मार्जिन पर पुनर्विचार आवश्यक है। निर्धारण में अपनाई गई लाभ राशियाँ, कारोबार और अन्य आँकड़े वे हैं जो प्रत्येक प्रतिवादी के समर्थक अभिलेखों के डेस्क सत्यापन पर सामने आए। जहाँ सत्यापित आँकड़ा स्व-रिपोर्ट किए गए आँकड़े से भिन्न था, वहाँ सत्यापित आँकड़े को वरीयता दी गई है। पुनः जाँच करने पर, प्राधिकारी ने पाया है कि निवेश कर भत्ता, औद्योगिक भवन भत्ता और त्वरित पूँजी भत्ता के अंतर्गत किबिंग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी. द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ सकल भत्ते को दर्शाते थे न कि छोड़ा गया कर को, और यह कि उपकरणों पर बिक्री कर छूट, पूँजी-संबद्ध लाभ होने के कारण, पूर्ण रूप से जाँच अवधि में व्यय की गई थी। इन लाभों की पुनर्गणना कार्यक्रम 3, 4 और 5 के अंतर्गत दर्ज अनुसार की गई है, और किबिंग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी. के सब्सिडी मार्जिन तथा मलेशिया के लिए अवशिष्ट सब्सिडी मार्जिन को तदनुसार संशोधित किया गया है। यह संशोधन अधोमुखी है और प्रतिवादी के स्वयं के अनुरोधों से उत्पन्न होता है। उपर्युक्त को छोड़कर, निर्धारित सब्सिडी मार्जिन यथावत रखे गए हैं।

प्राकृतिक गैस बेंचमार्क के संबंध में

178. प्राधिकारी ने इन अनुरोधों पर विचार किया है कि (क) प्राधिकारी ने यह जाँच नहीं की है कि व्यक्तिगत प्रतिवादियों द्वारा भुगतान की गई कीमतें विकृत हैं या नहीं; (ख) देश से बाहर के बेंचमार्क का सहारा लेने से पूर्व मलेशिया में दृश्य स्वतंत्र (आर्म्स-लेंथ) घरेलू लेन-देन पर विचार किया जाना चाहिए था; (ग) इंडोनेशियाई बेंचमार्क को अपनाना मलेशिया से टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास के आयात से संबंधित सब्सिडी-रोधी जाँच में प्राधिकारी के दिनांक 03.03.2026 के निष्कर्ष से असंगत है; और (घ) बेंचमार्क का स्रोत और अंतर्निहित आँकड़े पर्याप्त रूप से प्रकट नहीं किए गए हैं।

179. बिंदु (क) के संबंध में, पैराग्राफ 66 से 68 में दिया गया निष्कर्ष यह निष्कर्ष नहीं है कि व्यक्तिगत प्रतिवादी का लेन-देन विकृत था; यह निष्कर्ष है कि मलेशियाई घरेलू संदर्भ कीमत स्वयं – जो उसी ढाँचे के अंतर्गत निर्धारित प्रशासित कीमत है जिस पर सब्सिडी प्रदान करने का आरोप है, और ऐसे बाजार में है जिसमें पूर्णतः राज्य-स्वामित्व वाला निगम घरेलू आपूर्ति का एकमात्र संग्राहक है – पारिश्रमिक की पर्याप्तता के माप के रूप में कार्य नहीं कर सकती। अनुच्छेद 14(घ) के अंतर्गत जाँच पारिश्रमिक की पर्याप्तता पर केंद्रित है, न कि व्यक्तिगत क्रेता की संविदा की शर्तों पर।

180. बिंदु (ख) के संबंध में, किसी भी प्रतिवादी ने जाँच अवधि के दौरान मलेशिया में प्रचलित कोई स्वतंत्र, अप्रशासित घरेलू गैस कीमत अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की है जो देश के भीतर के बेंचमार्क के रूप में कार्य कर सकती। देश के भीतर की कोई वैकल्पिक कीमत चिह्नित नहीं की गई है।

181. बिंदु (ग) के संबंध में, प्रत्येक जाँच अपने स्वयं के अभिलेख, अपने स्वयं के विचाराधीन उत्पाद और अपनी स्वयं की जाँच अवधि के आधार पर आगे बढ़ती है। टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास जाँच में निर्धारण एक भिन्न अभिलेख के आधार पर किया गया था और वह वर्तमान जाँच पर बाध्यकारी नहीं है।

182. बिंदु (घ) के संबंध में, बेंचमार्क कीमतें प्रकाशित टैरिफ अनुसूचियों और इंडोनेशियाई गैस बाजार के अप्रशासित खंड के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध गैस-कीमत आँकड़ों से ली गई हैं, जैसा कि अभिलेख पर रखा गया है। माह-वार श्रृंखला, कीमत श्रेणी और आँकड़े प्रकटीकरण विवरण और इन अंतिम निष्कर्षों में प्रकट किए गए हैं।

183. इस अनुरोध के संबंध में कि इंडोनेशियाई बेंचमार्क समायोजनों के अधीन होना चाहिए, प्राधिकारी नोट करता है कि अप्रैल 2024 के लिए अपनाया गया बेंचमार्क न्यूनतम प्रकाशित उपभोक्ता श्रेणी के लिए अप्रशासित पाइपलाइन कीमत था, जो प्रतिवादियों के लिए सबसे कम प्रतिकूल आँकड़ा है। शेष महीनों के लिए पुनर्गैसीकृत एलएनजी कीमत ली गई है। प्रतिवादियों ने अपने द्वारा माँगे गए समायोजनों का कोई परिमाणन अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है। परिमाणित समायोजनों के अभाव में कोई समायोजन नहीं किया गया है।

अपर्याप्त पारिश्रमिक पर भूमि की आपूर्ति के संबंध में

184. बेंचमार्क के संबंध में, किसी भी प्रतिवादी ने दिशानिर्देश मूल्य प्रस्तुत नहीं किया अथवा यह तर्क नहीं दिया कि कोई समकालीन तुलनीय लेन-देन उपलब्ध था। प्राधिकारी ने सूचित सीमा के निचले छोर को लागू करते हुए मलेशिया औद्योगिक पार्क निर्देशिका पर निर्भर किया है। अभिलेख पर कोई वैकल्पिक बेंचमार्क प्रस्तुत नहीं किया गया है। बेंचमार्क यथावत रखा जाता है।

185. इस अनुरोध के संबंध में कि भूमि एक परस्पर-स्वामित्व वाली सहबद्ध संस्था से अर्जित की गई थी, प्राधिकारी पैराग्राफ 49(iii) में दिए गए निष्कर्ष को दोहराता है: परस्पर-स्वामित्व वाली सहबद्ध संस्था का बीच में होना वित्तीय योगदान के निष्कर्ष को निष्प्रभावी नहीं करता।

186. आबंटन अवधि के संबंध में, लाभ को अनुलग्नक IV के अंतर्गत पंद्रह वर्षों में आबंटित किया गया है, आबंटन अवधि उत्पादन में प्रयुक्त परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से संबंधित है, न कि स्वत्व की अवधि से। एल्युमिनियम प्राइमरी फाउंड्री अलॉय इंगट जाँच के संबंध में, वह निर्धारण एक भिन्न अभिलेख के आधार पर किया गया था और वर्तमान जाँच पर बाध्यकारी नहीं है।

विनिमय दर के संबंध में

187. प्राधिकारी ने प्रत्येक प्रतिवादी की अपनी लेखा बहियों और समर्थक अभिलेखों से ली गई विनिमय दर लागू की है, जैसा कि डेस्क सत्यापन के दौरान सत्यापित किया गया। सत्यापित दरों की पुष्टि की जाती है।

मशीनरी और कल-पुर्जों पर आयात शुल्क छूट के लिए आबंटन अवधि के संबंध में

188. प्रतिवादियों के अनुरोधों की जाँच करने के पश्चात्, प्राधिकारी नोट करता है कि मशीनरी पर आयात शुल्क से छूट अनेक वर्षों तक उत्पादन में प्रयुक्त पूँजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित है, और तदनुसार एक अनावर्ती लाभ है। खंड छ में दर्ज कार्यप्रणाली के अनुरूप और किबिंग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी. के मामले में उपकरणों पर छूट के व्यवहार के अनुरूप, लाभ को पंद्रह वर्ष के औसत उपयोगी जीवन में आबंटित किया गया है। तदनुसार प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तावित बारह वर्ष की आबंटन अवधि नहीं अपनाई गई है।

संबंधित और परस्पर-स्वामित्व वाली संस्थाओं के संबंध में

189. किसी परस्पर-स्वामित्व वाली संस्था द्वारा प्राप्त सब्सिडी किसी प्रतिवादी पर केवल तभी आरोप्य है जब वह संस्था संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से समर्पित कोई आदान आपूर्ति करती हो, अथवा कोई धारक कंपनी अथवा संबद्ध वस्तुओं की उत्पादक हो, और उसने स्वयं मलेशिया सरकार से कोई वित्तीय योगदान प्राप्त किया हो। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा नामित प्रत्येक संस्था पर यह कसौटी लागू की है। **जिनजिंग:** उसकी आयकर विवरणी सहित उसके अपने अभिलेख मलेशिया में किसी संबंधित संस्था से आदानों की कोई खरीद प्रकट नहीं करते, और उसके संबंधित-पक्षकार लेन-देन मलेशिया से बाहर की संस्थाओं अथवा निजी संस्थाओं के साथ हैं, जिनमें से किसी में भी मलेशिया सरकार द्वारा कोई वित्तीय योगदान शामिल नहीं है। **ज़िनयी:** ज़िनयी ने एक संबंधित संस्था से एक सामग्री की खरीद और ज़िन युन लॉजिस्टिक्स (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. से परिवहन सेवाएँ प्रकट की हैं; परिवहन सेवाएँ संबद्ध वस्तुओं के लिए आदान नहीं हैं, और ऐसा कोई कार्यक्रम चिह्नित नहीं किया गया है जिसके अंतर्गत संबंधित आपूर्तिकर्ता ने आपूर्ति की गई सामग्री के संबंध में कोई वित्तीय योगदान प्राप्त किया हो। **नामित अन्य संस्थाएँ:** ज़िनयी फोटोवोल्टिक (मलेशिया) कंपनी लिमिटेड, सीएस इको ग्लास (एम) एसडीएन. बीएचडी. और मलेशिया किबिंग एनर्जी सेविंग ग्लास कंपनी लिमिटेड के संबंध में, अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जो यह दर्शाए कि उनमें से किसी ने जाँच अवधि में संबंधित प्रतिवादी को कोई आदान आपूर्ति किया अथवा संबद्ध वस्तुओं पर आरोप्य कोई वित्तीय योगदान मलेशिया सरकार से प्राप्त किया। तदनुसार यह तर्क स्वीकार नहीं किया जाता कि उत्तरों को पूर्णतः अस्वीकार किया जाए। यह चिंता कि सभी लाभों की जाँच की जाए, स्वीकार की जाती है; जिनजिंग की छूट की जाँच कार्यक्रम 7 के रूप में की गई है।

जिनजिंग की आयकर छूट और अमेरिकी वाणिज्य विभाग के निष्कर्षों के संबंध में

190. **जिनजिंग की आयकर छूट।** घरेलू उद्योग के तर्क की जाँच की गई है। जिनजिंग के अपने अभिलेख स्थापित करते हैं कि जाँच अवधि के दौरान उसे उत्तरी कॉरिडोर आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत अपनी सांविधिक आय के 100 प्रतिशत की छूट प्राप्त थी, और इस कार्यक्रम की जाँच कार्यक्रम 7 के रूप में की गई है। जिनजिंग ने स्वयं अपने प्रश्नावली उत्तर में इस छूट का उल्लेख किया और स्पष्ट किया कि इसके अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। जाँच अवधि के भीतर आने वाले निर्धारण वर्ष के लिए उसकी कर संगणना दर्शाती है कि कोई सांविधिक आय

अगोपनीय संस्करण

छूट-प्राप्त नहीं थी और कोई कर छोड़ा नहीं गया। कार्यक्रम 7 में दर्ज कारणों से, इसके अंतर्गत कोई राशि प्रतिकारित नहीं की गई है।

191. **अमेरिकी वाणिज्य विभाग के निष्कर्ष।** अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने जिनजिंग सिलिकॉन टेक्नोलॉजी एसडीएन. बीएचडी. और ज़िन युन लॉजिस्टिक्स (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. को क्रमशः जिनजिंग और ज़िनयी के साथ परस्पर-स्वामित्व वाली संस्थाओं के रूप में चिह्नित किया। प्राधिकारी ने जाँच की है कि क्या इन संस्थाओं ने प्रतिवादियों को आदानों की आपूर्ति की। जिनजिंग के अपने अभिलेख मलेशिया में किसी संबंधित संस्था से कोई खरीद प्रकट नहीं करते, और जिनजिंग सिलिकॉन टेक्नोलॉजी एसडीएन. बीएचडी. के साथ कोई लेन-देन प्रकट नहीं करते। ज़िन युन लॉजिस्टिक्स परिवहन सेवाएँ प्रदान करती है, जो संबद्ध वस्तुओं के लिए आदान नहीं है। अमेरिकी निर्धारण एक भिन्न अवधि और अभिलेख पर आधारित है, और परस्पर-स्वामित्व को स्थापित करता है किंतु वर्तमान जाँच अवधि में किसी आदान की आपूर्ति को स्थापित नहीं करता। इस तर्क की जाँच की गई है और इसे स्वीकार नहीं किया जाता।

मलेशिया सरकार द्वारा कार्यक्रम-वार जानकारी प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में

192. प्राधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर संबंधित कार्यक्रमों का आकलन किया है। जहाँ जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई, वहाँ प्राधिकारी ने नियमों के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की है।

बांग्लादेश से आयात के आँकड़ों के संबंध में

193. बांग्लादेश से आयात का हिस्सा विचाराधीन उत्पाद के लिए डीजी-सिस्टम्स के लेन-देन-वार आयात आँकड़ों से निर्धारित किया गया है, जो 3,78,226 मीट्रिक टन के कुल आयात में से 19,482 मीट्रिक टन, अर्थात् 5.151 प्रतिशत है। आवेदन में दिया गया आँकड़ा आरंभ के चरण में उस समय तर्कसंगत रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया गया एक अनुमान था; घरेलू उद्योग ने भिन्न मात्रा स्थापित करने वाला कोई लेन-देन-स्तरीय आँकड़ा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है, और प्राथमिक आँकड़े प्रभावी रहते हैं। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में अनंतिम निर्धारण उन आयातों पर शुल्क देयता को प्रभावित करता है, न कि घरेलू उपभोग के लिए उनके आयात के तथ्य अथवा मात्रा को, और तदनुसार उन्हें कुल आयात में गिना गया है। इस तर्क की जाँच की गई है और इसे स्वीकार नहीं किया जाता।

न्यूनतम आयात मूल्य अधिसूचना के संबंध में

194. न्यूनतम आयात मूल्य विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत जारी एक व्यापार-नीति उपाय है, जो विधिक आधार, प्रयोजन, अवधि और प्रशासनिक प्राधिकरण में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 के अंतर्गत प्रतिकारी शुल्क से भिन्न है। दोनों उपाय स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। क्षति का निर्धारण और सब्सिडी मार्जिन जाँच अवधि के सत्यापित आँकड़ों के आधार पर स्थापित किए गए हैं। न्यूनतम आयात मूल्य, जाँच अवधि के पश्चात् अधिसूचित होने के कारण, सब्सिडी अथवा क्षति के निर्धारण को प्रभावित नहीं करता। सीमित अवधि के एक पृथक व्यापार-नीति उपाय का अस्तित्व, जहाँ सब्सिडी, क्षति और कार्य-कारण संबंध स्थापित हो चुके हैं, पाई गई सब्सिडी और क्षति को प्रतिसंतुलित करने के लिए उपाय की आवश्यकता को समाप्त नहीं करता।

195. यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता कि शुल्क संदर्भ कीमत के रूप में होना चाहिए। प्राधिकारी द्वारा प्रतिकारी शुल्क कार्यवाहियों में सुसंगत रूप से यथामूल्य रूप अपनाया जाता है और यह वर्तमान मामले में उपयुक्त है।

सारभूत क्षति और कार्य-कारण संबंध के संबंध में

196. प्राधिकारी सत्यापित आयात आँकड़ों, कीमत प्रभावों, क्षति मापदंडों और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर निर्धारित अनुसार, मलेशिया से सब्सिडीयुक्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को सारभूत क्षति की पुष्टि करता है।

इंडोनेशिया के संबंध में जाँच की समाप्ति के संबंध में

197. इंडोनेशिया से आयात की मात्रा जाँच अवधि में और क्षति अवधि के प्रत्येक वर्ष में चार प्रतिशत की सीमा से कम है। व्यक्तिगत रूप से चार प्रतिशत से कम हिस्से वाले विकासशील देशों का सामूहिक हिस्सा नौ प्रतिशत से कम है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने सीमा से अधिक संभावित मात्रा का साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया। नियम 16(1)(घ) के अंतर्गत समाप्ति की पुष्टि की जाती है। इंडोनेशिया के संबंध में कोई सब्सिडी मार्जिन, क्षति मार्जिन अथवा प्रतिकारी शुल्क निर्धारित अथवा अनुशंसित नहीं किया जाता, और कोई कार्यक्रम-वार निष्कर्ष

नहीं दिया गया है। आरोपित कार्यक्रमों के संबंध में इंडोनेशियाई प्रतिवादी के अधिकार सुरक्षित रखे गए के रूप में नोट किए जाते हैं।

द. निष्कर्ष

198. उपर्युक्त निष्कर्ष में दर्ज हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों, प्रदान की गई जानकारी और किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, और सब्सिडी, क्षति तथा घरेलू उद्योग के साथ कार्य-कारण संबंध के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नानुसार निष्कर्ष निकालता है:

i. आवेदक नियमों के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और आवेदन पात्रता के मापदंडों को पूरा करता है।

ii. विचाराधीन उत्पाद बीआईएस 14900:2000 के अनुसार 4 मिमी से 12 मिमी सांकेतिक मोटाई का क्लियर फ्लोट ग्लास है, और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएँ उसकी समान वस्तु हैं।

iii. इंडोनेशिया और मलेशिया प्रत्येक नियमों के नियम 16(1) के प्रयोजन के लिए विकासशील देश हैं। जाँच अवधि में इंडोनेशिया से सब्सिडीयुक्त आयातों की मात्रा भारत में समान वस्तु के कुल आयात की 3.40% थी, जो चार प्रतिशत की सीमा से कम है, और व्यक्तिगत रूप से चार प्रतिशत से कम के सभी विकासशील देशों का सामूहिक हिस्सा 5.897% है, जो नौ प्रतिशत की सीमा से कम है। तदनुसार इंडोनेशिया के संबंध में जाँच नियम 16(1)(घ) के अंतर्गत समाप्त की जाती है, और उस देश के संबंध में कोई सब्सिडी मार्जिन, क्षति मार्जिन अथवा शुल्क की सिफारिश नहीं की जाती।

iv. मलेशिया से आयात की मात्रा नियम 16(1)(घ) के अंतर्गत निर्धारित सीमा से ऊपर है, और उस देश के संबंध में जाँच जारी रहती है।

v. जाँच अवधि के दौरान मलेशिया के सहभागी उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्रतिकार-योग्य सब्सिडी प्राप्त की गई, और निर्धारित सब्सिडी मार्जिन ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. के संबंध में 11.61% (सीमा 10-20%), किबिंग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी. के संबंध में 11.44% (सीमा 10-20%) और जिनजिंग

टेक्नोलॉजी मलेशिया एसडीएन. बीएचडी. के संबंध में 8.58% (सीमा 0-10%) हैं, तथा मलेशिया के लिए अवशिष्ट मार्जिन 15.66% (सीमा 10-20%) है।

vi. घरेलू उद्योग को जाँच अवधि के दौरान उल्लेखनीय कीमत कटौती, कीमतों में गिरावट और कीमतों के दमन के रूप में क्षति हुई है। इस प्रकार हुई क्षति सारभूत है, जो हानि, नकद हानि, निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल, माल-सूची के संचय और क्षमता उपयोग में गिरावट में परिलक्षित होती है।

vii. मलेशिया के उत्पादकों और निर्यातकों के संबंध में निर्धारित क्षति मार्जिन ऊपर खंड ण में दिए गए अनुसार हैं, और प्रत्येक मामले में सब्सिडी मार्जिन क्षति मार्जिन से कम है, अतः न्यूनतर शुल्क नियम लागू करने पर अनुशंसित शुल्क सब्सिडी मार्जिन के बराबर है।

viii. घरेलू उद्योग को हुई सारभूत क्षति मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के सब्सिडीयुक्त आयातों के कारण हुई है। अन्य ज्ञात कारकों के क्षतिकारक प्रभावों को, विशेष रूप से घरेलू उद्योग के क्षमता विस्तार का उसकी बिक्री लागत पर प्रभाव, पृथक और विभेदित किया गया है और उन्हें सब्सिडीयुक्त आयातों पर आरोपित नहीं किया गया है।

ix. प्राधिकारी संतुष्ट है कि सब्सिडी और उसके कारण हुई क्षति को प्रतिसंतुलित करने के लिए मलेशिया के मूल की अथवा वहाँ से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के आयात पर, नीचे खंड न में निर्धारित रूप और रीति से, निश्चयात्मक प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना आवश्यक है।

न. सिफारिशें

199. प्राधिकारी नोट करता है कि जाँच आरंभ की गई थी और मलेशिया सरकार सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा सब्सिडी, क्षति और कार्य-कारण संबंध के पक्ष अथवा विपक्ष में जानकारी/साक्ष्य प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। नियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सब्सिडी, क्षति और कार्य-कारण संबंध की जाँच आरंभ और संचालित करने के बाद तथा ऐसे सब्सिडीयुक्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई सारभूत क्षति के साथ-साथ धनात्मक सब्सिडी मार्जिन स्थापित करने के बाद, प्राधिकारी का मत है कि सब्सिडीकरण और क्षति की भरपाई के लिए अंतिम प्रतिकारी शुल्क लगाना आवश्यक है। अतः

अगोपनीय संस्करण

प्राधिकारी नीचे वर्णित रूप और तरीके से मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर अंतिम प्रतिकारी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझता है।

200. नियमों के नियम 19 के अनुसार, और अपनाए गए न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, नामित प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई सारभूत क्षति को दूर करने के लिए मलेशिया के मूल की अथवा वहाँ से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर सब्सिडी मार्जिन और क्षति मार्जिन में से न्यूनतर के बराबर सब्सिडी-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

तदनुसार, उपर्युक्त उपबंध द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत, प्राधिकारी मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर, केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पाँच (5) वर्ष की अवधि के लिए, नीचे संलग्न शुल्क तालिका के स्तंभ 7 में विनिर्दिष्ट दरों पर निश्चयात्मक सब्सिडी-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझता है, और एतद्द्वारा सिफारिश करता है।

<u>शुल्क तालिका</u>

क्र.सं.	**शीर्ष**	**विवरण**	**मूल देश**	**निर्यात करने वाला देश**	**उत्पादक**	**शुल्क राशि सीआईएफ मूल्य के % के रूप में (7)**
1	2	3	4	5	6	7
1	7003,7004, 7005,7007, 7008,7009, 7013,7015, 7016,7018, 7019 and 7020	4 मिमी से 12 मिमी (दोनों सहित) तक की सांकेतिक मोटाई वाला क्लियर फ्लोट ग्लास, जहाँ सांकेतिक मोटाई बीआईएस 14900:2000 के अनुसार है	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी देश	ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी.	11.61

अगोपनीय संस्करण

2	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी देश	किबिंग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी.	11.44
3	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी देश	जिनजिंग टेक्नोलॉजी मलेशिया एसडीएन. बीएचडी.	8.58
4	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी देश	1 से 3 को छोड़कर कोई भी उत्पादक	15.66
5	-वही-	-वही-	मलेशिया के अतिरिक्त कोई भी देश	मलेशिया	कोई भी उत्पादक	15.66

टिप्पणी 1 - ऊपर उल्लिखित सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है।

टिप्पणी 2 - विचाराधीन उत्पाद का विवरण "4 मिमी से 12 मिमी (दोनों सहित) की सांकेतिक मोटाई का क्लियर फ्लोट ग्लास" है, सांकेतिक मोटाई बीआईएस 14900:2000 (यथासंशोधित) के अनुसार है, और चाहे इसे व्यापारिक बाजार में बेचा जाए अथवा कैप्टिव रूप से अंतरित किया जाए।

अगोपनीय संस्करण

201. ऊपर उल्लिखित कंपनियों के लिए निर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का अनुप्रयोग सीमा शुल्क प्राधिकारियों को वैध वाणिज्यिक चालान प्रस्तुत करने की शर्त पर होगा, जिस पर चालान जारी करने वाली संस्था के किसी अधिकारी द्वारा, जिसकी पहचान उसके नाम और कार्य से की गई हो, दिनांकित और हस्ताक्षरित घोषणा दिखाई देगी, जो निम्नानुसार तैयार की गई हो:

> "मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस चालान द्वारा आच्छादित भारत को निर्यात के लिए बेचे गए क्लियर फ्लोट ग्लास की (मात्रा) का विनिर्माण [संबंधित देश] में (उत्पादक का नाम और पता) द्वारा किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस चालान में दी गई जानकारी पूर्ण और सही है।"
>
> यदि ऐसा कोई चालान प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह अपेक्षा लागू सीमा शुल्क विधि और विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

T. आगे की प्रक्रिया

202. इस अंतिम निष्कर्ष से उत्पन्न केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9ग के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष होगी।

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 28-09-2026
16:31:54

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी